खण्ड-147, अंक-7
मंगलवार, 7 पौष, शक संवत् 1876
(28 दिसम्बर, 1954 ई0)

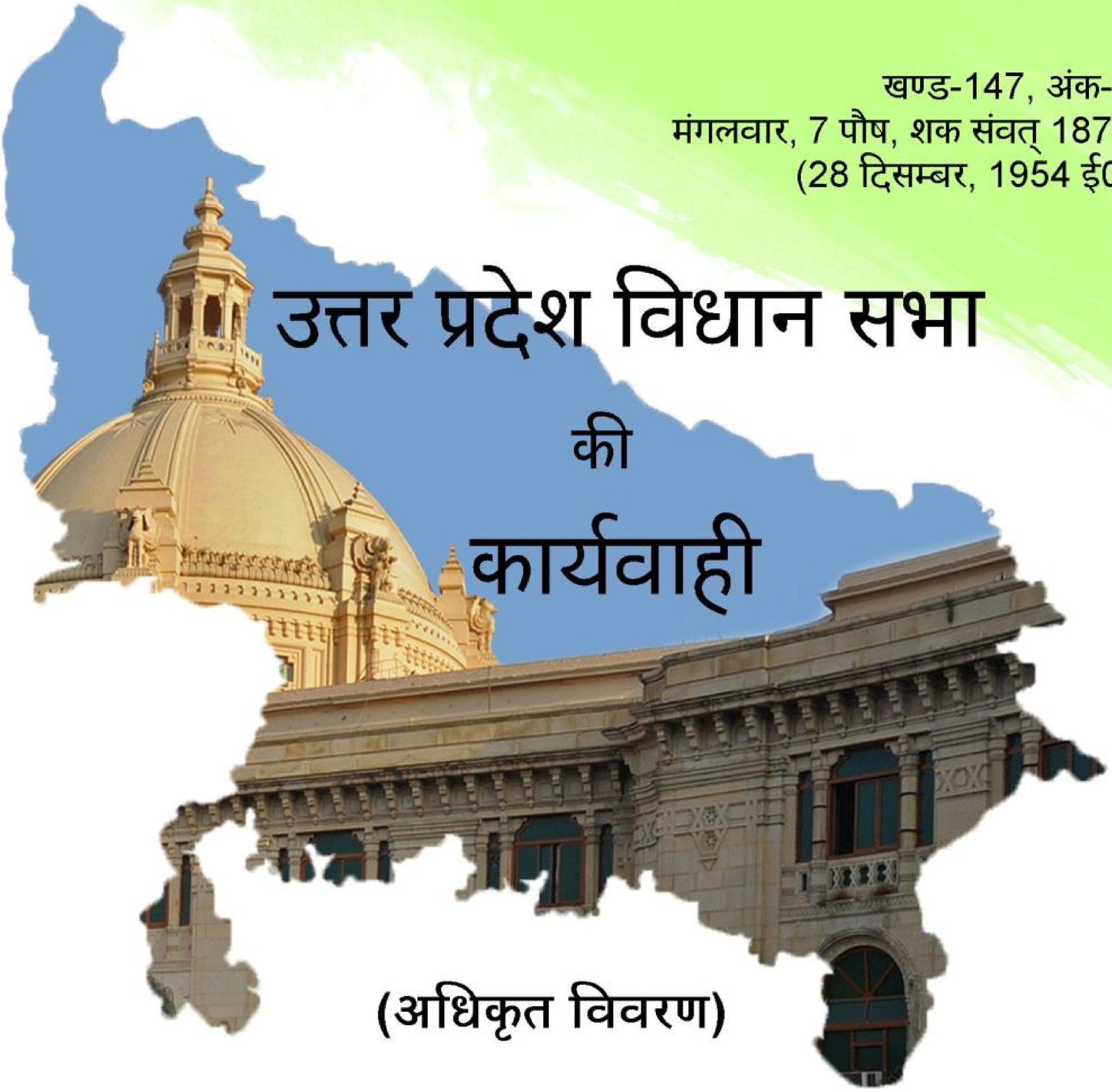

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) रूल्स, १९४६ में कृत संशोधन (मेज पर रखे गये)	४८५–४८६
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद के लिये प्रार्थना	४८६–४८७
प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) ..	४८७
प्राक्कलन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) ..	४८७–४८८
१९५३ के उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमों पर विवाद ..	४८८–५२२
नस्थियां	५२३–५३५

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३९२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल , श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह , श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन बाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री

फजलुलहक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसंत लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीक, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुसमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलावर अऽऽाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री

शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्री नाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर, श्री
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

[† मंगलवार, २८ दिसम्बर, १९५४ के लिये निर्धारित]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ ऐक्ट में संशोधन का सुझाव

**१—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि क्या म्युनिसिपैलिटियों की भांति टाउन एरिया के चेयरमैनों के अप्रत्यक्ष चुनाव तथा अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार उत्तर प्रदेश टाउन एरिया ऐक्ट में कोई संशोधन लाने का विचार कर रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपा शंकर)—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार का यह विचार है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये जो प्राविजन किया गया है वही टाउन एरियाज़ के लिये भी लागू कर दिया जाय ?

---

†२८ दिसम्बर, १९५४ के अन्य प्रश्न पृष्ठ ४६७ से आरम्भ होते हैं ।

श्री कृपाशंकर—अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

[सोमवार, २७ दिसम्बर, १९५४ के लिये निर्धारित ।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश से गेहूं तथा गुड़ का निर्यात

**१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश से गेहूं बाहर भेजने का जो निर्णय सरकार ने किया है उसकी क्या विधि है और यदि सरकार ने उसके लिये परमिट देने का निर्णय किया है तो किसे और कितने का ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उत्तर प्रदेश से गेहूं बाहर भेजने के निर्णय के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता फ्लोर मिल्स एसोशिएशन को कलकत्ते की मिलों के लिये १२,८०० टन गेहूं खरीद कर ले जाने की अनुमति दी है, और हर एक मिल का अलग-अलग कोटा भी नियत कर दिया है । मिलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को एसोसियेशन के प्रमाण-पत्र के आधार पर कोटा के अनुसार निर्यात परमिट दिये जा रहे हैं ।

**२—श्री गेंदा सिंह—क्या गुड़ भी कमी वाले क्षेत्रों में भेजने का सरकार प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गुड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इस कारण उसके यू० पी० से बाहर भेजने का प्रबन्ध सरकार द्वारा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अब भी कुछ अनाजों पर प्रदेश से बाहर ले जाने का प्रतिबन्ध है, यदि हां तो किन-किन पर और किस-किस प्रकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक जहाँ तक गेहूं इत्यादि का सम्बन्ध था वह बाहर नहीं जा सकते थे (बिना प्रदेश की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति के) अब केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का एक जोन बना दिया जाय और इन दोनों प्रदेशों मे गेहूं आ जा सकता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय अन्न मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की जानकारी है कि गेहूं का बाजार १२,१३ रुपये मन जब उत्तर प्रदेश में है तब बम्बई में २०,२२ रुपये मन पर गेहूं बिक रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२०, २२ के आंकड़े तो हमारे पास नहीं आये हैं । लेकिन यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश से बम्बई इत्यादि के मार्केट में गेहूं की अधिक कीमत है और वह शायद इसलिये है कि केन्द्रीय सरकार ने जो इम्पोर्टेड ह्वीट उस सरकार को देने के लिये बचन दिया था वह समय पर पहुंच नहीं पाया था । हमें इस बात की आशा है और केन्द्रीय सरकार ने भी इस बात की आशा प्रकट की है कि उत्तरोत्तर "इम्पोर्टेड" गेहूं आयेगा और केन्द्रीय सरकार से प्रदेशों को दिया जायगा । तब गेहूं की जो मौजूदा कीमत उन प्रदेशों में है वह उतनी नहीं रहेगी और वह ऐसी हो जायगी कि जिससे जो समस्या अभी उन प्रदेशों में है वह बढ़ न पायेगी ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने गेहूं का कोई भाव निश्चित कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गेहूं की दर सरकार ने कोई निश्चित नहीं की है ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें विदित है कि प्रदेश में गुड़ भेजने में वैगनों की कमी व्यापारियों को अनुभव हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक गुड़ का विषय है अभी तीन चार रोज हुये मुझसे केन्द्रीय खाद्य मंत्री महोदय से फोन पर बात हुयी थी और मैंने उनसे निवेदन किया था कि बहुत से स्थानों पर गुड़ की कीमत घटती जा रही है क्योंकि उन्हें या तो वैगन्स नहीं मिलते हैं या जो पब्लिक कैरियर्स उन चीजों को ले जाते हैं उनके द्वारा ले जाने में लोगों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रदेशीय सरकार जहां तक वैगन्स का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार को लिखे और वह वैगन्स इत्यादि दिलाने की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही, पब्लिक कैरियर्स जो सामान ले जाते है उनके लिये नियम इत्यादि बने हुये हैं, जिनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाने में लोगों को असुविधा उठानी पड़ती है। इसमें उन्होंने प्रदेशीय सरकार को यह सलाह दी है कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे और यदि कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े तो कानून में भी परिवर्तन कराया जाय।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि चीनी के मिल मालिकों ने वैगनों को इस प्रकार की स्थिति में कर रखा है कि जिसकी वजह से गन्ना-उत्पादकों को गुड़ बनाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

कानपूर नगरपालिका तथा विकास बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सूचना

**३—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार के मुख्य मंत्री तथा उनके पास कानपुर नगरपालिका और विकास बोर्ड के कर्मचारियों ने २७ दिसम्बर, १९५४ से आम हड़ताल करने की कोई सूचना दी है ?

श्री कृपाशंकर—जी हां।

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री उस नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कृपाशंकर—नोटिस की प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२३–५२७ पर।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका और विकास बोर्ड कानपुर से किन-किन कर्मचारियों का आवेदन-पत्र सरकार के पास आया था और उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

श्री कृपाशंकर—यह सारा मामला ऐडमिनिस्ट्रेटर के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस यूनियन को मान्यता क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

श्री कृपाशंकर—मान्यता की जरूरत नहीं समझी गयी और इसलिये नहीं प्रदान की गयी।

तारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई योग्य तालाब

*१—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसके पास सिंचाई के योग्य प्रतापगढ़ जिला के तालाबों की कोई सूची है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी नहीं, ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है।

*२—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें से कितने तालाबों के पट्टे हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री रामनरेश शुक्ल—ऐसे पट्टेशुदा तालाबों को सिंचाई के लिये बचा रखने के लिये वहां के अधिकारियों ने क्या प्रयत्न किये ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २१२ और २१२-अ के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति को व जिलाधीश को अधिकार है कि ८ अगस्त, १९४६ ई० के पश्चात् तालाब आदि के यदि पट्टे हुये हों तो उनकी बेदखली के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कोई इस प्रकार का आदेश देने की सोच रही है कि अब जिलों में तालाबों की एक सूची तैयार कराई जाय ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने के बाद ही मेरे विभाग ने सिंचाई विभाग से यह पूंछा था कि आपको कोई तालाब वगैरह, जो कि जमींदारों के गवर्नमेंट को मिले हैं, आबपाशी के लिये चाहिये। उन तालाबों में से कुछ उन्होंने ले लिये हैं और उसके बाद जो तालाब रह गये हैं वह गांव समाज के अधीन आ गये हैं और वही उनका इन्तजाम करते हैं। इसीलिये गवर्नमेंट ने कोई सूची बनाना जरूरी नहीं समझा और मैं आज भी जरूरी नहीं समझता। अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो कि जिसे माननीय मित्र बतला सकें तो सूची तैयार कराई जा सकती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना है कि बहुत से अच्छे तालाब जो सिंचाई के साधन हो सकते थे, उनको पट्टे पर उठा दिया गया है और वह तोड़े जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां, ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, लेकिन कानून में इसकी गुञ्जायश है कि अगर कोई तालाब तोड़ लिया गया है तो गांव समाज कार्रवाई करे। पहले दफा २१२ और अब २१२-अ में सरसरी कार्रवाई सिर्फ दरख्वास्तें देने पर ही हो सकती हैं।

आजमगढ़ जिले में भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा भूमि-वितरण

*४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितनी भूमि प्रबन्धक समितियों ने भूमिहीनों में भूमि का वितरण किया है ?

श्री चरण सिंह—केवल २ भूमि प्रबन्धक समितियों ने।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ व ५ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

*५—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने एकड़ जमीन इस प्रकार अब तक बांटी जा चुकी है? क्या कुछ भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रधान हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

श्री चरण सिंह—इस प्रकार लगभग ३१८ एकड़ भूमि दी गई है। एक प्रधान को हटा दिया गया है और दो को जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है, हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन कौन भूमि प्रबन्धक समितियां हैं जिन्होंने अब तक जमीन बांटी है?

श्री चरण सिंह—एक तहसील सगड़ी में भूमि प्रबन्धक समिति है जिसने २६४ एकड़ बांटा है और एक तहसील घोसी में है जिसने ५३ एकड़ बांटा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१८ एकड़ जो जमीन बांटी गई है वह कितने किसानों को बांटी गयी है और क्या वह सब भूमिहीन रहे हैं?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कितने किसान को बांटी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन कौन भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रधान हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है?

श्री चरण सिंह—एक तो मोहम्मदाबाद गोहना से तुलसीपुर के प्रधान के हटाए जाने की कार्यवाही चल रही है और दो गांव और हैं दूसरी तहसील के।

*६—श्री रामनारायण त्रिपाठी— [स्थगित किया गया।]

तराई क्षेत्र में बोक्सा परिवारों को भूमि का अलाटमेंट

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई क्षेत्र में कितने बोक्सा लोगों को पुनर्वास के रूप में भूमि अलाट की गई है?

श्री चरण सिंह—तराई क्षेत्र में ग्राम गुलरभोज हरीपुरा तथा दलपुरा, तहसील बाजपुर में ३६२ बुक्सा परिवारों को पुनर्वास के निमित्त लगभग २,६०० एकड़ भूमि एलाट की गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस भूमि में से कितनी भूमि में कितने बुक्सा परिवार अब तक बस चुके हैं?

श्री चरण सिंह—सवाल के जवाब में दे दिया गया है कि ३६२ परिवार, साढ़े सात एकड़ फी परिवार।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि इन ३६२ बुक्सा परिवारों में से कितने परिवार इस अलाट की गई भूमि में बस चुके हैं।

श्री चरण सिंह—मेरी सूचना के अनुसार सारे बस चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन बुक्सा परिवारों के बसने में और क्या सहायता दी गई?

श्री चरण सिंह—जैसे और किसानों को सहायता उपलब्ध है वैसी ही सहायता इनको भी है, कोई खास सहायता नहीं दी गई। जमीन तोड़ कर दी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुए कि इनकी पुरानी जमीन और गांव कालोनाइजेशन में ले लिये गये तो उसके बदले में कोई मुआवजा सरकार देने का विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—मेरी समझ में नहीं आता कि जमीन के बदले में जमीन तोड़कर दे दी गई, फिर मुआवजे का क्या सवाल ?

हमीरपूर जिले में तकावी का असमान वितरण

*८—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि जिला हमीरपुर में तहसीलवार १९५२–५३ और १९५३–५४ में कुल कितनी तकावी कितने आदमियों में बांटी गई ?

श्री चरण सिंह—मांगी गई सूचना इस प्रकार है :—

तहसील	जिन व्यक्तियों को तकावी दी गई उनकी संख्या	तकावी की रकम १९५२–५३ में	जिन व्यक्तियों को तकावी दी गई उनकी संख्या	तकावी की रकम १९५३–५४ में
				रु०
हमीरपुर ..	५८	५,८००	३८८	२९,५७७
मौदहा	१०२	८,१४०	१३३	४२,४३२
महोबा ..	८७	१४,२२५	५१	७,२६६
राठ ..	५४	३,२७३	८७	१०,७५२
चरखारी ..	८५	१४,१४९	२५	६,८६३
कुल जोड़ ..	३८६	४५,५८७	६८४	९६,८९०

*९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि सन् ५४–५५ ई० में तहसीलवार कितना रुपया अब तक बांटा गया और कितना शेष है ?

श्री चरण सिंह—चालू साल, १९५४–५५ में तहसीलवार जो तकावी अब तक बांटी गई है और जो रुपया बाकी है उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

तहसील		चालू साल में अब तक बांटी गई तकावी	बाकी रकम
		रु०	रु०
हमीरपुर	..	१४,०००	
मौदहा	..	९,०००	
महोबा	..	९,०००	८०,०००
राठ	..	३,०००	
चरखारी	..	७,५००	
कुल जोड़	..	४२,५००	

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूचना दी हुई है उससे यह पता लगता है कि हमीरपुर को उतनी रकम दी गई है जितनी दो तहसीलों को भी नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—यह तो जिलाधीश अपने यहां तय करता है किस तहसील में कितना बांटना है, गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—तो क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई आदेश या प्रबन्ध करने का विचार करेंगे ताकि सभी तहसीलों में उनकी संख्या के अनुसार या उनकी जो आमदनी है, उसके अनुसार यह हिस्सा तकावी का मिल सके ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। इस तरह की कोई हिदायत देने का गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। क्योंकि तादाद के अनुपात से बात तय नहीं होती, जरूरत से होती है और जरूरत तय करने का, जज करने का अधिकार जो जिलाधीश होता है, उसका है।

फसलों व ढोरों के लिए बीमा योजना का सुझाव

*१०—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके प्रान्त के किसानों की फसल तथा ढोरों के बीमा की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—जी नहीं। क्योंकि अपनी ग़रीबी के कारण किसान अपनी फसलों तथा ढोरों का बीमा कराने के लिए तैयार नहीं होंगे।

*११—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कमेटी नियुक्त की है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी कमेटी नियुक्त करने का वह विचार रखती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं। इस समय कोई ऐसी जांच कमेटी नियुक्त करने का विचार नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो किसान अपने ढोरों और फसल का बीमा कराना चाहते हैं उनके लिये सरकार ने क्या सुविधा दी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जब तक कि यह सरकार को इत्मीनान न हो जाय कि किसान साधारण तौर से अपने पशुओं का बीमा कराने के इच्छुक हैं, उस समय तक कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है।

तहसील नानपारा के अग्निपीड़ित ग्रामों को सरकारी सहायता

*१२—श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष ग्रीष्म काल में जिला बहराइच की नानपारा तहसील के अन्तर्गत कितने और किन-किन ग्रामों में आकस्मिक अग्निकांड हुये ?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष ग्रीष्म काल में बहराइच जिले की नानपारा तहसील में १६ ग्रामों में अग्निकांड हुये। ग्रामों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२८ पर)

*१३—श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या यह सही है कि ऐसे ग्रामों की एक सूची तहसीलवार नानपारा द्वारा तैयार होकर जिलाधीश बहराइच की सेवा में प्रेषित की

गई थी जिसमें संकटग्रस्त जनों को गृह निर्माण के लिये बन से लकड़ी तथा खर (फूस) की सहायता के लिय मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—तहसीलदार नानपारा ने इन ग्रामों की सूची जिलाधीश बहराइच के पास भेजी थी। जिलाधीश ने वन विभाग के पीड़ितों को लकड़ी आदि देने के लिये कहा था। जो लोग वन विभागीय कर्मचारियों के पास इस निमित्त गये उन्हें लट्ठे व खर–फूस इत्यादि गृह निर्माणार्थ मिले थे।

*१४—श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि उन ग्रामों को सरकार की ओर से कितनी और किस रूप में क्या क्या सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह—इन ग्रामों में आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता, तकावी तथा वन विभाग से लट्ठों आदि की सहायता दी गई जिसका विवरण इस प्रकार है :—

अहेतुक सहायता	..	५४० रु० तथा कुछ वस्त्र
तकावी	..	२,६८५ रु०
वन विभाग की वस्तुओं का मूल्य	..	७०९ रु० ६ आना।

श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन लोगों की सूची दी गई थी उनको लट्ठे और फूस आदि मिलने के लिए किसी प्रकार की उनको इत्तिला दी गई थी कि वह कब आकर और कहां से लें ?

श्री चरण सिंह—जी हां, इत्तिला दी गई थी।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उन लोगों के जल्दी ही सीजन क्लोज हो जाने की वजह से कोई सहायता लकड़ी वगैरह की नहीं दी गई ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मेरे पास तो रिपोर्ट यह आयी है कि बावजूद इत्तिला के कुछ लोग लेने के लिए नहीं गये लिहाजा उन्हें नहीं दी जा सकी। अब यह कि सीजन क्लोज हो चुका था इस वजह से नहीं दी जा सकी, यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जिलाधीश महोदय ने जो डी० एफ० ओ० को चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी जंगल के दफ्तर से गायब हो गई थी ?

श्री चरणसिंह—इसका न तो सवाल से संकेत होता था कि मैं इतनी तहकीकात करूं और फिर जंगल की बात, वहां तो वैसे ही पता लगाना मुश्किल था। अगर माननीय मित्र मुझसे बात कर लेवें तो मैं मालूमात करा लूंगा।

मिर्जा तालाब, अकबरपूर, जिला कानपूर की मछलियों का ठेका

*१५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सच है कि अकबरपुर जिला कानपुर के मिर्जा तालाब की मछलियों का ठेका इस साल फिशरी विभाग वालों ने गांव समाज के चेयरमैन को बिना सार्वजनिक सूचना के दे दिया। यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, मछलियों के नीलाम की सूचना समाचार–पत्रों और अन्य साधनों द्वारा सर्वसाधारण को कर दी गई थी।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन समाचार पत्रों में यह सूचना निकली है, उनके नाम क्या हैं और किन तारीखों में वह प्रकाशित की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कानपुर के "डेली टेलीग्राफ" और "प्रताप" द्वारा सूचना दी गई थी।

दुल्हापूर बनकट तथा बनगाई, तहसील गोंडा की परती जमीन

*१६—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा तहसील गोंडा ग्राम दुल्हापुर बनकट तथा ग्राम बनगाई में जमींदारी उन्मूलन के १३५६ फसली में कितनी जमीन परती थी ?

श्री चरण सिंह—१३५६ फसली में मौजा बनगाई तथा दुल्हापुर बनकट में क्रमशः २५७ एकड़ व ४९१ एकड़ परती भूमि थी।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन इन परती जमीनों में से खेतिहर मजदूरों को दी गई है ?

श्री चरण सिंह—इसकी सूचना की आवश्यकता है। पहले तो यह है कि दी गई है या नहीं दी गई, और अगर दी गई है तो खेतिहर मजदूरों को कितनी दी गई है।

जिलेवार सरकारी गोसदन खोलन का सुझाव

*१७—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने सरकारी गोसदन हैं और क्या वह ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक गोसदन स्थापित किया गया जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रदेश में केवल दो राजकीय गोसदन हैं। एक मलगवां (इटावा) में और दूसरा गर्जिया सोत (नैनीताल) में, इस समय सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है कि हर जिले में गोसदन स्थापित किये जावें।

*१८—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के वर्तमान गोसदनों पर कितना रुपया वार्षिक व्यय किया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रदेश के राजकीय गोसदनों पर पिछले वर्ष १९५३–५४ में निम्नलिखित व्यय किया गया :—

			रु०
आवर्त्तक	..	..	१५,६७४
अनावर्त्तक	..	..	१८,५००

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस चालू वर्ष में मलगवां इटावा के गोसदन में कितनी गायें जनता की ओर से भरती की गई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नन्दकुमार देव वशिष्ठ (जिला अलीगढ)—माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में अगर गोसदन नहीं खुल सकते हैं तो क्या कमिश्नरी में खोलने की व्यवस्था हो सकती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी कमिश्नरीवार भी खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार के विचाराधीन गोरखपुर जिले में कोई गोसदन बनाने की योजना है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, जरूर सोचेंगे। उधर जानवरों की इफरात है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन सदनों में इस समय कितने मवेशी हैं और कितने रखे जा सकते हैं ?

श्री चरण सिंह—गर्जिया सोत में पहले २ हजार मवेशी रखने का विचार था लेकिन अब वह १ हजार कर दिया गया है। १ हजार से ज्यादा नहीं रखे जाते और १ हजार के बजाय इटावे में ५०० पशु रखने का विचार है। दो हजार एकड़ जमीन पशुओं के लिये चाहिये। इस वक्त उतनी संख्या पूरी नहीं हुई है लेकिन इटावा जिले में ही मवेशी अब रखे जायेंगे। जो दो-ढाई सौ पशुओं की कमी है वह बाहर से जा सकते हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यहां इन गो सदनों में पर्याप्त संख्या गौवों की न होने के क्या कारण हैं?

श्री चरण सिंह—मैं समझता हूं कि अभी तक तो लोगों को इसका इल्म नहीं था कि इस तरह के गो सदन खुल गये हैं। अब ऐसी आशंका नहीं है कि हमारे पास यह इत्तिला आये कि जानवर भेजना चाहते हैं और जगह न रहे।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में पर्याप्त मात्रा में गो-सदनों के लिये जगह मिल जायगी उनमें सरकार को खोलने में क्या-क्या दिक्कतें हैं?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष एक स्कीम बनायी गई है ६ गोसदन और खोलने की। अगर बजट में वह रुपया शामिल हो गया तो खुल जायेंगे। लेकिन जमीन का पर्याप्त रकबे में मिल जाना कोई इस बात के लिये काफी नहीं है कि वहां गो-सदन खुल ही जाय। वहां जंगल होना चाहिये ताकि दस महीने तो घास मिल सके जिससे खरीद कर न खिलानी पड़े। जमीन तो काफी पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी वहां गोसदनों को खोलने में दिक्कतें हैं।

*१९-२०—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[स्थानान्तरित किये गये।]

जिला जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में पतिंगों द्वारा फसल को हानि

*२१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार के पास मड़ियाहूं तहसील (जौनपुर) के किसानों ने पतिंगों के मारने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे थे?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*२२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हां, तो पतिंगों के नष्ट करने की क्या व्यवस्था की गई?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं तहसील में इस साल कितने गांवों में पतिंगों द्वारा किसानों का नुकसान हुआ है?

श्री जगनप्रसाद रावत—मैंने कहा कि कोई शिकायत नहीं आई है।

सीड स्टोर बहेड़ी, जिला बरेली का स्टाक

*२३—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीड स्टोर बहेड़ी, जिला बरेली में इस साल रबी फसल का गल्ला गेहूं व चना कितनी बोरी स्टोर किया गया और उसमें कितनी बोरी गेहूं चना सवाये का था?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वर्ष रबी फसल में बहेड़ी बीज भंडार, जिला बरेली में कुल ३७५१ मन, ११ सेर गेहूं तथा ३२९८ मन, १७ सेर ८ छ० चना स्टोर किया गया था जिसमें सवाये का ३२९१ मन, ११ सेर गेहू तथा ३०४३ मन, १७ सेर, ८ छ० चना था।

*२४—श्री नत्थू सिंह—क्या यह सही है जो, चना गेहूं, खरीदा गया है वह बाजार भाव से १५ रु० फी बोरी अधिक दर से खरीदा गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। नियमतः कृषि विभाग में उन्नतिशील बीज की खरीदारी तहसीलदार द्वारा सूचित किये गये प्रथम श्रेणी के गल्ले के भाव पर की जाती है। तहसीलदार द्वारा सूचित भाव के अतिरिक्त १२ १/२ प्रतिशत प्रीमियम भी उन्नतिशील बीज की जातीय विशुद्धता के निमित्त दिया जाता है।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह उन्नतिशील बीज किस दर से खरीदा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बीज भिन्न-भिन्न दरों से खरीदा गया। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको फेहरिस्त दिखा सकता हूं और यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—पूरी फेहरिस्त के पढ़ने की तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भाव बतला दें जिससे वह अंदाजा लगा लेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—१२ रुपये मन से लेकर १६ रुपये मन तक खरीदा गया।

जौनपुर जिले में गोमती में जल-वृद्धि

*२५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अगस्त, सन् १९५४ में जौनपुर जिला में गोमती नदी में जो २० फुट पानी बढ़ा था उसमें कितने मकान तथा फसलों को क्षति पहुंची ?

श्री चरण सिंह—गत अगस्त माह में गोमती नदी के पानी के बढ़ने से जौनपुर जिले में बाढ़ नहीं आई और फसल अथवा मकानों को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त १९५४ में २० फिट पानी गोमती में बढ़ जाने के कारण मक्का तथा अन्य फसल को काफी नुक्सान पहुंचा था ?

श्री चरण सिंह—२० फिट पानी बढ़ जाने से गोमती में बाढ़ नहीं आती।

जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील में भूमि प्रबन्धक समितियों को सम्पत्ति विषयक सूचना

*२६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की मछलीशहर तहसील में कितनी भूमि प्रबन्धक समितियों को उनकी सम्पत्ति की सूची दे दी गई और कितनों की अभी देना बाकी है ?

श्री चरण सिंह—जिला जौनपुर के मछलीशहर तहसील की सभी भूमि प्रबन्धक समितियों को उनकी सम्पत्ति की सूची दे दी गई है।

जिला बलिया के परगना दोआबा में घाघरा नदी से भूमि का कटाव

*२७—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना दोआबा, जिला बलिया के अन्तर्गत गत कई सालों से घाघरा नदी के कटाव के कारण रेलवे लाइन के उत्तर कितने ही गांवों की आबादी तथा खेतों की भूमि कट कर नदी में गिरती जा रही है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*२८—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत चार सालों में किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि घाघरा नदी के कारण कट कर गिर गई है ?

श्री चरण सिंह—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२९ पर)

*२९—श्री राधामोहन सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल कितनी भमि कट गई है और जिनका घर गिर गया है उनके बसने के संबंध में तथा अन्य क्या-क्या सहायता और प्रबन्ध सरकार की ओर से किया गया है ?

श्री चरण सिंह—इस साल ९ ग्रामों की भूमि कटी, जिसका क्षेत्रफल ३४० एकड़ है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता हर साल की तरह इस साल भी की गई। मुफ्त खाने के लिये अन्न, मिट्टी का तेल, नमक, दियासलाई इत्यादि बांटा गया तथा उनके लिये मुफ्त दवा, नावों इत्यादि का भी प्रबन्ध किया गया। उनको आवश्यकतानुसार तकावी भी दी गई। केवल तीन ग्राम मानगढ़, हनुमानगंज और हेवन्तपुर आबाद है। इनकी आबादी कट गई है। यहां के लोगों के बसने के लिये श्रीनगर ग्राम से १२.६७ एकड़ भूमि ली गई और जिन लोगों के मकान गिर गये थे उनको दी गई।

फसली १३५९ तथा १३६१ की मालगुजारी व अबवाब

*३०—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने से पहले वर्ष अर्थात् १३५९ फसली में प्रत्येक जिले की क्या-क्या मालगुजारी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलनी थी ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने से पहले वर्ष अर्थात् १३५९ फसली में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की मालगुजारी संलग्न नक्शे के अनुसार थी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३०–५३१ पर)

*३१—श्री श्रीचन्द्र—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की १३५९ फसली तथा १३६१ फसली की मालगुजारी में क्या अन्तर है, और क्यों ?

श्री चरण सिंह—उत्तर प्रदेश की १३५९ फसली तथा १३६१ फसली की मालगुजारी में १३,४२,९०,४९५ रुपये का अन्तर है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(१) मालगुजारी १३६१ फसली	२०,५०,५०,६९२ रु०	
(२) मालगुजारी १३५९ फसली	७,०७,६०,१९७ रु०	
अन्तर ..	१३,४२,९०,४९५ रु०	

इस वृद्धि के विशेष कारण निम्नांकित हैं :—

(१) जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जो लगान काश्तकार जमींदारों को देते थे वही अगर यह लोग भूमिधर नहीं हो गये हैं, मालगुजारी में परिवर्तित हो गया है।

(२) अन्तर्क्षेत्रों (Enclaves) कैमूर रेंज के दक्षिणी भाग, जिला मिर्जापुर और भूतपूर्व बनारस स्टेट के क्षेत्रों की मालगुजारी निर्धारित कर दी गई है।

(३) जमींदारो के जमाने में जिस जमीन पर लगान कायम नहीं हुआ था उस पर मालगुजारी कायम कर दी गई है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिना लगानी जमीन पर कितनी मालगुजारी लगायी गयी ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मालगुजारी के अलावा कोई अबवाब की रकम भी मालगुजारी के साथ सरकार की तरफ से वसूल की जाती है ?

श्री चरण सिंह—जो जमींदार लोग काश्तकारों से वसूल करते थे या वसूल करने के मुस्तहक थे केवल वही वसूल की जाती है।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जमींदारों से अबवाब की रकम वसूल की जाती थी उन जमींदारों के पास अगर जमीन रह गयी है तो अबवाब की रकम वसूल की जाती है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जमींदार काश्तकारों से भी एक पैसा फ़ी रुपया लगान का बतौर अबवाब के वसूल कर सकते थे। तो वह रकम अब मालगुजारी में शामिल हो गयी है और गवर्नमेंट उसे आज वसूल कर रही है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम जो अबवाब की इस समय वसूल की जाती है कितनी है और किस काम में उसका व्यय होता है ?

श्री चरण सिंह—अब वह अलग कितनी रकम बैठती है इसका मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन १ करोड़ ३६ लाख रुपये बतौर अबवाब पहले वसूल होते थे और अब उतनी ही रकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एल० एस० जी० डिपार्टमेंट को दे दी जाती है।

अगोरी, जिला मिर्जापुर की कुछ उपजाऊ भूमि क सदुपयोग का सुझाव

*३२—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अगोरी परगना, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के कौन क्षेत्र में पांडव नदी के आस-पास कई हजार एकड़ भूमि ऐसी पड़ी है जो खेती की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ तथा उत्तम है, किन्तु ऊंचे नीचे टीले होने के कारण उसमें खेती नहीं हो सकती ?

श्री चरण सिंह—जी हां ?

*३३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इस क्षेत्र का सरवे करा कर ट्रैक्टरों या बुलडोजरों से भूमि को समतल करा कर कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करेगी ?

*३४—क्या सरकार इस क्षेत्र को समतल तथा कृषि योग्य बना कर रिहन्द बांध (रेणुका सरोवर) के डूब में आने वाले ग्रामवासियों के पुनर्वास में इसका उपयोग करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—यह भूमि मिर्जापुर में कैमूररेंज के दक्षिण की ओर उस क्षेत्र में स्थित है जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १ जुलाई, १९५३ से लागू किया गया है। राजा साहब अगोरी ने इस अधिनियम के लागू होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तथा कमिश्नर के यहां मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया है परन्तु कमिश्नर के यहां से जो उनको स्थगन मिला है वह अभी लागू है। अतः इस परिस्थिति में इस भूमि के बारे में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कमिश्नर साहब का स्थगन के विषय में आदेश हुआ है उसका सारांश क्या है ?

श्री चरण सिंह—स्टे आर्डर का सारांश यह होता है कि हमेशा स्थिति यथापूर्व रहे और कोई नयी कार्यवाही न की जाय। यही होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है वह स्टे आर्डर।

जिला बस्ती के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*३५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस वर्ष जिला बस्ती तहसील डुमरियागंज के बाढ़-पीड़ित ग्रामों की तालिका क्या है ?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज के १३१ ग्राम बाढ़-पीड़ित हुये। इनमें से १२८ ग्रामों की सूची उपलब्ध है जो कार्यालय में देखी जा सकती है।

*३६—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार ने कोई सहायता इस तहसील के इन ग्रामों की की है ?

श्री चरण सिंह—बाढ़-पीड़ितों को बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान पर हटाने में मदद की गई। लगभग ८०० रुपये के मूल्य की जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को जरूरतमन्दों को मुफ्त बांटा गया। १५० रु० की सहायता गिरे हुये घरों की मरम्मत आदि के लिये दी जा रही है। जरूरतमन्दों को मुफ्त वस्त्र भी बांटा जा रहा है।

*३७—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को पता है कि तहसील डुमरियागंज (बस्ती) के बाढ़-पीड़ित ग्रामों में मलेरिया तथा कालाजार का प्रकोप बढ़ रहा है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह सहायता किस किस स्थान में दी गयी विशेषकर वस्त्रादि की ?

श्री चरण सिंह—इसकी नोटिस की आवश्यकता है और कारण यह है कि मुझको वक्त नहीं मिला ज्यादा तफसील से मिसिल देखने का। माननीय मित्र चाहें तो मेरे दफ्तर में आने की तकलीफ करें।

गोसदनों में पशु भेजन के व्यय का भार

*३८—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय गोसदन में वृद्ध अथवा अंग-भंग पशु भेजने में मार्ग-व्यय किसे करना होता है, और एक व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक कितने पशु भेजे जा सकते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—राजकीय गोसदनों में वृद्ध अथवा अंग-भंग पशु भेजने में मार्ग व्यय सरकार करती है। केवल रेलवे स्टेशन तक का मार्ग व्यय या ट्रक के ठहरने के स्थान तक का व्यय पशुओं के मालिकों को करना होता है, और एक व्यक्ति जितने चाहे उतने पशु भेज सकता है। यद्यपि अब तक मार्ग व्यय सरकार बरदाश्त करती रही है, किन्तु इस संबंध में भविष्य की नीति विचाराधीन है। सरकार को इस बात से प्रसन्नता होगी यदि पशुओं के मालिक स्वयं इस खरचे को बरदाश्त करें। जनता के सहयोग से सरकार इस योजना को ज्यादा तेजी से चलाने में सफल हो सकेगी।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन पशुओं को भेजने के लिये किस अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध होता है और क्या सब पशु नैनीताल ही भेजे जायेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह जिले के डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टाक आफिसर द्वारा प्रबन्ध होता है।

जिला बदायूं के परगना सलेमपुर में रामगंगा की बाढ़ से हानि

*३९—श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत अगस्त, १९५४ में परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं के कितने ग्रामों में रामगंगा नदी में बाढ़ आई ?

श्री चरण सिंह—इस वर्ष परगना सलेमपुर, जिला बदायूं के १२९ ग्रामों पर रामगंगा की बाढ़ का प्रभाव पड़ा।

*४०—श्री चुन्नीलाल सगर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम में कितनी-कितनी हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—हानि का विवरण इस प्रकार है :—

प्रभावित ग्रामों की संख्या		हानि की मात्रा (पूर्ण फसल–१ रु०)
७६	..	८ आने से कम।
३७	..	१० आने से अधिक परन्तु १२ आने से कम।
१६	..	१२ आना या उससे अधिक।

*४१—श्री चुन्नी लाल सगर—क्या सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र को कुछ सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—बाढ़-पीड़ितों को बीज के लिये तकावी तथा अहेतुक सहायता दी गई। भूमि कर की वसूली का स्थगन, कट गये ग्रामों के पुनर्वास की व्यवस्था और गृह निर्माण के लिये आर्थिक सहायता आदि का प्रश्न विचाराधीन है।

खामियां ब्लाक में भूमिहीनों का बसना

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उत्तर प्रदेशीय भूदान समिति ने खामियां ब्लाक में भूमिहीनों को बसाये जाने के हेतु कुछ प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रक्खे हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—उत्तर प्रदेशीय भूदान समिति ने खामियां ब्लाक में भूमिहीनों को बसाये जाने के निमित्त प्रदेशीय सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव नहीं रखा। परन्तु जिला नैनीताल भूदान समिति ने इस विषय में सरकार के सम्मुख निम्नांकित प्रस्ताव रखे थे :—

(१) वितरण की जानेवाली ऐसी समस्त भूमि को सरकारी ट्रैक्टरों से जुतवा दिया जाय।

(२) पानी की व्यवस्था के हेतु नलकूप तथा पक्के कुओं का प्रबन्ध किया जाय।

(३) ग्राम बसाने के हेतु सम्बन्धित निरीक्षण कर योजना बना दी जाय और खाम की सभी आवश्यक सुविधायें दी जायं।

उपर्युक्त प्रस्तावों को धनाभाव के कारण सरकार स्वीकार न कर सकी और तदनुसार जिला नैनीताल भूदान समिति को सूचित कर दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि गांधी स्मारक निधि ने इस सम्बन्ध में भूमिहीनों को बसाने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री चरण सिंह—इसका कोई इल्म सरकार को नहीं है और न होना ही चाहिये, क्योंकि इत्तिला होने की कोई वजह नहीं मालूम होती।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खामियां ब्लाक में अभी तक कितने भूमिहीन बसाये जा चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—गत मई में लोगों से बसने को कहा था। जंगल काट कर उनको जमीनें पेश की गईं लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार किया और यह कहा कि बरसात के बाद आबाद होंगे। बरसात बीत चुकी है गालिबन कुछ लोग आबाद हो चुके हों, लेकिन कितने लोग आबाद हो चुके हैं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*४३—४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किये गये।]

*४६–४८—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[स्थगित किये गये।]

नायब तहसीलदारी के उम्मीदवारों में हरिजन

*४९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष सन् १९५३ ई० में नायब तहसीलदारी के चुनाव की परीक्षा के लिये कितने स्थानों (Seats) के लिये विज्ञापन (Advertisement) किया गया था ?

श्री चरण सिंह—१४ जगहों के लिये।

*५०—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस परीक्षा में कितने लोग बैठे एवं कितने इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये और प्रत्येक में हरिजनों की क्या संख्या थी ?

श्री चरण सिंह —इस परीक्षा में ८६५ उम्मीदवार बैठे थे, जिसमें ७१ इन्टरव्यू के लिये बुलाए गए। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या इनमें क्रमशः ३३ और ५ की थी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १४ सीटों के लिये ऐंडवर्टाइजमेंट किया गया था उसमें सुरक्षित सीटें कितनी थीं ?

श्री चरण सिंह—नियमानुसार।

श्री जोरावर वर्मा—नियमानुसार जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था क्या बाद में संख्या में वृद्धि की गई थी ?

श्री चरण सिंह—जिस समय यह एडवर्टाइजमेंट किया गया था तो १० फीसदी सीटें शेडयूल्ड कास्ट के लोगों के लिये रिजर्व थीं। १४ सीटों के लिये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था और हमने २८ मुकर्रर किये और उन २८ में ५ शेडयूल्ड कास्ट के थे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि जो ५ रिजर्व सीट से लिये गये थे उनमें से दो ने सर्विस ज्वाइन नहीं की ?

श्री चरण सिंह—मुझे तो फाइल से मालूम हो रहा है कि एक ने नहीं की। वह डिप्टी कलेक्टरी में आ गया इसलिये उसने ज्वायन नहीं किया।

अलीगढ़ जिले में पक्के बस-स्टेशनों का निर्माण

*५१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के किन किन बस-स्टेशनों को पक्का बनाने की स्वीकृति दी गई है और ये कब तक बन कर कर तैयार हो जायंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ तथा दादों में पक्के बस-स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी गई है। ये बस-स्टेशन १९५५-५६ में बन कर तैयार हो जायंगे।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने स्टेशन बन चुके हैं और कितने इस वर्ष में तैयार हो जायंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—७ स्टेशन बन चुके हैं और ५५-५६ में २१ के करीब और बन जायेंगे।

कानूनगो उम्मीदवारों में पिछड़ी एवं परिगणित जातियों के लोग

*५२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ और ५३ ई० में कानूनगो विभागीय चुनाव द्वारा और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिये गये हैं और उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है ?

श्री चरण सिंह—सन् १९५२ और ५३ में जितने कानूनगो विभागीय चुनाव द्वारा तथा जितने पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिये गये उनकी सूची निम्न प्रकार है :—

	संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति
१—साल १९५२			
विभागीय चुनाव द्वारा	१०	..	..
पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा	४१	२	३
२—साल १९५३			
विभागीय चुनाव द्वारा	४०	..	१
पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा	४२	१	७

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में क्रमशः ४१ में २ और ४२ में १ कैंडीडेट रिजर्व सीट के लिये लिया गया? इसका क्या कारण है कि उनको कोटे के अनुसार नहीं लिया गया ?

श्री चरण सिंह—पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको इस योग्य नहीं समझा।

प्रदेश के भूतपूर्व विदेशी जमींदारों को मुआविजा

*५३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जमींदारी विनाश कानून लागू होने के समय अंग्रेजों के अलावा अन्य कोई विदेशी जमींदार था ? अगर हां, तो कितने और किन किन जिलों में ?

श्री चरण सिंह—जी हां, अंग्रेजों के अलावा प्रदेश में २० अन्य विदेशी जमींदार थे जिनमें से ३ जिला देहरादून में, १० मेरठ में, ४ सहारनपुर में और ३ शाहजहांपुर जिले में थे।

*५४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन विदेशी जमींदारों को किस हिसाब से मुआविजा दिया जायेगा ?

श्री चरण सिंह—उन विदेशी जमींदारों को उसी हिसाब से मुआविजा दिया जायगा जिस हिसाब से अन्य सभी जमींदारों को दिया जाता है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है।

*५५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन विदेशी जमींदारों में कितने कहां-कहां स्थायी रूप से प्रदेश में बसे हैं तथा कितने अपने-अपने देश को वापस लौट गये हैं ?

श्री चरण सिंह—विदेशी जमींदारों में से ८ अपने देश को चले गये और शेष १२ प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में बसे हैं :—

(१) देहरादून में	..	..	२
(२) मेरठ में, और	..	..	७
(३) शाहजहांपुर में	..	..	३

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह विदेशी जमींदार किन-किन देशों के थे?

श्री चरण सिंह—इसकी तफसील मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अपने जाती इल्म से यह अर्ज करता हूं कि मेरठ में फ्रांसीसी थे और उन सबमें इत्तिफाक से रूस का कोई भी नहीं था।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई अमेरिकी जमींदार भी यहां पर था?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमींदार हिन्दुस्तान छोड़कर बाहर चले गये उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देने पर सरकार फिर से विचार करेगी?

श्री चरण सिंह—हरगिज नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट उन जमींदारों को देने की कानून के जरिये व्यवस्था है जो हिन्दुस्तान में रहें?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। १० हजार तक मालगुजारी जिन जमींदारों की थी वे सब रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पाने के मुस्तहक हैं?

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जमींदारों को कुल मिला कर कितना मुआविजा सरकार दे रही है?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

जिला गढ़वाल की चमोली तहसील के मवेशी अस्पताल

*५६—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील चमोली, जिला गढ़वाल में जानवरों के कुल कितने अस्पताल हैं और कहां कहां हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—४। जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, थराली और कर्णप्रयाग में हैं?

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि इन चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर कहीं पर डाक्टर नहीं है तो मैं पता लगाऊंगा और वहां डाक्टर जायेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि इन चिकित्सालयों में औषधियां भी बिलकुल नहीं है?

श्री जगन प्रसाद रावत—माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं है।

*५७–५८—श्री गंगाधर मैठाणी—[स्थगित किये गये।]

*५९–६१—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किये गये।]

*६२–६३—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में अधिक मालगुजारी की वसूली

*६४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले और मुख्यतः घोसी तहसील से इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आई हैं कि फसली ६१ की जमाबन्दी में मालगुजारी अधिक लिख दी गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। मगर जिलाधीश के पास ऐसी शिकायतें आईं। लेखपालों के नये होने और एक ही आदमी के कई खातों को एकजा करने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां हो गईं जो अब दुरुस्त कर दी गई हैं।

*६५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मालमंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले और घोसी तहसील में किसानों से फसली ६१ की मालगुजारी गलत बनी हुई जमाबन्दी के अनुकूल वसूल कर ली गई है?

श्री चरण सिंह—केवल थोड़े खातों में ऐसा हुआ, परन्तु अब गलतियां दुरुस्त कर दी गई हैं और जो फाजिल रुपया किसानों से वसूल हो गया वह उनको १३६२ फसली की मालगुजारी में मुजरा कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल ऐसे कितने खाते हैं जिनकी जमाबन्दी गलत हुई थी?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की जमाबन्दी गलत होने के कारण ज्यादा मालगुजारी वसूल की गयी उन किसानों के रुपये पर सूद दिया जायगा?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि उन लोगों से ज्यादा रुपया वसूल कर लिया गया फिर भी उनको उस रुपये का सूद नहीं दिया जायगा?

श्री चरण सिंह—जब रुपया कम वसूल होता है और गवर्नमेंट देर में वसूल कर पाती है तो वह भी उस रुपये पर किसानों से सूद नहीं लेती, इसलिये उनको भी सूद नहीं दिया जायगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह रकम कितनी है जिसको आगे के सन् में मुजरा किया जायगा?

श्री चरण सिंह—मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि बहुत थोड़े खाते ऐसे हैं जिनमें गलती हुई है, जिसका होना स्वाभाविक था। अब यह सूचना इकट्ठा करना कि कितने खाते थे, कितना रुपया और कितने आदमी थे, इसको इकट्ठा करना मैं गैर जरूरी समझता हूं।

मुरादाबाद जिले की कृषि योग्य बंजर भूमि

*६६—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में कुल कितनी भूमि में खेती होती है और कितनी भूमि बंजर है जो खेती के काम में लाई जा सकती है?

श्री चरण सिंह—जिला मुरादाबाद में ११,५०,२४६ एकड़ में खेती होती है और १,४२,७१० एकड़ बंजर भूमि है। इस बञ्जर भूमि में से खेती में कितनी लाई जा सकती है यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस १,४२,७१० एकड़ बंजर भूमि में से कितनी भूमि चरागाह के काम में आती है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं हैं और न आसानी से उनका इकट्ठा किया जाना ही सम्भव है।

मुजफ्फरनगर जिले में चकबन्दी में देरी

*६७—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के किन-किन गांवों में पूर्णतया चकबन्दी हो चुकी है?

श्री चरण सिंह—जिला मुजफ्फरनगर जिले के किसी भी गांव में अभी तक चकबन्दी पूर्णतया नहीं हुई है।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में चकबन्दी किस तारीख से शुरू की गयी?

श्री चरण सिंह—ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता गालिबन मई आखिर में या जून शुरू में अफसरान वहां पहुंच चुके थे।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब मई के शुरू में चकबन्दी शुरू कर दी गयी तो क्या कारण है कि एक गांव में भी अभी तक चकबन्दी पूरी नहीं हुई?

श्री चरण सिंह—कारण यह है कि कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में माननीय सदन ने जो धारायें रक्खी हैं उनके अनुसार एक माह या तीन हफ्ते का समय देना पड़ता है जब कि विवाद का भी कोई मामला न हो, इसीलिये अभी तक पूर्णतया चकबन्दी कहीं नहीं हो सकी है यद्यपि डिमारकेशन पूर्णतया हो चुका है। अक्टूबर में मैं वहां गया था तो कई गांवों में नक्शे पर चकबन्दी हो गयी थी, क्योंकि अब वह निश्चित समय जरूर बिताना था। इसलिये मौके पर चकबन्दी नहीं कर पाये हैं। मुमकिन है आज जब कि मैं जवाब दे रहा हूं कुछ स्थानों पर मौके पर भी चकबन्दी हो गयी होगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि मुजफ्फरनगर के कितने गांवों में चकबन्दी का काम शुरू हो गया है?

श्री चरण सिंह—मुझे गांवों की संख्या ठीक याद नहीं है। कई सौ गांव हैं।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चकबन्दी पूर्णतया कब तक पूरी हो जायगी?

श्री चरण सिंह—मुझे उम्मीद है कि चार-पांच महीने में उस तहसील में जरूर पूरी हो जायगी।

*६८—श्री राम सुभग वर्मा—[स्थगित किया गया]

*६९—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया]

*७०—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया]

अतारांकित प्रश्न

बांसी तहसील में भूमिधरी की सनदें

१—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में भूमिधरी कोष में कुल कितना रुपया वसूल हुआ है?

श्री चरण सिंह—बस्ती जिले की बांसी तहसील में भूमिधरी कोष में कुल ५१,७३, ९८५ रु० ८ आना ४ पाई वसूल हुआ है।

२—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी की कि उक्त रुपये में से कितने रुपये की सनद अब तक किसानों को मिलीं ?

श्री चरण सिंह—उक्त रुपये में से ४३,०४,१८८ रुपया २ आना २ पाई की सनदें अब तक किसानों को मिलीं ?

कृषि विभाग का कृषि सूचना ब्यूरो

३—श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के अन्तर्गत कोई प्रचार तथा सूचना विभाग भी है ? यदि हां, तो वह किस अधिकारी के मातहत है ?

श्री चरण सिंह—जी हां। कृषि सूचना ब्यूरो है यह ब्यूरो उप-संचालक, कृषि सूचना एवं प्रचार के अधीन है।

४—श्री बाबूनन्दन—[स्थगित किया गया।]

जिला गाजीपूर के मुअत्तल लेखपाल

५—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद के कई लेखपाल १९५३ से आज तक मुअत्तल किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री चरण सिंह—जी हां। सन १९५३ ई० से आजतक २२ लेखपाल मुअत्तल किये गये हैं।

मरहद, जिला गाजीपुर के लिए रोड़वेज स्टेशन

६—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरहद, जिला गाजीपुर में रोडवेज स्टेशन खोलने की योजना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[स्थानान्तरित किया गया।]

मथुरा जिले में गोशाला का अभाव

८—श्री रामहेत सिंह—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मथुरा जिले में कितनी सरकारी गोशालायें हैं ?

श्री चरण सिंह—मथुरा जिले में कोई सरकारी गौशाला नहीं है।

[मंगलवार, २८ दिसम्बर, १९५४ के लिये निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री झारखंडे राय—[स्थगित किये गये।]

*४-६—श्री गोवर्धन तिवारी—[स्थानान्तरित किये गये।]

मैनपूरी जिले में नलकूप निर्माण योजना

*७—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की तहसील जसराना में जो नलकूप का परीक्षण कार्य हो रहा था उसकी क्या प्रगति है और परीक्षण का क्या फल निकला है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जिला मैनपुरी की तहसील जसराना में उत्तर की ओर ३६ नलकूप बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक तीन नलकूपों पर निम्नलिखित काम समाप्त हुआ है :

नल कूल संख्या १७ (नगला अचल) डिस्चार्ज २७,३३५ गैलन प्रति घंटा।
नलकूप संख्या २६ (नगला पादम) डिस्चार्ज १४,५८६ गैलन प्रति घंटा।
नलकूप संख्या ३१ (नगला पादम) उचित जलस्तर न मिलने के कारण यह नलकूप छोड़ दिया गया है।
बाकी नलकूपों पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ होगा।

*८—श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या सरकार तहसील के दक्षिण-पश्चिम के भाग में भी नलकूप लगाने की योजना बना रही है यदि हां, तो इस पर कब से कार्य आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—उस भाग में नलकूप बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री विष्णु दयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या १७ और २६ से कब तक पानी मिलना शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि १७ में पानी अच्छा है लेकिन १४ में पानी अच्छा न होने के कारण उसे अभी छोड़ दिया गया है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील के जिस भाग में नलकूल लगाये जा रहे हैं उसके अलावा जो भाग बच रहे हैं उसमें सिंचाई के साधन कम हैं और पानी बहुत गहराई में और कड़ुआ है ?

श्री राममूर्ति—ये जो ३६ नलकूप बनने वाले हैं यह अभी बने नहीं हैं क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वह कामयाब नहीं हुआ है। उसके बाद फिर विभाग की तरफ से एक्सपेरिमेंट हुआ और वह कामयाब हुआ है। तो बाकी नलकूप भी अब बन जायेंगे।

जिला फैजाबाद के नलकूप

*९—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में कुल कितने नलकूप है और उनमें से कितने इस समय पूर्णरूप से पानी देते हैं और कितने बेकार हैं ?

श्री राममूर्ति—नवम्बर, १९५४ के अन्त तक फैजाबाद जिले में ११७ सरकारी नलकूप चालू थे। ये सभी नलकूप पूर्णरूप से पानी देते हैं और कोई बेकार नहीं है।

*१०—श्री रामदास रविदास—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो कुयें बेकार हैं वे कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपके पास काश्तकारों के पास से कोई ऐसी एप्लीकेशन आयी है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मुझे तो स्मरण नहीं है कि ऐसी कोई ऐप्लीकेशन आयी है। यदि माननीय सदस्य कोई सूचना दें तो मैं उसकी जांच कर लूं कि कहां पानी नहीं मिल रहा है।

जिला बांदा में पैसुनी व ओहन नदियों पर बांध निर्माण की योजना

*११—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि करबी, मऊ क्षेत्र जिला बांदा की किन किन नदियों में बांध बनाना अगली पंचवर्षीय योजना में लिया गया है ?

श्री राममूर्ति—बांदा जिले के करबी मऊ क्षेत्र की सिंचाई के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में पैसुनी व ओहन नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव है।

*१२—श्री जगपति सिंह—क्या इनमें टिकरिया के पास वाला 'फाल' भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*१३—श्री जगपति सिंह—क्या इस बांध के लिये विन्ध्य प्रदेश सरकार से पिडरा ग्राम की जमीन की बाबत बातचीत हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति—अभी तक विन्ध्य प्रदेश सरकार से इस विषय में कोई बात चीत नहीं हुयी है।

श्री जगपति सिंह—क्या सरकार इस जिले के पहाड़ी भाग में छोटे छोटे बांध बना कर उससे दो चार गांवों की सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करने पर सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां बुन्देलखंड की ऐसी तमाम एरिया का सरवे बराबर होता रहा है और जहां जहां मौके मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे बांध बनाये जाते हैं। इस क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो छोटे छोटे बांध बनाये जाते हैं उनका खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है कि जितना लाभ होने वाला है उस दृष्टि से खर्चा बहुत अधिक है।

प्रश्नोत्तर में साधारण से अधिक समय देने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—कल क्या यह तय हुआ था कि २ घंटे सवाल होंगे ? मुझे स्पष्ट याद है कि यह तय हुआ था कि आज के प्रश्न कल ले लिये जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं प्रस्ताव किये देता हूं कि प्रश्न एक घंटा और ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रश्नों का समय आज बढ़ा दिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज का एक घंटा प्रश्नों में लग चुका है इसलिये बाकी प्रश्न दूसरे दिन ले लिये जायं और आज न लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—शांति। दूसरे रोज तो अब मौका नहीं मिलेगा, उसका कारण यह है कि आज के बाद सदन स्थगित हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं प्रस्ताव करूंगा कि आधा घंटा सवालात के लिये और दे दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं ने हुजूर, इस लेजिस्लेचर की जिन्दा तारीख में भी और किताबों में भी कभी इस बात की मिसाल नहीं पाई है कि कहीं किसी वजह से कभी क्वेश्चन्स न हुये हों और इस तरह की तजवीज जैसी की गई है आई हो, ऐसी कोई मिसाल मेरे सामने नहीं है। यों हाउस को और आप को अख्तियार है लेकिन मैं इस की कोई खास जरूरत महसूस नहीं करता हूं कि ऐसा किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय हाफिज जी को बताना चाहता हूं कि यहां पार्लियामेंटरी तारीख में बहुत सी

[श्री राजनारायण]

ऐसी बातें हो रही हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते, लेकिन इस प्रकार यहां में यह निवेदन कर रहा हूं कि कल सदन में आपने आश्वासन दिया था कि कल के सवालात आज लिये जायंगे मैंने सुबह से कई बार माननीय मंत्री जी से और आप से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की लेकिन कनटेक्ट न हो सका और पता नहीं लगा कि आज के प्रश्न लिये जायंगे या नहीं और क्या आज का कार्यक्रम रहेगा। यदि कल सदन में ये भाव व्यक्त हुये हैं तो आज इन प्रश्नों को ले लेना ही चाहिये और आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि प्रश्नों का इस तरह से मारा जाना ठीक नहीं है। सदन शायद इस बार प्रोरोग हो जायगा और हमें मालूम ही न हो सकेगा कि उन पर सरकार का क्या उत्तर है, क्या नीति है इसलिये हाफिज जी कोई अनोखी तारीख बता कर प्रश्नों को मारने की कोशिश न करें, और अच्छा है यदि आधा घंटा में जो खास खास प्रश्न हैं वे ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---इतना स्पष्टीकरण मैं इस वक्त दे दूं कि साधारण नियम यह है कि प्रश्नों के लिये १ घंटा दिया जाता है लेकिन अगर सदन एक मत से तय कर दे कि प्रश्नों के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय तो उस में कोई बाधा नहीं है, यह एक नई चीज होने पर भी उस को अधिकार है, इसलिये इस के मेरिट्स पर विचार कर लिया जाय कि यह उचित है या नहीं। वैसे मैं कोई नई चीज से घबराता नहीं हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने तो, जनाबवाला, कभी इंकार नहीं किया कि हाउस या चेयर ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तो यही कहा था कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन अभी इस संबंध में मुझे मालूम हुआ और जो कुछ कल तय हुआ था उस की रू से आज वह लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझे लेता हूं कि सदन का यह मत है कि आज प्रश्नों के लिये समय बढ़ाया जाय।

प्रश्नोत्तर---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य कृपा करके शान्तिपूर्वक अपने स्थानों को ग्रहण किये रहें, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि कौन सदस्य कहां पर खड़े हो रहे हैं।

बांसी की मुन्सिफी के मुकदमे

*१४---श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ व १९५३ में मुंसिफी बांसी, जिला बस्ती में कुल कितने मुकदमे दायर तथा फैसल हुये हैं और उनमें से कितने मुकदमे अब तक फैसल होने को बाकी हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---मुंसिफी बांसी जिला बस्ती की अदालत में सन् १९५२ व १९५३ में ३४५ व १०११ मुकदमे दायर हुये और ३३० व ७२७ मुकद्दमे फैसल हुये थे। अक्टूबर के महीने तक २९९ मुकद्दमे फैसल होने को बाकी थे।

बिजनौर जिले के नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में सिंचाई के साधनों का अभाव

*१५---श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--- क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर जिले के अन्तर्गत नजीबाबाद व बढ़ापुर परगनों में आबपाशी का कोई प्रबन्ध नहीं है?

श्री राममूर्ति---जी हां।

*१६—श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार उपर्युक्त परगनों (नजीबाबाद व बढ़ापुर) में नलकूप बनाने या आयोजित रामगंगा डैम से नहर बनाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—आयोजित रामगंगा जलाशय से निकाली जाने वाली नहरों से नजीबाबाद व बढ़ापुर क्षेत्रों की सिंचाई करना सम्भव नहीं है। उक्त क्षेत्र में कुछ अन्वेषणात्मक नलकूप बनाने का विचार है। यदि वह सफल हुए तो और नलकूप बनाने पर विचार किया जायगा।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि नजीबाबाद शहर के पास जलालाबाद रेलवे में नलकूप पूरी तरह से कामयाब हुये हैं और उस पर विचार करके नलकूप बनवायेगी ?

श्री राममूर्ति—हमारे पास तो रेलवे के बारे में कोई इन्फार्मेशन नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं तो ठीक होगा, हम उसको देख लेंगे।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ये जो पम्पिंग सेट्स बन रहे हैं इससे बिजनौर जिले के किस किस हिस्से में नहरें बना दी जायेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस योजना की तफसील तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे और उसके लिये सूचना मिलेगी तो मंगाकर बता दिया जायेगा।

पथरी पम्प योजना की असफलता

*१७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहरानपुर)—क्या यह सही है कि पथरी नदी से सिंचाई करने के लिये कुछ पम्प लगाने की योजना सरकार ने बनायी थी और उस पर अमल भी शुरू किया गया था ?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि सहारनपुर जिले में पथरी राव झरने पर ८ पम्पिंग प्लान्ट लगाने की एक योजना बनाई गई थी। परन्तु उसको कार्यान्वित नहीं किया गया।

*१८—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना को स्थगित करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—उस योजना को कार्यान्वित न करने का यह कारण था कि उक्त पम्पिंग प्लान्ट लगाने से गंगा नहर में नरोरा स्थान पर पानी की कमी हो जायेगी, जिसके कारण कुछ ऐसे स्थानों पर पानी की कमी हो जायगी जहां इस समय नरोरा स्थान से पानी उपलब्ध किया जाता है।

*१९—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार पुनः इस पथरी पम्प योजना को चालू करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। कारण प्रश्न १८ के उत्तर में बता दिया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि ये आठों पम्पिंग सेट्स नरौरा नदी पर लगा दिये गये थे ?

श्री राममूर्ति—ये नरौरा नदी पर लगाये तो नहीं गये थे।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि पम्पिंग सेट्स की योजना बनने के बाद नरोरा नहर बनी या पहले ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें जो प्लान्ट लगाने की योजना हुई थी पथरी पर वह प्लान्ट सहारनपुर में बने थे। उससे सिंचाई विभाग का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब प्लान्ट खरीदा गया तब सिंचाई विभाग ने यह कहा था कि अगर यह प्लांट लगाये जायेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि पानी की कमी हो जायगी। लेकिन पथरी के प्रश्न पर, कि उसका क्या उपयोग हो सकता है और उसके लिये क्या प्रबन्ध हो सकता है, इस विषय पर हम विचार करेंगे।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन पम्पिंग प्लांट्स के लगाने में कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री राममूर्ति—जब यह प्लांट्स वहां लगे नहीं तो इन पम्पिंग प्लांट्स को दूसरी जगह काम पर लगा दिया गया।

गाई चवर, जिला गाजीपूर में नलकूप बनाने का सुझाव

*२०—श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के 'गाई चवर' ग्राम में नलकूप बनाने की कोई योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, क्योंकि ग्राम 'गाई' व ग्राम 'कस्तूबा' प्रत्येक में एक सरकारी नलकूप लगाया गया है, जिसके command में 'गाई चवर' ग्राम आ जाता है।

रामपुर अदालत पर पाकिस्तानी झन्डा फहराने की अफवाह

*२१—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि गत १५ अगस्त, १९५४ को रामपुर की किसी अदालत में किसी व्यक्ति ने पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैयद अलीजहीर—जी नहीं।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जांच किसके द्वारा हुई थी, जिसके आधार पर जवाब दिया गया है?

श्री सैयद अलीजहीर—यह जिलाधीश को खत लिखा गया था और उनका जो जवाब आया है वह मेरे पास है। उसमें लिखा है कि ऐसा कोई वाक़या वहां नहीं हुआ।

*२२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[स्थिगित किया गया।]

*२३–२४—श्री गंगाधर मैठाणी—[स्थानान्तरित किये गये।]

*२५—२६—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२७–२८—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय—[स्थिगित किये गये।]

*२९—श्री राजाराम शर्मा—[१५ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जिला आजमगढ़ की कप्तानगंज—अहिरौला सड़क

*३०—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में कप्तानगंज से अहिरोला जाने वाली सड़क को पक्का करने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी?

नोट—तारांकित प्रश्न ३० श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस सड़क के न होने से यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क तो है ही, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि सरकार ने इस सड़क को सन्निकट में जिला बोर्ड को वापस कर दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस सड़क पर मिट्टी पड़ चुकी है और पुलियां भी बन चुकी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जब सड़कें ली गई थीं तो मिट्टी डाल कर और कहीं कहीं पुलिया बना कर ही कुछ सड़कें वापस की गयी हैं।

*३१-३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले के निर्माण कार्य

*३३—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि जिला बस्ती में सन् १९५३ व सन् ५४ के अन्तर्गत कौन-कौन निर्माण कार्य कहां कहां हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बस्ती में सन् १९५३-५४ के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हुये उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५३२ पर)

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद-मुखलिसपुर सी० सी० ट्रैक सड़क कब बनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है?

श्री रामसुन्दर राम—क्या मंत्री महोदय कृपा कर यह बतायेंगे कि नौगढ़-शोहरतगढ़ सड़क कितनी बन चुकी है और कितनी बाकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कितनी बन चुकी है इसके लिये मेरे पास कोई सूचना नहीं है?

प्रयाग तथा काशी व आगरा तथा दिल्ली के बीच स्थित धर्मशालाओं की मरम्मत का सुझाव

*३४—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रयाग और काशी के बीच तथा आगरा और दिल्ली के बीच P. W. D. सड़क के किनारों पर जो धर्मशालाएं पहले से बनी हुई हैं, उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी नहीं।

नैमिषारण्य व मिश्रिख के लिए बिजली की मांग

*३५—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनवसा हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर, जो सीतापुर जिले में नदी कठिना और गोमती के बीच होकर आ रही है, उसे समीप के गांवों में रोशनी के लिये कब तक दे देने का सरकार विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—खटीमा बिजलीघर के चल जाने पर जिला सीतापुर के उन देहाती क्षेत्रों को जहां बिजली की लाइनें लगी हों बिजली दी जा सकेगी।

*३६—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सीतापुर जिले की तहसील मिश्रिख के प्रसिद्ध स्थान मिश्रिख नैमिषारण्य को रोशनी के लिये विद्युत देने का कब तक विचार रखती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मिश्रिख और नीमसार कस्बों को बिजली देने पर सन् १९५५ में मुनासिब वक्त पर विचार किया जा सकेगा।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इन लाइनों पर १५ जनवरी, १९५५ से बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र लेने का निश्चय किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे कोई इत्तिला नहीं है।

श्री गंगाधर शर्मा—ऐसा मुझे मालूम हुआ था इसलिये मैंने पूछा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुमकिन है कि चीफ इंजीनियर साहब के दफ्तर से हुआ हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं है।

श्री गंगाधर शर्मा—सन् ५५ में डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में मिश्रिख में जो वहां मार्च का मेला लगता है, और कई लाख आदमी जमा होते हैं, उसके लिये बिजली देने की क्या सरकार कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरा मतलब यह नहीं है कि जो मार्च आने वाला है उसमें मिश्रिख में बिजली लग जायेगी। मेरा मतलब यह है कि जो आगे आने वाला साल है, उसमें जब हम गौर करेंगे कि कहां कहां बिजली लगाई जायेगी उसमें मिश्रिख के मुताल्लिक भी हम गौर करेंगे।

*३७–३९—श्री सत्यसिंह राणा (जिला-टेहरी गढ़वाल)—[स्थगित किये गये।]

*४०—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किया गया।]

*४१—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[स्थगित किया गया।]

घाघरा से नहरें निकालने का सुझाव

*४२—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार बाढ़ से रक्षा और सिंचाई की सुविधा के लिये घाघरा से नहर निकालने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—घाघरा से टांडा और दोहरी घाट पम्प नहरें तो निकाली ही जा रही हैं। इनके अतिरिक्त आजमगढ़ पम्प नहर भी घाघरा से ही निकलेगी।

श्री रघुराज सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घाघरा नदी से जिला गोंडा में भी नहर निकालने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

*४३—श्री महमूद अली खां (जिला सहरानपुर)—[स्थगित किया गया।]

*४४–४५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

धसान नदी का देवरी बांध

*४६—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री के पास इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि धसान नदी के देवरी बांध में बालू भर जाने के कारण वह जिला हमीरपुर को आवश्यकतानुसार पानी नहीं दे पाता है ?

श्री राममूर्ति—बालू आ जाने के कारण भराव कुछ कम हो गया है। पर पानी की कमी नहीं है क्योंकि वह बांध जो सपरार नदी पर बनाया गया है, इस कमी को पूरा करता है।

*४७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पानी की इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार देवरी बांध के ऊपर कोई नये बांध बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला हमीरपूर में श्रीनगर के पास उर्मल नदी पर बांध का सुझाव

*४८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर (जिला हमीरपुर) के पास उर्मल नदी पर कोई बांध बांधने की योजना उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या व्यय होगा, उसका कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और उससे कहा की कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सपरार बांध जो है यह कब से कैनाल धसान को पानी देने लगा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन मेरा खयाल है कि वह पानी देने लगा है ?

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गत वर्ष जिला हमीरपुर की तहसील राठ को केवल एक ही बार पानी मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत वर्ष बुन्देलखंड में पानी बहुत कम बरसा था, हमारे बांधों में भी पानी बहुत कम था।

*४९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[स्थगित किया गया।]

*५०—श्री गंगाधर मैठाणी—[२३ दिसम्बर, १९५४ को प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५१-५२—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—[स्थगित किये गये।]

बलिया जिले में घाघरा के बांधों का जीर्णोद्धार

*५३—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले में घाघरा नदी की बाढ़ के पानी को रोकने के लिये सिकन्दरपुर से लेकर चांदपुर तक कई एक पुराने बांध बंधे हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न ५३ से ५५ तक श्री ब्रजविहारी मिश्र ने पूछे।

*५४—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि इन बांधों की हालत इन दिनों खराब होती जा रही है और मलाहीचक कोटवा बांध तो अब करीब-करीब टूटने ही वाला है ?

श्री राममूर्ति—कुछ दिनों से इन बांधों की मरम्मत न होने के कारण यह जगह जगह पर टूट गये हैं। मलाहीचक कोटवा बांध को भी सोटा नाले ने जगह-जगह तोड़ दिया है।

*५५—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन बांधों के उद्धार का कार्य शीघ्र आरंभ करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले में घाघरा नदी की बाढ़ के पानी को रोकने के लिये फ्लड डिविजन, बलिया, द्वारा सर्वे किया जा रहा है और आशा की जाती है कि आवश्यक कार्य इसी साल प्रारम्भ कर दिये जायेंगे और आगामी वर्षों में बलिया जिले की जनता को घाघरा की बाढ़ से हानि न पहुंचेगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो बांध स्थान-स्थान पर खराब हो गये हैं उनको तुरन्त दुरुस्त कराने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—तुरतीपार से सुरईमानपुर एक बांध बनने वाला है। उसके बन जाने से बाकी बांध कवर हो जायेंगे और फिर उनकी मरम्मत की कोई जरूरत नहीं होगी।

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर पुल निर्माण

*५६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गढ़मुक्तेश्वर (जिला मेरठ) में गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, यह कार्य नेशनल हाईवे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। पुल को शीघ्रातिशीघ्र बनाने का प्रयत्न हो रहा है।

*५७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बनवाने में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगभग १ करोड़ रुपये।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर पर पुल बनाने के लिये कौन-कौन कार्यवाही की जा रही है जिससे यह समझा जाय कि शीघ्रातिशीघ्र बन जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका ऐस्टीमेट वगैरह केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया जायगा। भूमि की प्राप्ति के काम और मिट्टी भराई के काम की स्वीकृति वहां के कन्सल्टेटिव इंजीनियर से बातचीत करके ले ली गई है और मिट्टी भराई तथा भूमि प्राप्ति वगैरह का काम हाथ में ले लिया गया है।

गाजियाबाद में हिन्डन के पुल को चौड़ा करने की योजना

*५८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद (मेरठ) पर हिन्डन नदी के जी० टी० रोड के पुल को चौड़ा करने की कोई योजना है ? यदि हो, तो इस पर कितना व्यय होगा और कब तक इस पर कार्यारम्भ होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस पर लगभग ४,२३,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है। कार्य का एस्टीमेट केंद्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया है जिसकी प्राप्ति पर कार्यारम्भ होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री जी बतायेंगे कि गाजियाबाद में हिन्डन ब्रिज का एस्टीमेट केंद्रीय सरकार के पास प्रदेशीय सरकार ने कब भेजा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की आवश्यकता है ।

*५९–६१—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद जिले की अदालतों के विचाराधीन मुक़दमे

*६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला इलाहाबाद की अदालतों में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनका कि फैसला ३ वर्ष से नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अलीजहीर—ऐसे मुकदमों का विवरण निम्नलिखित है :

ओरिजिनल	..	..	२६६
एक्ज़ीक्यूशन	..	..	७०
मिसलेनियस	..	..	१
सिविल अपील्स	..	..	१५

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इतना समय इन मुकद्दमों में क्यों लग रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं नहीं समझा कि इसमें टाइम कहां लग रहा है ? इतने मुकद्दमें पेंडिन्ग हैं ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा समय किस मुकदमे में लग रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा समय किस मुकदमे में लग रहा है ।

कालपी, जिला जालौन के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*६३—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला जालौन में कालपी बेंच के लिये आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, तीन आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ।

*६४—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि Honorary Magistrate की नियुक्ति के नियम (Rules) क्या हैं, और क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के नियम की एक प्रतिलिपि मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५३३–५३६ पर)

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को यह मालूम है कि इन तीन में से एक शख्स ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने में तकर्रुर किये गये थे और उनके लिये यह तय किया गया था कि कालपी, जहां के वह रहने वाले हैं, वह उनकी अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—पहले मैजिस्ट्रेट तो थे, उनमें से एक कालपी के थे, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि कालपी उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं रहेगी, इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह शर्त जो लगाई गई है, वह सही है और सही होने पर उसकी पाबन्दी सरकार करायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं इसकी जरूरत नहीं समझता कि जो अंग्रेजों के जमाने में कायदा था मैं भी उसकी पाबन्दी करूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के नियमों में कोई तब्दीली करने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

इलाहाबाद छावनी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई

*६५—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार के पास इलाहाबाद कैंटूनमेंट एरिया के निवासियों की ओर से एक पत्र दिनांक २७-१०-५४ को बिजली पर लगाये गये कर की अनियमितता के संबंध में प्राप्त हुआ है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*६६—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त एरिया में M. E. S. विभाग की बिजली कहां से और किन शर्तों पर लेने व बांटने की आज्ञा प्रदान हुई है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इस एरिया में M. E. S. विभाग यू० पी० एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद से बिजली लेकर सप्लाई करता है। इस सप्लाई का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है।

मिर्जापुर जिले का अपर खजूरी बांध

*६७—श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मिर्जापुर जिले में प्रस्तावित Upper Khajuri Dam में कितने रुपये का व्यय होगा और कब से उसका निर्माण आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—अपर खजूरी बांध का अनुमानित व्यय ४५ लाख रुपये होगा। यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है और इसका निर्माण कार्य १९५६-५७ तक आरम्भ होने की आशा है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से कितने एकड़ की सिंचाई में वृद्धि हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—लगभग १५ हजार एकड़ जमीन को पानी मिलेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर किसी नहर में फीडर होगी या सीधे सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—यह तो उसी बांध से आयेगी, फीडर का क्या सवाल है।

नोट—तारांकित प्रश्न ६७ व ६८ श्री व्रजभूषण मिश्र ने पूछे।

रिहन्द बांध योजना के डिवीजन

*६८—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध योजना में अब तक कितने डिवीजन खुल चुके हैं और इस वर्ष कितने और खुलने वाले हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीमज—रिहन्द बांध योजना के सिलसिले में अब तक आठ अस्थायी डिवीजन और एक डिजाइन आफिस, जो कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के चार्ज में है, खुल चुके हैं। तीन और डिवीजन इस साल खुलने की उम्मीद है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि इन डिवीजनों में जो नियुक्तियां हों वह यथासंभव जिले के ही लोगों से की जायं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इस पर सोच लूंगा, आपसे बात कर लूंगा।

*६९—७०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में नलकूप निर्माण

*७१—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में ट्यूबवेल बनवाने का ठेका किस कम्पनी को दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—सुल्तानपुर जिले में नलकूप बनवाने के लिये जर्मन वाटर डेवलपमेंट कारपोरेशन और हैरेल्ड टी० स्मिथ को ठेका दिया गया है।

*७२—श्री रामबली मिश्र—क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि ट्यूबवेल की जो सड़कें बनाई गई हैं उनका मुआवजा अभी तक संबंधित लोगों को नहीं दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवैल की सड़कें बनाने अथवा अन्य कामों के लिये जो जमीन ली जाती है उसको लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ व ६ के अन्तर्गत विज्ञप्त किया जाता है तथा सब वैधानिक कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद जिलाधीश मुआवजा अदा करते हैं। चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि जिन लोगों की भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत ली जाय उनको उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाय।

श्री रामबली मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ठेका जर्मन कम्पनी को दिया गया है उसने अब तक कितना काम किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमरीकन फर्म को तो ८० कुयें बनाने हैं और ५० कुयें जर्मन कम्पनी को। जर्मन कम्पनी ने तो मैं समझता हूं अपना काम पूरा कर दिया है।

बांसी तहसील के पनघटिया बांध की मरम्मत

*७३—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में विगत बाढ़ के कारण बाढ़ क्षेत्र में जो पनघटिया बांध की मरम्मत टेस्ट वर्क द्वारा कराई गई थी उस पर आवश्यक पुलियों का निर्माण कराने और पाइप लगवाने का विचार वह रखती है ?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना की स्थानीय अधिकारियों से सरकार प्रतीक्षा कर रही है और उसकी प्राप्ति पर माननीय सदस्य को यह उपलब्ध कर दी जायगी।

अल्मोड़ा-झूलाघाट मार्ग में सरयू के पुल का पुनर्निर्माण

*७४—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० की अल्मोड़ा-झूलाघाट मार्ग में सरयू नदी पर स्थित हरड़ा पुल को बहे कितने वर्ष हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पुल १३ अगस्त, १९५० ई० को बहा था।

*७५—श्री गोवर्धन तिवारी—बहे हुये उपर्युक्त हरड़ा पुल (जिला अल्मोड़ा) का पुनर्निर्माण किस सन् में विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अक्तूबर, १९५१ ई० में।

*७६—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि हरड़ा पुल का निर्माण-कार्य अर्से से बन्द है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लोहे के रस्से तथा अन्य आवश्यक सामग्री के यथा समय उपलब्ध न होने के कारण इस कार्य में विलम्ब हुआ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पुल का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका निर्माण हो जायगा।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुल का ठेका कितने रुपयों में दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी नोटिस की जरूरत है।

खीरी-ईसानगर रोड को पक्की करने का विचार

*७७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार खीरी ईसानगर रोड जिला खीरी का लगभग आधा भाग नव्वापुर घाट से ईसानगर तक पुख्ता कराने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सड़क कब तक पोख्ता हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका तो पता नहीं कि पोख्ता होने में कितना समय लगेगा।

*७८—राजा वीरेन्द्र शाह—[स्थानान्तरित किया गया।]

जगम्मनपुर जागीर से राज्य सरकार को प्राप्त इमारतें

*७९—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या यह सही है कि जो तीन पक्की इमारतें जागीर जगम्मनपुर जिला जालौन से राज्य सरकार को मिलीं, उनकी मरम्मत आज तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आवश्यक सूचना स्थानीय अधिकारियों से मांगी गई है, प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सूचना इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं तो समझता हूं कि जल्दी आ जायगी लेकिन चूंकि नहीं आयी है इसलिये शायद दो हफ्ते और लग जायं।

अयोध्या में सरजू पर पुल बनाने का सुझाव

*८०—श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अयोध्या में सरयू नदी पर पक्का पुल बनाने की योजना सम्मिलित कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका निर्णय केंद्रीय सरकार करेगी क्योंकि यह पुल लखनऊ गोरखपुर नेशनल हाई वे पर पड़ेगा।

*८१—श्री नारायण दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरयू नदी पर हर साल जो पैन्टून ब्रिज बनाया जाता है उसमें कितना व्यय होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लगभग ७८,००० रुपया।

*८२—श्री नारायण दास—अयोध्या में इस स्थान पर स्टीमर व बार्ज रखने पर प्रति वर्ष कितना व्यय करना पड़ता है और स्टीमर तथा नावों से वार्षिक कितनी आय होती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—व्यय लगभग ८०,००० रुपया।

आय लगभग ७०,००० रुपया।

श्री नारायण दास—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कोई योजना केंद्रीय सरकार के पास भेजी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इसकी योजना भेजी गई है।

श्री नारायण दास—तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वहां से उस योजना का क्या हुआ अब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक कोई इत्तिला नहीं आयी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना को भेजे हुये कितने दिन हुये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन और योजनाएं जब भेजी गई थीं पुल वगैरह की, उन्हीं के साथ यह भी भेजी गई?

देवरिया जिले की बैतालपुर-बैजनाथपुर सड़क के निर्माण की लेखा परीक्षा

*८३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में बैतालपुर, बैजनाथपुर, सी० सी० ट्रक रोड पर कितने बोरी सीमेंट खर्च के लिये गोदाम से ली गई, कितनी खर्च हुई और कितनी शेष बच रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोदाम से २९१० बोरी सीमेंट लिया गया जो सब प्रयोग में लाया गया और शेष कुछ नहीं बचा।

*८४—श्री रामेश्वर लाल—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उपर्युक्त सड़क पर खर्च सामान और लागत का निरीक्षण तथा आडिट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने किया और कुछ रिपोर्ट दी? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क पर खर्च हुए सामान और लागत के हिसाब का निरीक्षण एकाउन्टेन्ट जनरल ने किया और उसको ठीक पाया।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि बैतालपुर, बैजनाथपुर सड़क की जांच के समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुछ सीमेंट सम्बन्धी गलतियां पाई थीं और अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २९१० बोरी सीमेंट की एक ही बार में इश्यू हुई थीं या कई बार में और किस व्यक्ति को?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तहरीर में नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि कई बार में हुई होंगी। इकट्ठी एक साथ इतनी बोरी नहीं दी गई होंगी।

बुलन्दशहर जिले की ग्राम सभाओं में रेडियो सेट

*८५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में रेडियो सेट लगवाये गये हैं? यदि हां, तो किस किस ग्राम सभा में?

श्री राममूर्ति—जी हां, जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में रेडियो सेट लगे हैं :

(१) ग्राम हाजीपुर
(२) ,, जौलीगढ़
(३) ,, दयानतपुर
(४) ,, बद्धावजीतपुर
(५) ,, कमालपुर
(६) ,, सेगा जगतपुर
(७) ,, जौन सेवाना
(८) ,, कनीगढ़ जेवार
(९) ,, मौखरा
(१०) ,, अकबरवास कनानी
(११) ,, सुरजावाली
(१२) ,, भाईपुर
(१३) ,, रतनपुर
(१४) ,, राजघाट
(१५) ,, नयावास
(१६) ,, जिरौली
(१७) ,, खुशालाबाद
(१८) ,, दौलतपुर
(१९) ,, शेखूपुर रौरा
(२०) ,, अगवल
(२१) ,, हलपुरा
(२२) ,, नीमछना
(२३) ,, छप्पा ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में जिन गांव समाज में रेडियो सेट लगाने की सूचना दी गई है उसका पूरा खर्चा सरकार देगी या ग्राम सभायें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके नियम बने हुये हैं कि जो सेट्स दिये जाते हैं उसमें कुछ रुपया ग्राम सभायें देती हैं, बाकी गवर्नमेंट की ओर से ग्रांट होती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले के अलावा अन्य ग्राम सभाओं ने भी रेडियो लगाने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह हो सकता है कि भेजे हों लेकिन मुझे इस समय याद नहीं है।

*८६—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—[स्थानान्तरित किया गया।]

अनुपूरक विधान सभा

फैजाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेट श्री श्रीनिवास उपाध्याय के घर से फाइलों की चोरी

*८७—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि फ़ैजाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेट श्री श्रीनिवास उपाध्याय के मकान से अदालत की कुछ फाइलें गायब हो गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार को यह इत्तिला मिली है कि कुछ अभियुक्तों ने जानबूझकर सजा से बचने के लिये यह चोरी कराई है ?

श्री सैयदअली जहीर—अभी तो इत्तिला नहीं है लेकिन तहकीकात हो रही है।

झूंसी, जिला इलाहाबाद की नहर निर्माण योजना

*८८—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या यह सत्य है कि झूंसी (जिला इलाहाबाद) से गंगा जी से नहर निकालने की एक योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो वह योजना इस समय किस अवस्था में है ?

श्री राममूर्ति—झूंसी के पास गंगा जी से एक नहर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी किन्तु निम्नलिखित कारणों से उसे त्याग दिया गया है :—

(अ) मार्च से लेकर मई तक जब कि नदी में पानी की कमी हो जाती है, उस समय पानी उठाना कठिन हो जायगा।

(ब) लगभग ८० फीट पानी पम्प करना पड़ता और इसकी लागत नलकूप की लागत की अपेक्षा अधिक तथा असंगत होती।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना द्वारा कितने क्यूसेक्स पानी देने की सम्भावना थी और कितनी खेती की सिंचाई हो सकती थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल यह है कि एक हजार क्यूसेक्स से ज्यादा और शायद वह योजना चली होती तो बनारस की सीमा तक जाती।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि गंगा जी के पूर्वी भाग में जहां इतना पानी मिल सके, वहां से इस नहर की योजना के चलाने पर विचार करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस क्षेत्र में नलकूप लग रहे हैं, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—क्या यह सत्य है कि गंगा जी के कुछ ऐसे भाग हैं, जहाँ पानी के धरातल की वजह से नलकूप लगना सम्भव नहीं होगा ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी सवाल तो खूब कर रहे हैं लेकिन गंगा जी में से यदि और पानी उठा लिया गया तो सरस्वती देवी तो आगे से ही लुप्त हो गई हैं और गंगा जी भी अगर चली गयीं तो प्रयागराज की बड़ी मुश्किल हो जायगी।

अतारांकित प्रश्न

मिश्रिख, जिला सीतापुर की आनरेरी बेंच का टूटना

१—श्री डल्लाराम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिश्रिख तहसील, जिला सीतापुर की आनरेरी बेंच सस्पेन्ड हुये काफी समय हो चुका है और जनता को उससे अत्यन्त कष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो उसके प्रति सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—मिश्रिख बेंच अप्रैल, १९५३ से काम नहीं कर रही है। उसके टूटने से जनता को कोई कष्ट नहीं है। मुकदमों की कमी के कारण उसको फिर से कायम करने की फिलहाल जरूरत नहीं मालूम पड़ती।

२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—[स्थगित किया गया।]

३—श्री बाबूनन्दन—[स्थगित किया गया।]

४-६—श्री उमाशंकर—[स्थानान्तरित किये गये।]

७—श्री शिवपूजन राय—[स्थगित किया गया।]

८—श्री बाबूनन्दन—[स्थानान्तरित किया गया।]

विधान सभा सदस्य श्री अवध शरण वर्मा पर अभियोग की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि श्री अवधशरण वर्मा उपनाम लल्ला जी, सदस्य विधान सभा, पर श्री उमाशंकर नारायण, जुडीशल मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर-बाराबंकी की अदालत में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने और गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल को गन्ना देने से रोकने के आरोपों पर मुकदमा चलाया गया। २९७ दिन मुकदमा चलने के उपरान्त, १४ दिसम्बर, १९५४, को उक्त मैजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड विधान की धारा १४३, धारा १४९ के साथ पठित धारा ३४१ तथा धारा १८८ के अन्तर्गत दोषी पाया और भारतीय दण्ड विधान की धारा १४३ के अन्तर्गत तीन महीने के सादा कारावास का दण्ड दिया, भारतीय दण्ड विधान की धारा १४९ के साथ पठित धारा ३४१ के अन्तर्गत एक महीने का सादा कारावास का दण्ड दिया, और भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत एक महीने का सादा कारावास का दण्ड दिया। (उपर्युक्त सब धाराओं के अन्तर्गत दिये गये दण्ड साथ-साथ चलेंगे)।

श्री अवधशरण वर्मा, सदस्य विधान सभा, को सेशंस कोर्ट, बाराबंकी में अपील के लिए प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसी दिन अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया और उनको अपील के लिये २९ दिसम्बर, १९५४ का समय दिया गया।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष—आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ११ अभ्यर्थी विधिवत नाम निर्देशित हुए थे। श्री नेकराम शर्मा, श्री विष्णु-दयाल वर्मा, श्री मलखान सिंह, श्री श्रीचन्द्र, श्री तेजा सिंह, श्री त्रिलोकीनाथ कौल, श्री बाबूराम गुप्त, श्री पुत्तूलाल, श्री इस्तफा हुसैन, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल और श्री रमानाथ खैरा।

नामों की वापसी का समय २४-१२-५४ को ४ बजे तक था। इस समय के भीतर निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं :—

श्री नेकराम शर्मा, श्री श्रीचन्द्र, श्री तेजासिंह, श्री त्रिलोकीनाथ कौल, श्री बाबूराम गुप्त।

अब निम्नलिखित अभ्यर्थी शेष रह गये :

श्री विष्णुदयाल वर्मा, श्री मलखान सिंह, श्री पुत्तूलाल, श्री इस्तफा हुसैन, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, और श्री रमानाथ खैरा।

चूंकि ५ स्थान हैं, एवं ६ अभ्यर्थी हैं, अतः निर्वाचन अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में आज दिनांक २८-१२-५४ को विधान वाचनालय, विधान भवन में एक बजे से ५ बजे तक मतदान होगा। यह निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतानुसार होगा।

कतिपय स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष—हरिजन सम्बन्धी, शरणार्थी, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण (विद्युत), जेल, रसद, यातायात तथा सहकारी स्थायी समितियों में क्रमशः रिक्त १, २, २, १, १, २, १ तथा १ स्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में उपनिर्वाचन के लिये नामों की वापसी का समय २७-१२-५४ को एक बजे तक था। इस समय के भीतर कोई नाम किसी समिति से वापस नहीं लिया गया। चूंकि हरिजन सम्बन्धी, शरणार्थी, जेल, रसद व सहकारी स्थायी समितियों के लिये उतने ही वैध नाम निर्देशन हैं जितने स्थान इन समितियों में रिक्त हैं। अतः निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सामने दी हुई स्थायी समितियों के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया जाय—

श्रीमती आशालता व्यास, हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति के लिये निर्वाचित हुईं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी और श्री श्यामाचरण वाजपेयी, शरणार्थी स्थायी समिति के लिये निर्वाचित हुए।

श्री त्रिलोकीनाथ कौल, जेल स्थायी समिति के लिये निर्वाचित हुए।

श्री चिरंजीलाल जाटव और श्री श्रीचन्द्र, रसद स्थायी समिति लिये निर्वाचित हुए।

श्री दीनदयाल शर्मा, सहकारी स्थायी समिति के लिये निर्वाचित हुए।

सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण (विद्युत) तथा यातायात स्थायी समितियों के सम्बन्ध में रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक नामांकन हुए हैं। अतः इन समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही बाद में की जायगी।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४*

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ को सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० बिक्री कर नियम, १९४८ में कृत संशोधनों की तीसरी सूची **

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार यू० पी० बिक्रीकर नियम, १९४८ में संशोधनों की तीसरी सूची को सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स इमाल्युमेंट्स) रूल्स, १९४६ में कृत संशोधन*

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के

**कार्यवाही में छापी नहीं गयी।

*कार्यवाही में छापे नहीं गये।

[श्री सैयद अली जहीर]

अनुसार विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०८५/१७--३१५-१९४६, दिनांक १३ सितम्बर, १९५४ को, जिसके द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) रूल्स, १९४६ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद के लिये प्रार्थना

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ के नियमों की तरफ आकर्षित करता हूं। अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है और सदन को इस बात का अधिकार भी है कि वह नियमों में संशोधन और परिवर्तन भी कर सके। तो उचित यह था कि इन नियमों के ऊपर तत्काल विवाद हो। अगर ऐसा सम्भव नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जितनी जल्दी हो सके विवाद की व्यवस्था की जाय। इन नियमों के प्रस्तुत किये जाने में डेढ़ साल लग चुका है। इतनी देर इस संबंध में हो चुकी है और यह विषय विवादीय है। इतनी देर सरकार ने इन नियमों के बनाने में ली तो इस संबंध में विवाद होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--यह नियम कब बने और कब पेश हुये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--नियम कब बने यह तो सरकार ही बतला सकती है।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--नियम कब बने, इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन जहां तक बहस का सवाल है उसके लिये कोई भी दिन निश्चित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कुछ अरसा तो गुजरा ही होगा। जिस वक्त यह नियम बनें चूंकि सदन को यह अधिकार है कि उसमें परिवर्तन कर सके तो इस संबंध में आइन्दा कम से कम यह होना चाहिये कि वह शीघ्र ही सदन में लाये जायें, जिससे सदन का जो अधिकार है १५ दिन तक उनमें परिवर्तन करने का, वह पूर्ण हो सके। यह मैं मंत्रिगण से कह देना चाहता हूं कि यह उचित होगा। इस प्रकार से सदन का अधिकार जाया जाता है कि अगर बाद में पेश हों और १५ रोज की मियाद गुजर जाय और केवल उस पर विवाद होकर ही वह खत्म हो जाय तो यह सदन के साथ ज्यादती होगी। आइन्दा के लिये इस पर ध्यान रखना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो नियम अब बन चुके हैं इस वक्त बहस उन पर नहीं हो सकती है। तो इसके बाद विवाद के लिये समय दे देना चाहिये और जब सत्रावसान के बाद सदन फिर बैठे तो उस समय शीघ्र से शीघ्र इन पर विचार होना चाहिये।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अभी तक समय निर्धारण की एक कठिनाई है और उस कठिनाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह अधिनियम पिछले वर्ष बनाया गया था और पिछले वर्ष ही यह निश्चय हुआ था कि इस अधिनियम के मुताबिक जो नियम बनेंगे वह मिल चलने के सीजन के पहले इस सदन के सामने आ जायेंगे। इस नियम के अनुसार पिछले सीजन की कार्यवाही हो चुकी, इस वर्ष कार्यवाही हो रही है। अब यह इस समय विचार करने के लिये इस सदन के सामने आयेंगे, वह वक्त वह होगा जब कि करीब-करीब मिल बन्द होने जा रहे होंगे। तो इस सिलसिले में मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह बड़ी कठिनाई है लोगों को और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन कठिनाइयों का कारण केवल यही है कि इन नियमों में ऐसी त्रुटि रह गयी है जिनकी वजह से वह कठिनाई सामने है। मैं इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि यदि सदन में उन पर बहस होती तो सरकार को समझने का और उनको दूर करने का मौका मिलता। मगर अगर यह बात नहीं होती है और यही नियम निश्चित होते हैं तो जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे इस प्रकार का सुझाव चाहता हूं कि सरकार किसी प्रकार से ऐसे नियम बनावे जिस पर सरकार विवाद कर सके और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सके जिससे उनकी कठिनाई दूर हो सके। जैसे कि एक बात यह है कि इन नियमों के क्षेत्रों का बटवारा किया जा सकता है। क्षेत्रों का बटवारा करने में सरकार को मालूम नहीं कि जो आज से ८,१०,१५ वर्ष पहले क्षेत्र बने थे, उनमें बहुत से मामले में परिवर्तन आदि कराने के लिये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस साल भी यही बात है तो मैं समझता हूं कि अगर सारे सदन के माननीय सदस्यों का मत जानने का मौका सरकार को मिलता और इस सिलसिले में बात होती तो सरकारी अधिकारी या सरकार रद्दोबदल करने में कोई रिजिडिटी नहीं करते यदि वे रिजिडिटी न करें तो किसानों का बड़ा लाभ हो। तो इस संबंध में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं और सरकार से भी कहूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इस नियम में जो ऐसी दिक्कतें हैं, वे दूर कर दी जायं।

श्री अध्यक्ष--इसके विषय में जो कठिनाइयां हैं उनको जान कर ही मैंने बतलाया कि जो सुझाव मंत्रिगण को दिया जायगा उस पर वे विचार करेंगे। जहां तक प्रस्तुत प्रश्न आपने उठाया है कि सीजन खत्म होने वाला है, तो इस बीच में चाहे सदन न बैठे लेकिन मंत्रिगण तो यहां उपस्थित होंगे ही और मुझे आशा है कि जो सही सुझाव होंगे उन पर मंत्रिगण शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे। शासन का कार्य तो रोज चलता है और इस बीच में विरोधी दल की तरफ से या किसी दल की तरफ से जो भी सही सुझाव होंगे उन पर मंत्रिगण सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। लेकिन आइन्दा के लिये मैं जरूर चाहता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो हो गया वह तो बीत गया, क्योंकि समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया कि मंत्रिगण इस बीच में जो भी सुझाव हों उसके अनुसार दुरुस्त करने की कोशिश करें और आइन्दा सदन को अधिकार होगा कि सत्र के प्रारम्भ में इस पर बहस कर सकें।

प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन*

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति के सभापति की ओर से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन, जो गन्ना विकास विभाग से संबंधित है, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति का षष्टम् प्रतिवेदन*

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन सभापति की ओर से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग से संबंधित है, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, परसों तो माननीय उद्योग मंत्री जी ने बतलाया था कि तीन प्रतिवेदनों पर जो सरकार के पास आये हैं, वे कैबिनेट के विचाराधीन हैं और उन पर सदन में विचार हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कैबिनेट के विचार के बाद सरकार उन रिपोर्टों को या तो सदन की मेज पर रखे या अगर यह आज नहीं हो सके तो विधान सभा के सदस्यों के पास उनके घर के पते पर भेजा जाय। नियमानुकूल तो यही हो सकता है कि उस पर विचार हो, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री उससे असहमत हुये और उन्होंने बतलाया कि इस पर विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि

---

* कार्यवाही में छापा नहीं गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उस पर विवाद हो सकता है। तो यह भी विवाद का प्रश्न है कि उस पर विवाद हो सकता है या नहीं। इस संबंध में भी आप अपनी राय स्पष्ट कर दें कि अगर यह निकट भविष्य में हो जाय तो उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष--मेरी राय तो निकट भविष्य की ही होगी और वह सत्र के आरम्भ होने पर होना चाहिये, क्योंकि मैं स्वयं यह फैसला दे चुका हूं कि जो कुछ भी हो वह सदन को मालूम तो होना ही चाहिये। यह बात कि उस पर विवाद हो सकता है या नहीं, इस पर भी आप उसी वक्त जिक्र करेंगे।

१९५३ के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमों पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, १९५३, पर जो २७ सितम्बर, सन् १९५३ को सदन की मेज पर रखे गये, विवाद जारी होगा। इस संबंध में आपको बतला दूं कि सदन ने निश्चय किया था कि इस बीच में २८ तारीख तक लंच नहीं होगा, तो आज भी लंच नहीं होगा। आज विवाद ही है, इसलिये वोट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब इसके ऊपर विवाद जारी होगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३ के उपनियम (३) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु उसके विरुद्ध कोई शिकायत इन्दराज संबंधी अथवा रिश्वत की न पायी गयी हो।"

अध्यक्ष महोदय, नियम ३ का जो तीसरा उपखंड है वह इस प्रकार है--

"चकबन्दीकर्त्ता का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने इन नियमों के अधीन चकबन्दीकर्त्ता के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया हो।"

इसके आगे हम यह बढ़ाना चाहते हैं "परन्तु उसके विरुद्ध कोई शिकायत इन्दराज संबंधी अथवा रिश्वत की न पायी गयी हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चकबन्दी का कार्य एक ऐसा कार्य है जो हमारी और माननीय राजस्वमंत्री जी की इच्छा से यहां लाया गया है और जिस कार्य में सब की सहानुभूति मिलनी चाहिये और सहानुभूति सब की तभी मिल सकती है जब उस कार्य को पूरी पूरी पवित्रता के साथ किया जाय और यह चकबन्दीकर्त्ता जो होंगे उनकी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी की है। उस जिम्मेदारी को पालन करने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोग उस चकबन्दी कर्त्ता के स्थान पर रक्खे जायं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई शुबहा न हो। अब ये चकबन्दी कर्त्ता कानूनगो लोगों में से होंगे, ऐसा इस नियम में रक्खा गया है। कानूनगो लोगों के बारे में मैं कोई वैसी राय नहीं देना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर है कि कानूनगो लोगों के बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय नहीं है। पुराने कानूनगो लोग जो उसी हल्के में होंगे उनका वहां के लोगों से पहले से कुछ संबंध रहता है, उन गांवों के इन्दराजी बातों से ऐसे कानूनगो का संबंध होता है क्योंकि उस कानूनगो की इन्दराज की दुरुस्ती के बारे में जिम्मेदारी होती है तथा लेखपालों के जो इन्दराज होते हैं उनकी निगरानी करने की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह कोई सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। इसके लिये केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चकबन्दीकर्त्ता अगर कानूनगो लोग बनाये जायं तो उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत गलत इन्दराज के बारे में पायी जाय या रिश्वत लेने की कोई शिकायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पायी गयी हो और अगर वह शिकायत सिद्ध हो गयी हो तो उसका इन्दराज उसकी करेक्टर रोल में होगा, ऐसे लोगों को चकबन्दीकर्त्ता के स्थान पर नियुक्त न किया जाय....

श्री अध्यक्ष--इस समय कोरम नहीं मालूम होता। आप जरा बैठ जायं।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष--आपके इस संशोधन में कुछ बाधा मालूम पड़ती है। कुछ अटपटा सा मालूम पड़ता है, इसमें परिभाषा का सवाल है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही देख रहा था, आप अगर इजाजत दें तो मैं यह देखना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को कहां लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैंने इसको नियम के साथ पढ़ा तो वह उस जगह पर कुछ नहीं मालूम होता। (कोरम तो हो चुका है) तो जो नियम है वह यह है कि "चकबन्दीकर्त्ता का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने इन नियमों के अधीन चकबन्दीकर्त्ता के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया हो" और उस के आगे आप यह बढ़ाना चाहते हैं कि "परन्तु उसके विरुद्ध कोई शिकायत इन्दराज संबंधी अथवा रिश्वत की न पाई गई हो" तो यह जो आप का संशोधन है यह तो उसकी व्याख्या है, यह एक अजीब सी चीज है।

श्री गेंदा सिंह--जो ड्राफ्ट हमारे सामने है उसमें बहुत स्पष्ट है और यह "चकबन्दीकर्त्ता" की परिभाषा की गई है।

श्री अध्यक्ष--आप इसको यों समझें कि अगर कोई यह कहे कि माननीय सदस्य उसको कहना चाहिये कि जो निर्वाचित हो कर आये लेकिन जिसके खिलाफ रिश्वत की शिकायत न हो, यह संशोधन कर दिया जाय या विरोधी दल का नेता उसी को कहना चाहिये कि जिसके खिलाफ फलां फलां शिकायत न हों, तो अगर ऐसा कहा जाय तो वह एक अजीब सी चीज होगी। इसलिये इस तरह का संशोधन यहां नहीं आ सकता और मैं इसको आउट आफ आर्डर समझता हूं। आप परिवर्तन करके इसको ला सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं अध्यक्ष महोदय, प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं और वह इस तरह से कि "परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--आप यह उस जगह लगावें जहां गवर्नमेंट को इस का अधिकार दिया गया है कि वह इस तरह का कंसालिडेटर मुकर्रर करे, और इस तरह से लावें कि "परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि.....ऐसा ऐसा न किया जाय।"

श्री गेंदा सिंह--हमारी इस में दिक्कत यह है कि इस प्रकार का अधिकार कहीं भी सरकार को नहीं दिया गया है। अगर हमारा संशोधन यह हो कि "परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे ऐसे..... .व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी....

श्री अध्यक्ष--पहले तो आप बतायें कि कहां आप यह ला रहे हैं? इस तरह से व्याख्या के रूप में संशोधन नहीं आ सकता, आप दूसरा संशोधन ला सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--तो अध्यक्ष महोदय मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि कहीं भी कंसालिडेटर नियुक्त करने का सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है। अगर मंत्री जी कृपा करके बता दें कि उनको कंसालिडेटर नियुक्त करने का अधिकार कहां मिला है तो मैं बताऊं कि संशोधन कहां आ सकता है।

श्री चरण सिंह--मैं अर्ज करता हूं कि धारा ५४ में, इस कानून पर अमल करने के लिये अगर रूल्स बनाने की जरूरत हो तो बनाये जा सकते हैं।

[श्री चरण सिंह]

यह ५४ (१) कि "राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है" उसके अन्दर आता है।

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नियम है कि अगर अधिनियम के अनुसार संशोधन स्वीकृत हो गया सदन के द्वारा तो क्या यह लाजिमी हो जायगा कि माननीय मंत्री जी उसको परिवर्तित कर दें ?

श्री चरण सिंह---वह महज सिफारिश मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष---आप अधिनियम की धारा बता देने की कृपा करें जिसके अनुसार इस सदन की राय लिये बिना परिवर्तित करने का अधिकार आपको होगा।

श्री चरण सिंह---धारा ५४(५) में १४ दिन की बात है, उसमें १४ दिन का प्राविजन है और १४ दिन तो बीत चुके, लिहाजा सबजेक्ट टु माडीफिकेशन के अन्दर यह मोशन है और इस पर वोट तो हो ही सकता है। लेकिन इस प्रकार जो सदन की राय होगी वह महज सिफारिश होगी, गवर्नमेंट को लाजिमी तौर पर मानने वाली बात नहीं, क्योंकि १४ दिन तो बीत चुके।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इसमें जो है उसका कांसीक्वेंस यह तो नहीं है कि सदन परिवर्तित नहीं कर सकता। यह इस प्रकार है।

१४ रोज का नियम जो है उसमें तो शायद ऐसा होगा कि १४ रोज तक इस सदन में पास होने के बात वह लागू हो जायगा यानी उसके बाद तत्काल लागू हो जायगा, लेकिन दे विल बी सबजेक्ट टु सच माडीफिकेशंस यानी जिस रोज परिवर्तन हों उस रोज से वे परिवर्तित नियम लागू होंगे, जिससे कि काम न रुके, इसलिये जो नियम आप बना चुके आप वह लागू करेंगे यानी अगर १४ रोज के बीच में बहस न हो कर परिवर्तित न हुये तो आपने जो नियम बनाये हुये हैं वह लागू हो जायेंगे। लेकिन उसका परिवर्तन बाद में भी करने का अधिकार सदन को है, इसकी भाषा से ऐसा पता चलता है।

श्री चरण सिंह---इंटरप्रिटेशन दोनों ही हो सकते हैं। मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है कि अगर यह इंटरप्रिटेशन मान लें, और अगर यह हाउस तय कर दे कि जो वह तय कर दे उसके लिये गवर्नमेंट पाबन्द है।

श्री अध्यक्ष---जब तक अधिनियम में यह स्पष्ट न हो कि यह सिफारिश ही मानी जायगी और वह आपका अधिकार होगा तब तक इस सदन का अधिकार ही हो सकता है।

*श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता था कि राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की नियुक्तियां करने का अधिकार है। मैं आपका ध्यान अधिनियम की धारा ४२ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:---

१---सहायक चकबन्दी अधिकारी, २---चकबन्दी अधिकारी, ३---बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, ४---सहायक संचालक चकबन्दी, ५---संचालक (डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन)।

इसके अलावा इसमें किसी अन्य अधिकारी का जिक्र नहीं है और उसमें स्पष्ट है कि किन-किन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष---आप कौन सा नियम पढ़ रहे हैं ?

श्री गेंदा सिंह---४२ वीं धारा मैं पढ़ रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---तो आप कहते हैं कि यह कंसालिडेटर शब्द नया इंट्रोड्यूस किया गया है। कंसालिडेटर या चकबन्दी कर्त्ता यानी इससे मतलब क्या यह है कि जो अधिनियम में धारा ४२ में ५वां है डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन, क्या उससे अर्थ है ?

श्री गेंदा सिंह---बिलकुल नहीं। डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन के फंक्शन्स दूसरे हैं और यह कंसालिडेटर जो है उसके फंक्शन्स दूसरे हैं। इसका बड़ा चर्चा यहां हो चुका है और मैं केवल इसीलिये इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि यह कोई टेक्निकल ग्राउण्ड है, बल्कि मैं तो इसके सारे फंक्शंस और इसकी सारी ग्रांउण्ड को देखने के बाद यह चाहता हूं कि उसको यह नियुक्ति नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह किस धारा के अन्तर्गत आता है ?

श्री चरण सिंह---मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, धारा ५४ (१) के अधीन।

श्री अध्यक्ष---और किसी में नहीं आता ?

श्री चरण सिंह---यूं तो हमने कंसालिडेटर अमीन्स भी मुकर्रर किये हैं।

श्री अध्यक्ष---यह एक वैधानिक आपत्ति है। इसमें जनरल पावर दी गई है धारा ५४ में कि "The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect of the provisions of this Act." तो इसमें नियम बना कर उन्होंने एक अधिकारी रख दिया। मैं समझता हूं कि इसमें वैधानिक आपत्ति नहीं उठाई जा सकती और कोई कानूनी बात अगर ऐसी आ जाय कि जो बारीकी की हो तो उसका निर्णय अदालतें ही कर सकती है और मैं उसमें पड़ कर सदन का हाथ नहीं रोकना चाहता हूं। आप विरोध करके उसको गिरा दें तो दूसरी बात है। आप विरोध करें और सदन को बतलायें कि यह अनुचित है और यदि सदन इसको गिरा दे तो बात दूसरी है, लेकिन जहां कानूनी शंका का प्रश्न है उस पर हम विचार यहां नहीं करना चाहते हैं। आप उसका विरोध करें और इस पर राय ले ली जायगी कि सदन आपका विरोध मान्य करता है अथवा अमान्य।

श्री गेंदा सिंह---इस प्रश्न पर इस विधान सभा में काफी चर्चा हुआ था और जो काम कंसालिडेटर के लिये सरकार ने निश्चित किया है वह काम बड़ी जिम्मेदारी का है और इस पर हम लोग एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा विचार कर चुके कि यह काम हम कानूनगो के सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं। चकबन्दी के काम में हम यह जरूर चाहते हैं कि जिन लोगों का संबंध वहां के इंदराज से पहले से न रहा हो, वहां की गलतियों से जिनका संबंध न रहा हो, या वहां के लोगों से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट क्रियेट न हो गया हो, ऐसे सम्बन्ध वहां के लोगों से न रहे हों, ऐसे लोगों को हम यह काम देना चाहते थे और इसी विचार से नायब तहसीलदारों की श्रेणी के लोगों को असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर बनाने की बात तय हुई थी और इसी बात पर जो खेतों की परताल का काम है उसके बारे में यह तय हुआ था कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर खेतों पर जाकर सारे इन्दराजों को देखेंगे और इन्दराजों को देखने के बाद यह फैसला करेंगे कि यहां पर फिर से, नये सिरे से कागजों की जांच परताल की जरूरत है या नहीं है। तो इस काम के लिये मैं समझता हूं कि हमने कानूनगो लोगों की मांग की थी और यह सेन्स था हम लोगों का, चाहे वह अधिनियम में जिस प्रकार भी हम लोगों ने पास किया हो। अध्यक्ष महोदय, इसका विरोध हमने पिछली मर्तबा तब किया था जिस वक्त माननीय राजस्व मंत्री जी ने विधेयक रखा था कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर इस परताल के काम को दूसरे लोगों से भी करायेगा। तो हमको यह शक था कि जिस वक्त यह बात तय कर ली जाती है तो उस समय फिर यह हो सकता है कि यह काम असिस्टेंट कंसालीडेशन आफिसर अपने न करके वहां के मुकामी पटवारी,

[श्री गेंदासिंह]

लेखपाल और कानूनगो लोगों के सिर पर छोड़े, इसमें हमको सन्देह है और हम बहुत ही स्पष्ट इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर मुकामी कानूनगो और लेखपाल लोगों के ऊपर यह काम छोड़ा गया तो झंझट पैदा होगी और ऐसी होगी जिसको हम आगे तक निभा नहीं पायेंगे। इसी विचार से हम सोचते हैं कि यह काम कंसालिडेटर को न दिया जाय और अगर कंसालिडेटर को दिया जाय तो उसकी परिभाषा बदल दी जाय, कंसालिडेटर सीधे नियुक्त किया जाय, दूसरे लोग नियुक्त किये जायं और जो मुकामी कानूनगो हैं वह न रखे जायं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने संशोधन रखा था, उस परिभाषा में कि अगर उस कानूनगो को ही रखना सरकार उचित समझती है तो फिर उस कानूनगो के सम्बन्ध में यह निश्चित कर लेना चाहिये कि इसके विरुद्ध कोई इन्दराज के सम्बन्ध में गलती कभी न पायी गई हो, ईमानदारी पर कोई शुबहा न किया गया हो।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष हरगोबिन्द पन्त पीठासीन हुए।)

ऐसे लोग अगर कानूनगो में से मिलने लायक हों तो उन्हीं को कंसालिडेटर नियुक्त किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत होगी सरकार को। मैं नहीं कहता हूं कि कोई कानूनगो नियुक्त ही न किया जाय। अगर कानूनगो को नियुक्त करने से ही काम चल सकता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही कानूनगो होने चाहिये जिनको सम्बन्ध में हमको शुबहा करने का मौका न हो, और जो काम चकबन्दी का इतनी लगन, उत्साह के साथ और इतने पवित्र इरादे के साथ हम करने जा रहे हैं, उसको हम करने में सफल हों और तभी हो सकता है जब कसालिडेटर ईमानदार हो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं इस नियम में उनके काम बहुत बढ़ा दिये गये हैं, उनकी डिचूटी में यह बहुत स्पष्ट है कि उनकी डिचूटी खेतों की परताल करने की और चकबन्दी समिति बनाने की है। तो चकबन्दी समिति बनाने का काम बड़ी जिम्मेदारी का काम है,।

चकबन्दी समिति का आयोजन इसलिये किया था कि सिर्फ अधिकारियों के हाथ में चकबन्दी के काम को सुपुर्द न कर दें क्योंकि हो सकता है कि एक अधिकारी किसी के चंगुल में फंसा हो या किसी प्रकार से उस अधिकारी के फैसले से लोग असन्तुष्ट होते हों तो उस पर लगान लगाने के लिये हमने चकबन्दी समिति की आयोजना की थी। अब उसको बनाने का काम इस कंसालिडेटर को दिया जा रहा है। तो फिर परताल करने का काम और चकबन्दी समिति बनाने का काम उसके ऊपर है और फिर वह समिति जो उसी के काम की देखभाल करेगी, यह सारी डिचूटी हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। हमको ऐसी आशा है कि शायद डिपार्टमेंट ने इसको अच्छी तरह से सोचा नहीं। अगर डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से सोचा होता तो कभी कंसालिडेटर नियुक्त करके और इतने अख्तियारात देने की बात न सोचता। तो मैं समझता हूं कि अगर भ्रम से बात हुई है तो उसको सुधारने का मामला है और अगर जानबूझ कर की गई हो, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसी बात सोची जा सकती है, लेकिन अगर ऐसी बात सोची गई हो तो फिर तो हमारे मनाने से कोई मान नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कोई लम्बी बात करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ जो एक कमजोरी थी या जो अपने सोचने की बात थी वह हमने रख दी। अब अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उसे उचित समझते हों तो कंसालिडेटर नियुक्त न करने के ही पक्ष में फैसला दें और अगर नियुक्त करने के पक्ष में फैसला दें तो इस बात को ध्यान में रखें कि चकबन्दी समिति बनाने का काम कंसालीडेटर्स को न दिया जाय। तो फिर इस बात को ध्यान में रखें कि चकबन्दी समिति बनाने का काम इस कंसालिडेटर को नहीं दिया जायगा और उसको नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जिनके प्रति कोई सन्देह हो, या जिनकी इंटीग्रिटी में कोई शुबहा हो ऐसे लोगों को कंसालिडेटर नियुक्त न किया जाय।

श्री चरण सिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं क्योंकि जिस तरह का संशोधन लाया गया है, ऐसा संशोधन तो कभी लाया नहीं जाता। आपका जो संशोधन आर्डर पेपर पर छपा है वह तो आउट आफ आर्डर करार दे दिया गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--श्री गेंदा सिंह तो केवल नियम ३ का विरोध कर रहे हैं कि उसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--नियम ३ में तो परिभाषा दी हुई है कि इस अधिनियम से मतलब है उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम और धारा से मतलब है इस अधिनियम की धारा से और कंसालिडेटर से मतलब है जो इस अधिनियम के अधीन कंसालिडेटर मुकर्रर किया गया हो।

श्री गेंदा सिंह--मेरा संशोधन यह है कि सिर्फ कंसालिडेटर निकाल दिया जाय।

श्री चरण सिंह--नियम का जहां तक सवाल है तो आपके संशोधन का मतलब तो यही है कि सारी परिभाषायें निकाल दी जायं और अगर कंसालिडेटर निकालने से मतलब है तो मैं उसका विरोध करता हूं कि नहीं निकलना चाहिये। जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए।

समय--१ बजकर १५ मिनट

श्रीमन्, हम यह बराबर फर्ज अपनी बातों में करते चलते हैं कि भ्रष्टाचार जरूर है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरह की निगरानी की जा रही है, उसके कारण करीब आठ सौ कर्मचारी दो जिलों में छः महीने से काम कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ तीन आदमियों की शिकायतें आयी हैं और उनको अलाहिदा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की ही बातें की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछली बार, जब यह संशोधन विधेयक लेजिस्लेटिव कौंसिल से यहां आया था, कहा था कि माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी, श्री गेंदा सिंह जी और दूसरे माननीय दोस्तों से कहता हूं कि मुसाफिरखाना तो दूर नहीं है, मुजफ्फरनगर दूर हो सकता है, वहां जाकर देखें कि आखिर यह भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार हमारे दिमाग में ही घर कर गया है। लेकिन कोई सज्जन वहां गये हों और मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली हो कि भ्रष्टाचार है, ऐसी बात नहीं है। मैं दस ग्यारह तारीख को सुल्तानपुर गया था और जिस जगह चकबन्दी हो रही है ठीक उसी के बीच में कोई मीटिंग हुई, वहां भी मैंने सारी सभा में यह पूछा, भरी सभा में, कि क्या एक शख्स है जो मुझसे यह कह सकता है कि इस सारी कार्यवाही में जहां कि सैकड़ों राजकर्मचारी काम कर रहे हैं किसी आदमी ने रिश्वत ली? एक आदमी खड़ा हुआ, केवल एक आदमी और उसने कहा यह कि "हां साहब, ली है"। मैंने पूछा कि किसने ली तो उसने कहा कि यहां आये हुए हैं। जब यह पूछा गया कि उसका नाम बतला दो, एक का नाम बतला दो, तो वह नाम न बता सका कि किसने ली है और न यह बता सका कि किसने दी। उसी वक्त और लोगों ने कहा कि आपस की रंजिश है, यह ग़लत कह रहा है। मैंने उससे चार पांच सवाल किये और हजारों आदमियों की सभा थी। मैं अंडर एस्टीमेट करके कहता हूं कि ६, ७ हजार आदमी थे। इतने आदमियों में केवल एक आदमी खड़ा हुआ और वह भी झूठ बोल रहा था। मैंने उसको ब्राऊबीट नहीं किया कि बैठ जाओ। बराबर मैंने सवाल भी पूछे, मौका दिया, लेकिन वह न बता सका। फिर मैं श्रीमन्, आपके जरिये उन तीन दोस्तों से, जो मेरे सामने पहली बेंच पर बैठे हुए हैं, दरख्वास्त करूंगा कि जरा अपनी पार्टी के लोगों से वहां पर पूछें और मुसाफिरखाने के सोशलिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहां बुला लें, मुझे न बुलायें, केवल उनसे बात कर लें कि आया कोई भ्रष्टाचार है?

[श्री चरण सिंह]

श्रीमन्, भ्रष्टाचार हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में है, मैं इंकार नहीं करता। कोशिश उसके मिटाने की हम करते हैं। नियम और कायदे बदलते हैं, सजा देते हैं, रुपये पैसे के सिलसिले में छोटे राज कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के सिलसिले में कोशिश करते हैं। तीनों तरह की कोशिशें हमने कीं, फिर भी भ्रष्टाचार अभी बाकी है। थोड़ा बहुत कम से कम लोअर रैंक्स में गलती हो जाती है इन्सान से। लेकिन जहां तक चकबन्दी का सम्बन्ध है, मैंने यह दावा किया और मुझे इस बात का गर्व है और अब तक वह गर्व कायम है, उसे कोई तोड़ नहीं पाया है और कहीं मुझे इस तरह का संकेत नहीं मिला है कि भ्रष्टाचार है। अगर कहीं संकेत मिल जाय कि फलां जगह भ्रष्टाचार है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। आठ सौ आदमियों में से केवल तीन आदमी, दो कंसालिडेशन अमीन और एक कंसालिडेशन आफिसर या कानूनगो, मुजफ्फरनगर में अपराधी पाये गये, तीनों को फौरन अलाहिदा कर दिया गया। आठ सौ आदमी छः महीने तक काम करें, उनमें से तीन आदमी गलती करते हैं तो उसे व्यापक भ्रष्टाचार कहना ठीक नहीं। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आप यह देखते हैं कि कंसालिडेटर या कानूनगो के बजाय नायब तहसीलदार कायम किया जाय जैसा कि श्री गेंदा सिंह चाहते हैं, तो जब हम यह फर्ज करके चलते हैं कि लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार नायब तहसीलदार भी कर सकता है। फिर तो मेरा ख्याल यह है कि 'एस० डी० ओ० ही काम करे, फील्ड टु फील्ड। यही आपका मकसद है जो कि नामुमकिन है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई दोस्त यह बता सकें कि इतने एस० डी० ओ० का खर्चा कहां से आयेगा। जो बात मुमकिन है, हम वही तो कर सकते हैं। तो कानूनगो फील्ड टु फील्ड पड़ताल के लिये रखा गया है और जिस तरह से निगरानी है, काम हो रहा है, उसको देखते हुए किसी संशोधन की जरूरत नहीं। बस मैं यही अर्ज करता हूं। मैं ज्यादा वक्त माननीय गेंदा सिंह जी का और इस सदन का नहीं लेना चाहता हूं।

श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह परिवर्तित रूप में संशोधन रखना चाहता हूं। "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे ही लेखपालों को चकबन्दी का कार्यभार सौंपेगी, जिनके विरुद्ध रिश्वत सम्बन्धी शिकायत न पाई गई हो।"

यह तो परिभाषा में नहीं है और इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री को आउट आफ आर्डर कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह परिभाषा में था, इसलिए गुंजायश थी।

श्री चरण सिंह---मैं अर्ज करूं कि पहला जो आपका संशोधन था वह यह था कि "परन्तु उसके विरुद्ध कोई शिकायत रिश्वत सम्बन्धी न पाई गई हो।" अब आपने "परन्तु" के बाद "प्रतिबन्ध" और जोड़ दिया और यह कह दिया कि यह परिवर्तित रूप है। लेकिन बात तो वही हुई कि "परन्तु प्रतिबन्ध यह है"। तो इसमें केवल "प्रतिबन्ध" लफ्ज का फर्क है। डेफीनिशंस में इस किस्म के अमेंडमेंट्स होते नहीं। मैं अर्ज करूं कि सब जगह जो डेफीनिशंस होती हैं वहां यह शर्त कर दी जाय कि किसी और जगह तो भले ही रिश्वत पा ले तो कोई हर्ज नहीं है, तो रिश्वत और डेफीनिशन से क्या वास्ता है?

*श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह इस प्रकार है

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त लेखपाल के विरुद्ध कोई शिकायत न पाई गई हो।" यह तो राज्य सरकार के लिये डायरेक्टिव है। जो चकबन्दी का कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखपालों को सौंपा गया है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सुपुर्द किया जाय जिनके बारे में रिश्वत की कोई शिकायत न हो, यह ठीक ही फिट इन होता है और इसके अनियमित होने का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष जो फैसला दे गये हैं उसके अनुसार यह नियमानुकूल नहीं है।

*श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो जरूर हूं कि चाहे लेखपाल हों या कानूनगो हों लेकिन यह काम ऐसे लोगों को दिया जाय जो ईमानदार हों और उनके अनुभव से इस कार्य में लाभ उठाया जा सके। लेकिन मैं यह कहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत है और यह शिकायत ऐसी है, जिसमें उनकी ईमानदारी में शुबहा हो तो उनको इस कार्य में न लगाया जाय। ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं सरकारी नौकरियों में, जिनके विरुद्ध इस प्रकार की शिकायतें पाई गई हैं, लेकिन अब इसकी चर्चा करने का कोई स्थान नहीं है, इसलिये मैं इस पर बहुत ज्यादा और जोर क्यों डालूं? लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी माफ हो जाते हैं या वार्निंग मिल कर ही रह जाते हैं और कुछ कानूनी शिकंजे में नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर ऐसी हालत में अगर एक प्रतिबन्ध रहे कि सरकार ऐसे ही लोगों को नियुक्त करेगी जिनके बारे में कोई शुबहा न हो, तो क्या हर्ज है?

आखिर हम तो सन्देह को बतलायेंगे नहीं बल्कि वह तो कागज और रिकार्ड के आधार पर होगा। अगर रिकार्ड में कोई ऐसी बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रिकार्ड में हो तो ऐसे लोगों की नियुक्ति न की जाय। यह बात तो हम नहीं जानते हैं कि इस प्रकार की गवर्नमेंट की हिदायतें हैं या नहीं, अगर हिदायतें भी हों तब भी काम चल सकता है लेकिन यह तो नियम ही हैं। अगर यह नियम हो जाय तो ठीक रहेगा कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय यह डायरेक्टिव रहे कि ऐसे लोगों को यह काम सौंपा जाय, जिनके विरुद्ध कोई रिश्वत की शिकायत न हो और जो हमारी हैसियत में हों। माननीय राजस्व मंत्री जी भी जब मंत्री जी की हैसियत में नहीं होते तो उनको भी मालूम रहता है कि सरकारी नौकरियों में ऐसे लोग हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिये मैं कहता हूं कि इनकी इस काम में गुंजायश नहीं होनी चाहिये।

हम कभी यह आंख मूंदकर नहीं कहते हैं कि जितने लोग हैं उनको काम में न लगाया जाय। आखिर उनसे कुछ काम तो लेना ही है। हम तो इसके कायल होते जा रहे हैं कि हमें अपने आपको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि कोई आसमान तो गिरेगा नहीं। लोगों को ईमानदार बनने की प्रेरणा मिलनी चाहिये, क्योंकि चकबन्दी के कार्य में जो जायगा उसे देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, उसे सामाजिक सेवा करने का अवसर मिलेगा। अगर लोगों को यह रियलाइज करने का मौका मिले तो अच्छा है कि हमारी छोटी सी शिकायत हो गई थी, इसलिये हमें इस काम में नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार दूसरे आदमी के लिये एक सबक हो सकता है और वह सोचेगा कि हमको अपने आपको बचाना चाहिये और सेवा करने में अपने दिमाग को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहिये। तो इस तरह की प्रेरणा पैदा करना, मैं समझता हूं किसी भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिये और उसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुये मैं यह बात भी कह रहा हूं। इच्छा माननीय मंत्री जी की है, वह चाहे इसे नियम में परिवर्तन करके करें या जिस तरह से चाहें करें। वे कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में या और जगह जहां काम हुआ है वहां हम लोगों ने जाकर देखा नहीं। हमें कुछ ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी भी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में याददाश्त कुछ खराब हो जाती है। उन्होंने कहा था कि जब सुल्तानपुर जायंगे तो कहेंगे कि तुम भी चलो हमारे साथ। तो हम बड़े असमंजस में पड़े, क्योंकि हम यह समझते थे कि चौधरी साहब के साथ जाकर सुल्तानपुर में हम उतना काम नहीं कर पायेंगे, क्योंकि वह तो सरकारी हल्ला होगा, इसलिये वैसे जायं। लेकिन मालूम होता है कि चौधरी साहब इसको भूल गये। वह सुल्तानपुर गये तो एक रुक्का तक नहीं भिजवाया। मैं तो हाजिर हो जाता। मुझे तो माननीय राजस्व मंत्री के साथ जाने में बड़ा हर्ष होता। यह बात सही है कि मुजफ्फरनगर की तुलना हम सारे सूबे से नहीं कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर के किसान कितने जागरूक हैं। वह हमेशा ऐसी बात कहते हैं कि जिसको हमको न मानने की भीतर से तबियत होती है। मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर के एक किसान बलवन्त सिंह जी बैठे हुये हैं और वीरेन्द्र वर्मा जी बैठे हुये हैं।

श्री चरण सिंह--आप दोनों से ज्यादा ताकतवर हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैं दोनों से ज्यादा ताकतवर हूं। यह सही है लेकिन हमारे जैसे कितने लोग हैं सुल्तानपुर और बाराबंकी से पूर्व की तरफ और बहुत ज्यादा तादाद छोटे छोटे टुकड़े वालों की है। तो इसलिये जो बात वह मुजफ्फरनगर के लिये कहते हैं, वही बात हर जगह के लिये लागू नहीं होती।

श्री चरण सिंह--मैंने तो दोनों जगह की बात कही। मैंने खाली मुजफ्फरनगर की बात कहां कही?

श्री गेंदा सिंह--सुल्तानपुर के लिये तो मैं कह रहा हूं कि मैं वहां अब भी देखने के लिये तैयार हूं। बेहतर हुआ होता अगर मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में जो भी काम हो रहा है उसकी आलोचना दो एक पेज में करके सब को दे दी गयी होती, क्योंकि उसको जानने की हमारे माननीय सदस्यों की बड़ी इच्छा है।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, माननीय सदस्य का अमेंडमेंट है कि लेखपाल मुकर्रर न किये जायं और सारी बातों पर आपकी स्पीच हो जायगी।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को लेखपालों से इतनी मुहब्बत है कि वे खुद डूबेंगे और अपनी सरकार को भी डुबायेंगे। मेरे कहने से माननीय राजस्व मंत्री जी मान नहीं सकते हैं। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि जो लोकप्रियता उन्होंने पटवारियों को निकाल कर हासिल की थी, जरा वह गहराई में जायं और देखें कि लेखपालों ने जो कुछ काम किया है सारे सूबे भर में और खास कर इस पड़ताल के सिलसिले में, क्या वही लोकप्रियता आज उनकी है?

वह हमको डांट सकते हैं, स्पीच देने से रोक सकते हैं, मैं रुक जाता हूं लेकिन मैं यह कह लूं कि आप लेखपाल को ऊंचे उठायें, सरकार जो चाहे करे। लेकिन कम से कम किसानों को बख्शते रहें। किसान कम से कम उन लेखपालों के कारण मुसीबत में न पड़ें। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह काम ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जायगा जिन लोगों की ओर से हमारा पहले से दिमाग बना हुआ है कि इन लोगों से काम बिगड़ेगा और अगर वह समझते हैं कि उनसे काम बनेगा तो सारी जिम्मेदारी उनकी है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो सच्ची बात समझ में आती हो कह दूं। मैंने कह दिया और मैं उनकी इच्छा के अनुसार बैठ जाता हूं। जैसा मुनासिब समझें फैसला करें।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने राजस्व मंत्री को पुकारा)

श्री राम नारायण त्रिपाठी--एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब पिछली मर्तबा माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन पर भाषण देने के लिये और भी माननीय सदस्य खड़े हुये तो आपने माननीय राजस्व मंत्री को पुकार लिया, तो हम लोगों ने समझा कि उनकी इंटरवीनिंग स्पीच होगी, लेकिन बाद में उन सदस्यों को मौका नहीं मिला। कायदे से उन सदस्यों को मौका मिल जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---जो लोग खड़े हों, गेंदा सिंह जी के भाषण के बाद ही उठ जायं तो ठीक है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---उठे थे।

(इस पर श्री उपाध्यक्ष ने श्री राम सुभग वर्मा का नाम पुकारा)

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बताया कि माननीय मंत्री जी जो काम करने जा रहे हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और उन्होंने अपनी यह शंकायें रखीं। जो स्पेशल पड़ताल हुई है उसके आधार पर कहा कि ऐसे लोगों की जहां शिकायत मिले, उन लोगों को इसमें जिम्मेदारी न दी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से तो यह जरूर चाहते हैं, ऐसी आज्ञा करते हैं जिससे किसी प्रकार से गड़बड़ी न हो और भ्रष्टाचार न हो। लेकिन वह कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो जाती है। अभी-अभी पिछले दिनों में जब कि स्पेशल पड़ताल हुई, तो उसमें माननीय मंत्री जी ने यह व्यवस्था की थी कि सुधार हो जाय और हम लोगों को भी आशा थी कि मालूम हो रहा है कि सारी गड़बड़ियां दुरुस्त हो जायंगी। अब वह गड़बड़ियां, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देखने में और अधिक हो गयीं और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि वही कर्मचारी इसमें रखे गये। लेखपालों को यह अधिकार दिया गया था कि जब वह स्पेशल पड़ताल कराने जायेंगे तो खेत खेत पर जा कर पड़ताल करेंगे और जो गलती पायेंगे उसको जाकर कानूनगो देखेगा और सुधारेगा, लेकिन माननीय मंत्री जी बातों को सही रूप में लाने में थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाऊं कि उस थोड़े से काम में जो स्पेशल पड़ताल हुई, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया, वह शिकायत उन लेखपालों और कानूनगोओं की इतनी ज्यादा हुई और उन्होंने पटवारियों को निकाल कर जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वह उस स्पेशल पड़ताल में जो लेखपालों और कानूनगोओं ने काम किया, सही मानों में जैसा कि मंत्री जी चाहते थे उनका सुधार करना, और जैसा उन्होंने अपनी तरफ से आदेश दिया था, वैसा किसी आदमी ने काम नहीं किया और उससे अधिक से अधिक गड़बड़ियां हुईं और भ्रष्टाचार हुआ। इस चकबन्दी वाले काम में भी माननीय मंत्री जी उन्हीं अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं। तो हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने सुझाव दिया। हम नहीं चाहते कि आप पवित्र आत्मायें ढूंढ़ कर रखें, जो कि वहां काम करा सकें। काम तो हमें कराना है और उन्हीं लोगों से कराना है, लेकिन उनका यह कहना है कि काम उन्हीं को सौंपा जाय, जिनके खिलाफ कोई शिकायत न हो, जिसने किसी प्रकार की रिश्वत न ली हो, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में उसका हाथ न हो और जनता का जिस पर विश्वास हो, क्योंकि यह थोड़ा सुधार करने का काम है।

मैं तो आपसे बतलाऊं कि उस स्पेशल परताल के वक्त में मैं रहा नहीं, लेकिन जब अवकाश मिला तो देखने गया। उदा-हरणार्थ बतलाना चाहता हूं कि गांव सभा में बहुत ही दरख्वास्तें पड़ी थीं। वे दरख्वास्तें ग्राम सभापति से मेरे पास आईं और मैंने उनकी इंक्वायरी की। मैं सबेरे से रात तक खेत खेत गया और गांवों के सैकड़ों किसान मेरे साथ थे। जब गांव वालों से पूछा तो सभी गांव वाले बतलाते थे कि सही आदमी के नाम परताल नहीं की कई और दूसरे आदमी के नाम परताल कर दी गई। काफी गलतियां की गई थीं। खेत जोता जा रहा है, लेकिन वहां जंगल लिखा गया है। कागज किसी के नाम है और परताल दूसरे के नाम है। शिकायत यह मिली

[श्री रामसुभग वर्मा]

कि वे चाहते हैं कि रुपया मिले तो नाम ठीक कर दिया जाय। कानूनगो के पास जब शिकायत गई तो उसने भी कहा कि मुझे कुछ चाहिये तो मैं दुरुस्त करूंगा। तो ये सब चीजें हैं कि स्पेशल परताल में शिकायतों को सुधारने के लिये जब काम दिया गया, तो उनके सुधारने में ये शिकायतें मिलीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चकबन्दी का कार्य इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है जिससे लोगों की जिन्दगी का वारा न्यारा हो सकता है। खेतों को इकट्ठा करना है, किसी प्रकार की गड़बड़ी न होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों का उदाहरण दिया गया। उधर के लोग थोड़े से चतुर हैं, लेकिन पूर्वी जिलों में लोग इतने चतुर नहीं हैं, जिससे अनेकों गड़बड़ियां करने के मौके मिलते हैं। चक में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो चक बेकार हो जाता है लिहाजा उसमें गड़बड़ी करने का मौका मिलता है। कानूनगो गड़बड़ी कर सकता है। माननीय मंत्री जी चूंकि लेखपालों को बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा वह उनके जिम्मे यह काम सौंपे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत है, जनता जिनसे रुष्ट है, उन्हें यह काम न सौंपा जाय। ऐसे लोगों के जिम्मे यह काम दिया जाय, जिनकी ईमानदारी के प्रति कोई शक न हो, जो सही काम करते रहे हों, तो मुमकिन है कि यह काम सही तरीके से हो सके। इन बातों को रखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनको यह काम सौंपा न जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो संदेह प्रकट किया गया है उसके अन्तर में भावना तो शुद्ध है, लेकिन जानकारी के न होने के कारण यह बात कही जाती है। Consolidators जो एप्वाइंटेड हुये हैं यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि तमाम कानूनगो ऐसे हैं जिनके करेक्टर रोल्स बहुत ही शुद्ध और उत्तम रहे हैं और शेष तो Inter pass उम्मीदवार लिये गये हैं। ऐसा आदेश है कि ऐसा कोई लेखपाल न लिया जाय, जिनके संबंध में जरा भी शक हो, सन्देह हो, तो मैं निहायत विनम्रता से कहूंगा कि ऐसा कदाचित् ही कोई लेखपाल इस प्रदेश में हो जिसके हल्के में करेक्शन आफ पेपर केस न हुआ हो। करेक्शन आफ पेपर केस के अन्तर्गत यह कहा जाता है कि अमुक इन्दराज गलत है और दोबारा नेचुरली वह शुद्ध हो जाता है। तो केवल संदेह के आधार पर यह कहा जाय कि वह लेखपाल ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो इस प्रकार की धारणा करने से लेखपाल का कार्य भी नहीं हो सकेगा। ऐसा लेखपाल जिसके प्रति जुडिशियल जजमेंट अनाउन्स हो चुका हो और जिसने इस प्रकार का कोई अन्य कार्य किया हो तो वह इस काम को नहीं कर सकेगा। यह सब गलत धारणा पर निर्भर करता है। इसमें तो केवल लेखपाल की परिभाषा से संबंध है जो कि पटवारी के कार्य को करने के लिये नियुक्त किया गया हो।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, मैं इसको बलपूर्वक कह सकता हूं कि मैंने चकबन्दी नियमों को अपनी आंखों से देखने का प्रयत्न किया है। उसके अन्तर्गत जहां तक पड़ताल का संबंध है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। उसमें पहले तो पड़ताल लेखपाल करेगा, उसके बाद वह कंसोलिडेटर करेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन आफिसर करेगा और उसके बाद लैंड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी उसकी देखभाल करेंगे। इतने लोगों के द्वारा यह कार्य होगा। बल्कि इसके लिये यह कहा गया है कि इस कार्य में इतने लोगों के द्वारा होने से बिलम्ब होगा। मैं समझता हूं कि यह नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि माननीय सदस्य को संदेह है। संभवतः ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने नियमों को पढ़ा नहीं है। मेरी इस प्रकार की धारणा नहीं है। हमने तो इसको इतनी दूर तक समझने की कोशिश की है कि इससे विलम्ब होने की आशंका है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जो गलत धारणा के रूप में रखा गया है, विरोध करता हूं।

नियम ४

*श्री गेंदासिंह—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि नियम ४ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"और प्रमाण के लिये पड़ोस के दो व्यक्तियों को साक्षी में रखेगा" ।

श्रीमन्, यह नियम ४ इस प्रकार से है उस नोटिस को तामील करने में जिसमें गांव में किसी लेख्य के प्रकाशन के दिनांक की सूचना दी गयी हो, तामील करने वाला अधिकारी जब भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य तामील के समय अपने निवास स्थान पर उपस्थित न हो, अथवा जब सभी उचित श्रम के पश्चात् भी वह न मिले, तो उसे घर के जिसमें वह सामान्यतया निवास करता हो या व्यापार करता हो अथवा लाभ के लिये स्वयं काम करता हो, बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपका कर उसको तामील करेगा।

जब चपरासी किसी समन की तामील करता है और अगर वह आदमी स्वयं मिल जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं मिलता है तो उसके घर पर चिपकाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये पुराना तरीका यह है कि गांव के या पड़ोसी, दो लोगों की साक्षी उस पर करा ली जाती है कि समन उनके सामने चस्पा कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मैं आशा करता हूं कि इसके मानने में राजस्व मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, जब आदमी को संदेह की बीमारी हो जाती है तो न जाने कितने चक्करों में वह पड़ जाता है। सी० पी० सी० के रूल १७ में इसके बारे में बिलकुल साफ तौर पर लिखा हुआ है वैसा ही इसमें है कि अगर जाती तामील न हो तो आदमी सब्सीडियरी सरविस करता है और उसमें प्रोसेज सर्वर को बयान हल्फी अदालत में देना होता है और उसका वह बयान काफी समझा जाता है। इसमें कभी कभी या आम तौर पर वह गवाही भी करा लेता है, लेकिन रूल में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। होगा तो वहीं करा लेगा, लेकिन अगर मौका न लगा तो फिर वह तामील ही न रहेगी। अगर आप कहें कि वह बेईमान है तो मैं कह सकता हूं कि हर एक आदमी को बेईमान प्रीज्यूम करके नहीं चला जा सकता। कुछ लोग बेईमान जरूर हैं लेकिन अगर हर एक आदमी को बेईमान कयास कर लिया जाय तो हर आदमी के बांधने के लिये दो नौकर रखने होंगे और उन दो के भी ऊपर दो-दो और भी रखने होंगे। अगर आप दो गवाह की बात रख देते हैं तो प्रश्न यह होगा कि वे ११–११ बरस के हों या ८५ बरस के, नाबालिग हों या बालिग। इस प्रकार से फिर उस गवाह की तारीफ होगी कि वह कैसा होना चाहिये, वह १८ साल की उम्र वाला हो और मेंटली साउन्ड हो। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अगर कोई खास और ठोस बात कहें तो मैं उनका आभारी हूंगा लेकिन अगर वे बाल की खाल निकालें तो भी मैं उनका स्वागत करता ही हूं, मुझे तो यहां ४ बजे तक बैठना ही है।

श्री गेंदासिंह—मैं राजस्व मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आज नयी चीज हमारी प्रक्रिया में आयी है। इस प्रकार से नियम यहां कभी नहीं आये हैं। इसलिये जहां तक संक्षेप में हो वहां तक अच्छा है। माननीय सदस्य ने अपनी राय तो जाहिर कर ही दी। अब कोई और खास बात हो तो ही उसको कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—रूल्स पर तो मैं नहीं जाता हूं। मैं राजस्व मंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें गांवों में रहने का मौका मिला है और हमें समनों की तामील का ज्ञान है। यह मेरी ही बात नहीं है, आमतौर पर जो चपरासी जाता है उसको मैंने देखा है कि अगर वह चस्पां करता है, तो चाहे उसे जालसाजी ही क्यों न करनी हो, वह चस्पां करने का सबूत लेता है, जब भी उसकी आवश्यकता पड़े कि वह उस गांव में गया। अगर यह बात बयान हल्फी की ही रख दी जाय तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वह उस गांव में गया, क्योंकि उसकी बुनियाद पर अदालतें मान लेंगी कि उसने सम्मन लेने से गुरेज किया। अब यह कि कभी-कभी अदालतें उसके विरुद्ध कार्यवाही भी कर देती हैं तो कानून में इस तरह का प्रांविजन भी हो कि उनके विरुद्ध कार्यावाही की जाय कि उसने इस तरह से अदालत में हाजिर होने से गुरेज किया। तो उसको यह मौका मिलना चाहिये कि कम से कम सही काम हो सके। बाल की खाल मैं नहीं निकालता। मैं तो समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सी० पी० सी० में जो नियम चलते हैं उसी तरह से चलेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि वह साक्षी दे। उनका कहना ही काफी था कि वे कहते कि सी० पी० सी० में जिस तरह से सम्मन तामील होता है उसी तरह से इसका भी होगा तो मुझे संतोष हो जाता। लेकिन उन्होंने यह छूट दे दी, जिसकी वजह से उसे आगे चल कर दस्तखत लेने की भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वह लिख कर दे देगा कि मैं वहां गया था, लेकिन उन्होंने सम्मन लेने से इंकार किया या वे नहीं मिलते। इसलिये मैंने उनके घर पर चस्पा कर दिया। तो वे मानें या न मानें लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम अगर वे इस बात को ही लिख देते तो अच्छा होता। वे कहते हैं कि मैं बाल की खाल निकालता हूं और लोगों को बेईमान समझता हूं, लेकिन इसमें किसी को बेईमान समझने की बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे गलतफहमी थोड़ी पैदा हो गयी। उन्होंने कहा कि अगर चपरासी अकेले बयानहल्फी दे दे कि मैं वहां गया था तो वही पर्याप्त समझा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह चीज बिलकुल गलत है। मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर फिर विचार करें, ताकि लोगों को यह असुविधा न हो सके कि चपरासी पहुंचे भी नहीं उस गांव में सम्मन तामील करने के लिये और लिख दें कि मैं उस गांव में पहुंचा था। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। आखिर ये प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी काहे के लिये बनायी गयी है? कौन कह सकता है, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता हूं कि ये जो मंत्रिगण बैठे हुये हैं वे रुपये का गबन करते हैं या उनकी नीयत ऐसी होती है कि रुपये का गबन कर लिया जाय। लेकिन चेकिंग के लिये, एकाउन्टिंग के लिये यह होता है। हमारा ए० जी० उस पर नोट लिखा करता है कि ऐसा होता है। एक मनुष्य से गलती हो सकती है और उस गलती के लिये यह जरूरी है कि कम से कम गलती ठीक करने का मनुष्य को मौका मिले। यह बन्दोबस्त रखा जाता है और यह सिर्फ बन्दोबस्त रखने की बात थी। अब आप चाहे इसे स्वीकार करें या न करें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री को कुछ कहना है?

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं क्या कहूं, बात ऐसी कहते हैं श्री गेंदासिंह जी कि जो न उठाये उठे, न धरी जाय। नियम ५, १७ के मुताबिक ४६ वर्ष से सारे देश में काम हो रहा है और सम्मन तामील हो रहे हैं और मुकदमे भी चल रहे हैं। तजुर्बे से मालूम हुआ है कि सी० पी० सी० के मातहत सम्मन तामीली के भी काम हो रहे हैं और उसी के मातहत इतनी मुकदमेबाजी भी हो रही है। तो उनके कहने के मुताबिक यह क्यों न कर दिया जाय कि एक एक कमेटी बैठा दी जाय जो रेज्योल्यूशन पास किया करे कि यह सम्मन तामील किया जाना चाहिये या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ४ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"और प्रमाण के लिये पड़ोस के दो व्यक्तियों को साक्षी में रखेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ७

*श्री गेंदा सिंह—मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम ७ के उपनियम (१) के भाग (ख) में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं —

"गांव के कुल खेतों की संख्या"

तथा इस के बाद के शब्दों को इसी के अनुसार शुद्ध कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे श्रीमन्, यह स्वीकार है, लेकिन इसके शब्द जरा बदलने होंगे। अगर यह शब्द रख दिये जायं कि "गांव की कुल जोत का रकबा" तो ठीक होगा।

श्री गेंदासिंह—मैं तो चाहता हूं कि "गांव के कुल खेतों की संख्या" यह होना चाहिये।

श्री चरणसिंह—लेकिन यह मुझे मंजूर नहीं है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि मंत्री जी मेरा संशोधन कबूल कर रहे हैं और मैं समझता था कि उनको इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी, लेकिन बीच में न मालूम क्या बात हो गयी कि उन्होंने उसको मानने से इन्कार कर दिया। जो सातवां नियम है उसमें लिखा हुआ है कि धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के तुरन्त बाद ही चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :—

(क) गांव का कुल क्षेत्रफल, (ख) गांव की जन-संख्या, (ग) गांव के अन्तर्गत छोटे गांवों के नाम तथा संख्या, (घ) उस गांव समाज की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या जिस का गांव हो। अब गांव का कुल क्षेत्रफल जहां लिखा हुआ है उसके नीचे यह लिख दिया जाय "गांव के कुल खेतों की संख्या।" असिल में चकबंदी में काम यह करना है कि बहुत से टुकड़ों को एक में किया जायगा और उनकी तादाद कम करना है, और अगर रिपोर्ट देने वाले यह न रखें कि गांव में कुल खेतों की संख्या कितनी है तो यह भूल होगी, इसीलिये मैंने उसकी याद दिला दी। चकबंदी की सारी योजना यह है कि गांव में जितने नम्बर हैं, अगर १,००० नम्बर हैं तो उनको घटाकर ३०० नम्बर बनाना है। तो अब उस कानून को हम एक रूप दे रहे हैं कि उसके बारे में एक योजना बनायी जाय। अगर हम खेतों की संख्या नहीं रखते हैं तो यह बड़ा अधूरा काम होगा। जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतना ही अधिक काम होगा और अगर वह कम होंगे तो काम भी कम होगा। राजस्व मंत्री जी उधर चले गये, वह बाद में भी कर सकते हैं, हमारे कहने से अगर नामंजूर करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस को स्वीकार किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उनकी ओर से इसका उत्तर दे सकूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारा ४ बहुत ही प्रारंभिक स्टेज की बात है। जिस समय विज्ञप्ति प्रकाशित होगी उस के बाद ही यह असम्भव है कि अधिकारी जा कर खेतों को देखे और इसी कारण से ऐसा नहीं रखा गया है। वह वैसे ही केवल कल्पना के बल पर रख दें। खसरा खतौनी को प्रायः देखकर कि कितने गाटे बने हों तो यह अभिप्राय शायद न हो इसलिये वह अनावश्यक भी वहां पर है। इसलिये फील्ड टु फील्ड परताल हो जाने पर कि कितने गाटे हैं तभी बताया जा सकता है, इसलिये वहां क्षेत्रफल रखा गया और यह जो सुझाव माननीय गेंदासिंह जी ने रखा है वह अनावश्यक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

सा हो जाता है, क्योंकि उससे वह परपज सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके पश्चात् फील्ड टू फील्ड परताल करना है और उसके पश्चात् जो प्रभाव पड़ेगा वह केवल रिपोर्ट देने की बात है कि कितना क्षेत्रफल है, कितनी उस गांव की जनसंख्या है। इस प्रकार के जो विवरण इसमें दिये गये हैं वे पर्याप्त हैं और माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ७ के उपनियम (१) के भाग (ख) में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"गांव के कुल खेतों की संख्या"

तथा इसके बाद के शब्दों को इसी के अनुसार शुद्ध कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ८

***श्री गेंदा सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम ८ के उपनियम (२) की पांचवीं पंक्ति के शब्द "जायगी" और "जिसका" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"यदि आपत्ति प्रस्तुत करने वाला अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसका सम्बन्ध उस निर्णय से हो, बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह सहायक संचालक चकबंदी को अपील कर सकता है।"

नियम ८ का दूसरा उपनियम इस प्रकार है—

"उक्त निर्वाचन का संचालन १९५२ की जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम १०९ में दी हुयी प्रक्रिया के अनुसार चकबंदीकर्ता (Consolidator) द्वारा किया जायगा। १०९ के उपनियम (३) में उल्लिखित प्रकार की कोई आपत्ति बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के सामने प्रस्तुत की जायगी।"

"जायगी" के बाद "यदि आपत्ति प्रस्तुत करने वाला अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसका सम्बन्ध उस निर्णय से हो बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह सहायक संचालक चकबंदी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा" अब उपाध्यक्ष महोदय, यह बात इसमें है कि यह नियम समिति के निर्वाचन के मामलों से संबंध रखती है, इसमें कुछ लोग नामांकित भी होंगे। तो वह नामांकन करने का हक दूसरे अधिकारियों का है, लेकिन चकबंदीकर्ता जो है उस हलके के जो कानूनगो साहब हैं वह चकबंदी समिति बनायेंगे। निर्वाचन का संचालन वहीं करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि उसके लिये कुछ नियम बने हुये हैं उन्हीं के आधार पर वह करेंगे। तो उसमें यही है कि अगर उसमें कुछ शिकायत हो तो उसके विरुद्ध आपत्ति, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी जो है उनके सामने कर सकते हैं। यानी जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के होंगे वह होंगे हाकिम परगना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हाकिम परगना के फैसले से न संतुष्ट हों लोग तो उनको एक मौका अपील करने का केवल जो सहायक संचालक हैं उनके यहां दे दिया जाय। यह बात हो सकती है कि यह कहा जाय कि कुछ समय व्यर्थ नष्ट हो जायगा और काम में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि इस तरह से काम में सुविधा होगी, लोगों को संतोष हो जायगा और हम भी तो वही कहते हैं कि कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा और उसके बाद ऊपर न किया जाय। तो मैंने इस दृष्टि से रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चकबंदी समिति के निर्माण के सम्बन्ध में अपील है। उसमें लोगों को अपने को संतुष्ट करने का अवसर रहना चाहिये, क्योंकि चकबंदी समिति जो है उसकी बुनियाद पर ही हमारी चकबंदी योजना निर्भर करेगी। चकबंदी समिति अगर ऐसी होती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी इतनी क्षमता चकबंदी समिति में है कि वह गांव के सब लोगों को, अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर सके तो फिर वह चकबंदी समिति सफल होगी। चकबंदी समिति में अगर इस प्रकार की कोई बात हो गयी, जिसमें कि मुकामी तौर पर वह मामला ठीक नहीं हो पाया तो फिर वैसी हालत में कलेक्टर तक जाने का मौका देना चाहिये। अगर सरकार इसे मानती है तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ सुविधा लोगों को मिलती है जिनको कि हाकिम परगना के फैसले से संतोष नहीं है। अगर कोई ऐसी दिक्कत समझ में आये कि जिसकी बिना पर चकबंदी का काम रुक जायगा तो फिर तो जरूर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी और इसलिये इस पर विचार किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन एक तो बहुत ही बिलम्बकारी है और दूसरे उद्देश्यपूरक नहीं है। रूल ७ में.....

समय--२ बजकर १५ मिनट

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--इस समय सवा दो बज चुके हैं और हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी।)

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कि कह रहा था कि नियम ७ में जितनी आवश्यक सूचना है कि भूमि प्रबंधक समिति के कुल कितने सदस्य हैं, आदि आदि तो यह सब सूचना संचालक के पास जायगी और वही महत्वपूर्ण बात है। अब नियम ८ के अन्दर जहां केवल चुनाव का सम्बन्ध है उसमें भी वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि वह आपत्ति सहायक संचालक चकबंदी के पास जायगी तो उसमें बहुत समय लग जायगा और इसीलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही बिलंबकारी, अनावश्यक है और उद्देश्यपूरक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ८ के उपनियम (२) की पांचवीं पंक्ति के शब्द "जायगी" और "जिसका" के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं --

"यदि आपत्ति प्रस्तुत करने वाला अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसका सम्बन्ध उस निर्णय से हो बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह सहायक संचालक चकबंदी को अपील कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम १०

***श्री गेंदासिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम १० के अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं :--

"और गांव वालों को मत जानने के बाद, जो १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी को प्राप्त होंगे, उसके अनुसार नामांकन में रद्दोबदल कर देगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक संशोधन है। यह इससे सम्बन्ध रखता है कि बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) सम्बन्धों में कार्यवाहियों को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिये चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, भूमि प्रबन्धक समिति के एक से चार सदस्यों को, जैसे और जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

आवश्यक हो, नामांकित कर सकता है। इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के नाम तथा नियम ८ के अधीन निर्वाचित सदस्यों के नाम गांव वालों को प्रकाशित किये जायेंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि यह हिस्सा और बढ़ा दिया जाय :—

"और गांव वालों के मत जानने के बाद, जो १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी को प्राप्त होंगे, उसके अनुसार नामांकन में रद्दोबदल कर देगा।"

असल में जो चकबंदी समिति जिसकी चर्चा काफी हो चुकी है, उस चकबंदी समिति में कुछ लोगों को नामजद करने का सरकार को अधिकार है और यहां इस नियम में इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक से चार व्यक्तियों को नामजद किया जा सकता है। तो यह है कि यह बन्दोबस्त अधिकारी जो है, जो आमतौर से हाकिम परगना होगा, वह चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर एक से चार आदमियों को नामजद करेगा और नामजद करने के बाद उनके नाम घोषित किये जायेंगे और गांव वालों को बता दिया जायगा कि फलां फलां लोग उस चकबंदी समिति के सदस्य हो गये। इसमें गांव के लोगों को एक अवसर देने का हमारा यह संशोधन है कि अगर उनके सम्बन्ध में कोई विरुद्ध मत रखता हो या किसी के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी हो, यानी कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से चकबंदी के कार्य में बाधा पड़ने वाली हो तो फिर जिनके खेतों की चकबंदी करनी है, वे उस सम्बन्ध में हाकिम बन्दोबस्त जो है उसको अपना मत बता दें और उस मत को जानने के बाद उसमें रद्दोबदल करेगा। यानी उसकी इच्छा पर है कि अगर वह चाहे तो उनके मत को जानने के बाद उसमें रद्दोबदल कर सकता है। मेरे संशोधन का सिर्फ इतना मतलब है कि नामजद जो किये जायं उस पर जिनके खेतों की चकबंदी करनी है उन नामजद सदस्यों के बारे में उनको भी कुछ कहने का मौका दिया जाय। यह कहीं नहीं है कि जो कुछ भी सुने या जो कुछ भी कहें वह बिलकुल किसी और ढंग से मान ही ले। उसको तो फिर विचार करने का मौका होगा और बन्दोबस्त अधिकारी पूरी तौर पर विचार कर ले और अगर जरूरी समझता हो तो रद्दोबदल कर दे नामजद सदस्यों में। बस इतना ही मतलब है। तो मैं ध्यान दिला कर अब ऐसा समझता हूं कि इस चकबंदी समिति की जिम्मेदारी को समझते हुये, उस चकबंदी समिति के सदस्यों के प्रति गांव वालों की इच्छा की कद्र की जायगी और गांव वालों की इच्छा मानी जायगी अगर वह इच्छा वह अधिकारी भी मुनासिब समझता हो।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, इसकी जरूरत नहीं है जो संशोधन मेरे दोस्त ने पेश किया है। क्योंकि नियम १० यह कहता है कि—

"बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) चकबंदी सम्बन्धी कार्यवाहियों को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिये चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उपयुक्त समझे, भूमि प्रबन्धक समिति के एक से चार सदस्यों को जैसे और जब आवश्यक हो नामांकित कर सकता है।

इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के नाम तथा नियम ८ के अधीन निर्वाचित सदस्यों के नाम गांव में प्रकाशित किये जायेंगे।"

तो अब आप यह चाहते हैं कि जब वह नाम प्रकाशित कर दिये जायं तब फिर और मौका हो।

श्री गेंदासिंह—पन्द्रह दिन।

श्री चरणसिंह—मैं अर्ज कर रहा हूं कि शुरू में ही जब दिया हुआ है उसमें कि "चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे उपयुक्त समझे" तब बन्दोबस्त अधिकारी, सेटलमेंट आफिसर या एस० डी० ओ० नामिनेट करे। अगर जरूरत समझेगा तो इन्क्वायरी पहले ही कर लेगा और फिर नाम पब्लिश करेगा। परन्तु मेरे

दोस्त चाहते हैं कि १५ दिन का मौका और हो और फिर शायद अगले सत्र में इस सदन में माननीय गेंदासिंह जी खुद अपने नाम से या किसी दूसरे से यह सवाल पूछवायेंगे कि साहब चकबंदी में इतनी देर क्यों हो रही है? कदम कदम पर तो १५ दिन का मौका, २० दिन का मौका, आखिर इन मौकों की कोई हद भी होगी? तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गैरजरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १० के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"और गांव वालों के मत जानने के बाद, जो १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी को प्राप्त होंगे, उसके अनुसार नामांकन में रद्दोबदल कर देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ११

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि नियम ११ के उपनियम (२) के निम्नलिखित शब्द हटा दिये जायं—

"विशेषतः पढ़े लिखे व्यक्ति होने चाहिये"।

और शब्द "आ चुके" के बाद शब्द "होने चाहियें" बढ़ा दिये जायं। यह असल में गलत छप गया है। उसको इस तरह से पढ़ें—(१) गांव के ऐसे स्थायी निवासी, जो उस गांव में खेती करते हों, तथा

(२) २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के होने चाहियें। "विशेषतः (preferably) पढ़े लिखे व्यक्ति होने चाहियें" यह हटा दिया जाय।

अब गांव वालों की यह चकबंदी समिति जो होगी उसमें जहां यह नियम कर दिया गया कि इसमें प्रिफरेंस दिया जाय पढ़े लिखे लोगों को, तो ऐसी हालत में गांवों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बहुत कम है और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों से अधिक कारगुजार होते हैं। तब फिर मैं सोचता हूं कि यह एक बंधन हो जायगा, हालांकि लिखा हुआ जरूर है कि विशेषतः पढ़े लिखे लोग होने चाहियें तो यह विशेषतः पढ़े लिखे लोग होने की जो बात है, तो जैसे राजस्व मंत्री जी समझते हैं कि कुछ हृदय और विवेक से काम होना चाहिये तो इसमें भी विवेक के ऊपर छोड़ दें तो क्या हर्ज है? पढ़े लिखे लोगों के ऊपर इस समिति के बनाने का बोझ न डाला जाय। जब बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है तो इस चकबंदी के काम में पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रखना उसमें रुकावट डालने वाली चीज होगी। पढ़े लिखे लोगों के प्रति मैं कोई अश्रद्धा नहीं प्रकट कर रहा हूं लेकिन जहां पर पढ़े लिखे लोग बहुत थोड़े ही होते हैं, वह बहुत मंहगे पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो थोड़ी होती है वही महंगी हो जाती है क्योंकि बाजार भाव तो सप्लाई और डिमांड पर चलता है, तो समिति के लोगों की भी महंगी पड़ जायगी। जब यह बन्धन हो जायगा कि इतने ही लोगों में से हमको चकबंदी समिति में लेना है तो जो मौके के हाकिम हों चकबंदी के कार्य में वह बड़े विवेकमान होने चाहिये।

श्री चरणसिंह—और बेपढ़े लिखे हों तो अच्छा है?

श्री गेंदासिंह—वेद पढ़े हों तो अच्छा ही है। वेद पढ़े हों शास्त्र पढ़े हों और इस वक्त जो माननीय राजस्व मंत्री जी शास्त्र बना रहे हैं उसके भी ज्ञाता हों उसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता। आज उनके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो वेद के विरुद्ध भी उनसे कुछ कहलवा रहे हैं। मैं जानता हूं कि वह वेद के विरुद्ध नहीं कह सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

विवेकमान हाकिम हों और विवेक पर इस कार्य को छोड़ दें, जिससे चकबंदी का कार्य ठीक से चल सके और वह कार्य सुकर हो सके। केवल दो तीन लफ्ज हटाने की बात है। अगर हट जायंगे तो उससे उस हाकिम का कार्य सुकर हो जाता है जो वहां पर जाकर कार्य करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि अगर स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरे दोस्तों की नजरों में शिक्षा एक डिस्क्वालीफिकेशन है वरना जब उसमें गुंजाइश इस बात की है, जो शब्द हैं वह यह हैं कि २१ वर्ष की आयु के हों, विशेषकर पढ़े लिखे हों, 'प्रिफरेबली' का तर्जुमा 'विशेषकर' हुआ। तो उस अफसर को यह अख्तियारे तमीजी है, उसका डिस्क्रीशन महदूद है कि अगर बेपढ़े लिखे लोग समझदार और ईमानदार समझे तो कर सकता है। लेकिन अगर दो आदमी हों और सब मामलों में यकसां हों, एक सी उम्र हो, एक से ईमानदार, एक से बाअसर, तब उसको यह चाहिये कि पढ़े लिखे को पसन्द करे। केवल इतना ही है। उसके हमने हाथ नहीं बांध दिये हैं कि पढ़ा लिखा ही जरूर हो चाहे बेईमान हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माननीय मित्र यह शब्द जो निकलवाना चाहते हैं, अगर यह निकाल दिये जायं तो उनका मतलब यह हो जायगा कि पढ़ा लिखा होना कोई क्वालिफिकेशन किसी भी सूरत में नहीं रहेगी।

श्री गेंदासिंह—उसके विवेक के ऊपर रखिये।

श्री चरणसिंह—विवेक पर यही क्यों न रखो कि सब चीजें बराबर हैं तो पढ़े लिखे को अच्छा समझो। अशिक्षित के मुकाबले में शिक्षित को अच्छा समझते हैं लिहाजा यदि दो आदिमियों में सब चीजें एक सी हैं तो शिक्षित आदमी को प्रीफरेन्स मिलना चाहिये। अगर बेपढ़ा लिखा आदमी ईमानदार है और पढ़ा लिखा आदमी बेईमान है तो आफ़िसर को अधिकार है कि वह अशिक्षित आदमी को कर दे जो कि ईमानदार है। अगर आपकी ईमानदारी को माना जाय तब तो सेटिलमेंट आफिसर जो हो उसके लिये अगर कोई क्वालिफिकेशन न रखी जाय तो शायद यह काम ज्यादा सुचारु रूप से चल सके। मैं कभी-कभी तो अपने मन में अचरज करता रहता हूं कि जहां कोई बात नहीं होती है वहां भी गेंदा सिंह जी कहते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ११ के उपनियम (२) के निम्नलिखित शब्द हटा दिये जायं :—

"विशेषतः पढ़े लिखे व्यक्ति होने चाहियें," और शब्द "आ चुके" के बाद शब्द "होने चाहिये" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम १७

*श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम १७ का उपनियम (घ) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम १७ जिसमें मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है कि :—

१७—धारा ४ तथा नियम १६ में उल्लिखित प्रख्यापन को निरस्त करने के राज्य सरकार के अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये वह निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर उक्त प्रख्यापन निरस्त कर सकती है, अर्थात् यह कि :—

(क) सम्बद्ध क्षेत्र में इस प्रकार की विकास योजना के अनुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूर्ण हो जाने पर चकबन्दी किसानों के एक समूह न्याय विरुद्ध हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ख) सम्बद्ध क्षेत्र को किसी विपत्ति से क्षति पहुंची है, जिसकी पूर्ति होने में कुछ समय लगेगा।

(ग) सम्बद्ध गांव में स्वेच्छा से पूर्ववर्ती विधायनों के अधीन पहले से ही चकबन्दी की जा चुकी है और गांव के लोग उक्त चकबन्दी से संतुष्ट हैं।

(घ) सम्बद्ध गांव में दलबन्दियों के कारण इतना मतभेद है कि उसमें चकबन्दी का कार्य करना बहुत कठिन है।

(ङ) किसी गांव में खेती दूर दूर स्थित खेतों में की जाती है, जिनके बीच में भूमि के अकृषिक खंड पड़े होते हैं और जोतों की चकबन्दी से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(च) सम्बद्ध भूखंड में किसी नदी के बहाव के कारण बहुत शीघ्रता से और विनाशकारी परिवर्तन होते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने यह संशोधन रखा है वह इसलिये रखा है कि मैं उत्सुकतावश राजस्व मंत्री से यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो कारण बतलाया गया है कि किन-किन कारणों में राज्य सरकार इसको कहीं लागू नहीं करेगी या निरस्त कर सकती है ? (घ) में लिखा हुआ है कि सम्बद्ध गांव में दलबन्दियों के कारण इतना मतभेद है कि उसमें चकबन्दी का कार्य करना बहुत कठिन है। इसमें जो और ५–६ कारण दिये हुये हैं वह तो उचित मालूम होते हैं, लेकिन यह कारण कि किसी गांव में दलबन्दी के कारण वहां पर सरकार कार्य बन्द कर दे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह तो हर गांव में लोग मिल सकते हैं और सैकड़ों की तादाद में मिल सकते हैं तो क्या इतने महत्व की कार्यवाही को रोक दिया जाना ठीक होगा ? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इसको रखने की क्या आवश्यकता हुई ? मैं चाहता हूं कि इसको बिल्कुल निकाल दिया जाय। दलबन्दी से कोई काम रुकना नहीं चाहिये, बल्कि सरकार का और राज्य कर्मचारियों का कर्त्तव्य है कि वहां के लोगों को समझायें बुझायें। यह कोई उपयुक्त कारण नहीं है जिसकी वजह से चकबन्दी का काम रोक दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही प्रबल कारण है, क्योंकि यह विधेयक जनकल्याण के लिये ही बनाया गया है। अगर किसी गांव में बहुत ज्यादा मतभेद हो जाय और उदाहरण के लिये इतना मतभेद हो कि भूमि सम्बन्धी जो समिति बने उसका भी काम आगे न चल सके और गाड़ी आगे न चले। इस दर्जे की चीज हो और काम नहीं चल सकता है तो सिवाय इसके कि उसे छोड़ दें और कुछ नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

* श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के उपनेता का भाषण सुनने के बाद उनसे एक अपील करने की इच्छा हुई। जिसे वह इतना महत्वपूर्ण अधिनियम कहते हैं उनके दल के लोग उसी चकबन्दी कानून का प्रोसेशन निकाल कर बाहर 'चकबन्दी कानून वापस लो' के नारे लगाते हैं और अभी तकिया के मेले में हमारे माननीय चरणसिंह जी गये थे, चकबन्दी सम्मेलन के अवसर पर। उस वक्त उन्होंने उस सम्मेलन को भंग करने की कोशिश की और यह नारा लगाया कि 'चकबन्दी कानून वापस लो, तो मैं अपने विरोधी दल के उपनेता से यह अपील करूंगा कि कम से कम वह अपने दल के अनुयायियों को इस बात की ताकीद करें कि जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा वे इस महान् उपयोगी अधिनियमों का इस प्रकार विरोध न करें।

* श्री रामनारायण त्रिपाठी—चूंकि दल के सम्बन्ध में एक बात कही गयी है, इसलिये मैं उसका उत्तर दे देना उचित समझता हूं। ऐसे ही जब कि चकबन्दी विधेयक इस सदन में पेश किया जा रहा था तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने सुल्तानपुर के सम्बन्ध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कुछ शिकायतें की थीं और मैंने उनसे वादा किया था कि ऐसी शिकायतें बाद में नहीं होंगी। हमारे दल की यह कतई नीति नहीं है कि चकबन्दी की योजना में कोई विघ्न डाला जाय। हो सकता है कि इक्का दुक्का लोग भ्रमवश कहीं ऐसी बात करते हों। हमारी पार्टी की कोई ऐसी नीति नहीं है और इस प्रकार की जो गड़बड़ियां की जाती हैं अगर हमारे नोटिस में आयेंगी तो हम उसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे। मैं स्पष्ट घोषणा कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने कोई फ़ैसला इस सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया है कि सरकार की चकबन्दी योजना का विरोध किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम १७ का उपनियम (घ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम १९

*श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम १९ का मुख्य भाग निम्न प्रकार रख दिया जाय—

"१९—सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा ७ के अधीन कार्यवाही करने के प्रसंग में गांव के प्रत्येक खेत की पड़ताल करेगा और ऐसी सूचना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित किये गये हों—"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस नियम के मुख्य भाग की तरफ़ मेरे संशोधन में इशारा है वह इस प्रकार है—"सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा ७ के अधीन कार्यवाही करने के प्रसंग में चकबन्दी कर्ता को गांव के प्रत्येक खेत की पड़ताल करने और तत्सम्बन्धी ऐसी प्रसूचना प्रस्तुत करने के लिये निर्देश करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित किये गये हों।" अब जो सरकार की तरफ से नियम १९ है उसके मुख्य भाग में यह लिखा है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर से यह कहेगा कि वह गांव की पड़ताल करे और सूचनायें मंगाये। हमने अपने संशोधन द्वारा यह चाहा है कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर स्वयं ऐसी सूचना को एकत्रित करे और स्वयं खेतों की पड़ताल करे। इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा माननीय राजस्व मंत्री के सामने कुछ नहीं रखना चाहता लेकिन बड़ा घोर विरोध किया गया था जब कि चकबन्दी विधेयक में संशोधन हो रहा था। मूल चकबन्दी अधिनियम में सरकार की योजना यही थी कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर ही पड़ताल करे और आवश्यक सूचनायें भी एकत्रित करे। लेकिन सरकार की तरफ़ से जो संशोधन उपस्थित किया गया उसमें "करायेगा" लिखा गया था। उस पर हमने घोर आपत्ति की थी और आज उस "करायेगा" का स्पष्टीकरण करते हुये इसमें साफ़ लिखा गया है कि कंसालिडेटर से काम करायेगा। यद्यपि तत्परता बरती गयी है लेकिन वही कानूनगो रख लिये गये हैं। अब भी हम नहीं समझते हैं कि इस योजना में कंसालिडेटर कोई बहुत बड़ा काम करें। असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर्स की चाहे संख्या बढ़ जाय लेकिन वे गजटेड रैंक के होंगे और उन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है बनिस्बत कानूनगो के या उनसे छोटे रैंक के लोगों के। और माननीय राजस्व मंत्री को मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि काफी सतर्कता बरतने के बावजूद भी कंसालिडेटर्स में ऐसे लोग नियुक्त किये गये हैं जिनकी एंटिग्रिटी वग़ैरह का कोई ख़ास ख़याल नहीं रखा गया। आवश्यकता पड़ने पर मैं उनके सामने ऐसे व्यक्तिगत केसेज़ को लिख कर भेजूंगा और ऐसे लोग भी मेरी जानकारी में हैं जो कि चार महीने पहले इंटेग्रिटी के बारे में सस्पेंड कर दिये गये थे और वह कंसालिडेटर मुकर्रर कर दिये गये हैं। इसलिये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि "करायेगा" शब्द न रख कर असिस्टेंट कंसालिडेशन ऑफ़िसर स्वयं ही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ताल करे और कंसालिडेटर के जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम न रखा जाय ताकि इस योजना के विफल होने की आशंका न हो।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मेरे माननीय दोस्त को "करायेगा" पर एतराज है। खुद करे और हर खेत की पड़ताल करे ऐसा वह चाहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनका यह ख्याल ठीक है, कि जिस समय मूल अधिनियम का मसौदा पेश हुआ था उस वक्त इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर खुद पड़ताल करे न कि कराये। यह बात बिलकुल ठीक है, धारा में हमने संशोधन भी कर दिया कि खुद ही करे। लेकिन मेरे माननीय मित्र यह भूल जाते हैं कि जब हमने संशोधन विधेयक पेश किया था तो यह कहा था कि अमल में यह बात असम्भव साबित हुई कि सहायक चकबन्दी अफ़सर हर खेत की पड़ताल स्वयं मौके पर जाकर कर सके और इस लिये धारा ७ में संशोधन हो गया था। उसके बाद फिर वही बहस और फिर वही सवाल उठाना मैं समझता हूं कि बहुत उचित नहीं है। लेकिन जरूरत पड़े तो हमारा इरादा है कि जो गैरनिजाई गलतियां हैं उनकी बीस फीसदी पड़ताल सहायक चकबन्दी अफसर करे और जो निजाई हैं उनकी शतप्रतिशत करे। इस प्रकार का विचार इस वक्त मुहकमे के जेरे गौर है। संशोधन हो जाने के बाद, संशोधन यह हुआ— इत्तिफाक से मेरे पास हिन्दी की प्रति नहीं है, इसमें ३ (ए) यह थी.—

In section 7 of the Principal Act for the words :

"by making a field to field partal of the entire village. He shall also prepare a statement showing" the words "by making a partal in accordance with the procedure to be prescribed. He shall also prepare or cause to be prepared a statement showing" shall be substituted.

यह अमेंडमेंट तो हो चुका है अब इससे तो लाजिमी नहीं है कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफ़िसर खुद हर खेत की पड़ताल करे। प्रोसीड्योर प्रेस्क्राइब होगा और प्रोसीड्योर में, जैसा कि मैंने कहा इस तरह का सुझाव हमारे जेरेगौर है और फिर इसे दोहराना चाहता हूं कि जितनी निजाई गलतियां हैं उनकी हर खेत की पड़ताल सहायक चकबन्दी आफिसर खुद करेगा और वेरिफाई करेगा और जो गैर-निजाई हैं उनको भी २० प्रतिशत करेगा। ऐसी हालत में जिस वक्त हमने पड़ताल रक्खी थी तो दिमाग के अन्दर यह चीज थी कि जो डिस्प्यूटेड हैं उनकी पड़ताल कंसालिडेटर पर न रक्खी जाय और वह ए० सी० ओ० करें, यह तो अब भी लाजमी रहेगा। लेकिन जैसा ऐक्ट में वर्डेड था वह यह था कि हर खेत-खेत पर जाय फिर उसके लिये कितने असिस्टेंट कंसालिडेटर आफिसर्स चाहियें और कितने आफिसर्स एस० सी० ओ० की हैसियत के नियुक्त किये जायं? इसलिये यह तरमीम विधान मंडल से करवा ली। इसलिये जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह चलता नहीं, जरुरत भी उसकी नहीं है कि वह खुद ही हर खेत पर जाय चाहे झगड़ा हो या न हो। श्रीमन्, जैसा मैंने कहा मंशा जो माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय त्रिपाठी जी की है वही मेरी और मेरे जो साथी इधर बैठे हैं उन सब की भी यही है कि ईमानदारी से यह काम हो। यह बड़ा भारी काम है, कभी-कभी देखकर मैं यह सोचने लगता हूं कि परमात्मा कैसे यह पूरा होगा। जमीन का बदलाव ईमानदारी से हो, सबको कांफिडेंस हो और झगड़ा भी न हो, यही हम सब की कोशिश है। अगर कानून में कहीं तरमीम की जरूरत हो जिससे हमारा यह उद्देश्य पूरा होता हो तो हर वक्त हम ऐसी तरमीम को मानने के लिये तैयार हैं लेकिन उद्देश्य की पूर्ति कम खर्चे से होती हो तो यह हम सब की भलाई की बात है, क्योंकि खर्चा जो है वह चाहे गवर्नमेंट अपने बजट से निकाले तब भी वह किसान पर ही पड़ता है क्योंकि ८० फीसदी रुपया किसानों से ही आता है, चाहे हम जिसकी जमीन है, जिस पर खर्चा होता हो, उससे ही ले लें। तो खर्चा हमें कम से कम करना है इसलिये हाइली सेलरीड आफिसर्स को जितना कम काम हो, इसके मानी जितना कम उनकी संख्या हो उतना ही अच्छा है। श्रीमन्, पहले जो हमारा कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट १९०३ में बना उसमें तीन खराबियां थीं, इसलिये वह काम नहीं हो सका। एक तो यह

[श्री चरणसिंह]

खराबी थी कि मुख्तलिफ जमींदार एक किसान के पास थे और मुख्तलिफ किस्म के किसान एक जमींदार के पास थे तो जमीन की अदला बदली में बड़ी दिक्कत पेश आती थी, वह दिक्कत अब दूर हो गई। दूसरी दिक्कत यह थी कि कागजात पहले दुरुस्त नहीं कराये जाते थे। जैसा भी लैंड रिकार्ड पटवारी मेनटेंन करता था उसी के आधार पर चक बनते जाते थे। वे कागजात जैसे थे उसे हम सब जानते ही हैं, लिहाजा चकों में गलती हो जाती थी। किसान महसूस करता था कि गलती हुई।

तीसरी बात यह थी कि इतना बड़ा स्टाफ नहीं रक्खा जाता था। अब हमने स्टाफ इतना रक्खा है कि हर तहसील में तीन चार कंसालिडेशन आफिसर्स तहसीलदार की हैसियत के हैं जो रेगुलर तहसीलदार हैं। उनके अलावा हर तहसीलदार के नीचे ३--४ नायब तहसीलदार हैं, हर नायब तहसीलदार के नीचे ४, ५ कानूनगो यानी कंसालिडेटर और हर कानूनगो के नीचे कई लेखपाल यानी कंसलिडेशन के अमीन हैं। इतना जाल बिछा दिया है अफ़सरान का, जो वहां रहेंगे। एक की निगरानी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा इतनी ज्यादा निगरानी हो गयी है कि बेइमानी की गुंजायश नहीं है। रूल्स भी ऐसे बनाये हैं कि जिनमें बेईमानी की गुंजायश नहीं हो सकती। जाहिर है कि २ लाख ९३ हजार विविध गलतियां सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना तहसील में पाई गई, जिसमें एक लाख तो शजरे की, एक लाख ४० हजार खसरे की और ४८ हजार खतौनी की थीं। अभी १५–२० दिन की बात है कि जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि ये सब गलतियां ठीक हो गयीं और केवल १६ हजार बाक़ी हैं। ७४ हजार गलतियां मुजफ्फरनगर में निकली थीं जिनमें से ९०० या १,१०० बाक़ी थीं। गांवों में जा-जा कर चौपालों में लोगों को इकट्ठा कर के, लोगों की रजामन्दी से झगड़ों को तय किया गया जिन पर कि मुकदमें पीढ़ियों से चल रहे थे और क़त्ल और फौजदारी हो रही थी। तो अब तक कोई उज्रदारी नहीं हुई, जिसकी वजह से अदालत के पास जाने की नौबत नहीं आयी। कुछ गांवों में प्रोसीडिंग आखिरी स्टेज तक पहुंच गयी, वह रुक इसलिये गयी है कि उसकी टाइम लिमिट जो थी वह अभी गुजर नहीं पायी है इसके मुताबिक वहां पर कार्यवाही की जा रही है। बल्कि और भी हिदायत यहां से गयी हैं और इन रूल्स में जो कुछ कठिनाइयां थीं उनमें भी सहूलियत पैदा करने की कोशिश की गयी है।

मुझसे डिप्टी कमिश्नर सुल्तानपुर ने यह बताया कि जब वह मुआइना करने के लिये गये तो उनके साथ हमारे समाजवादी पार्टी के ३, ४ वर्कर थे। डी० सी० ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां आप लोग मेरे साथ रहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि साहब हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिस ईमानदारी से काम हुआ उसकी हमको आशा नहीं थी। वह कहने लगे कि शुरू में हमको डर था कि शायद बड़ी बेईमानी होगी, लेकिन हमने अब देखा कि काम बहुत ईमानदारी से आपके आफिसरों ने किया है, जिसके लिये हम आप को मुबारकबाद देना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अच्छा किया आप लोगों ने, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी श्री चरण सिंह जी आ रहे हैं अगर उनके सामने इस बात को कह दिया जाय तो इससे गलतफहमी दूर हो जायगी और लोगों में गलतफहमी नहीं रहेगी। जैसा कि देवदत्त जी ने कहा, मैं अभी तकिया गया था तो वहां पर समाजवादी भाइयों की एक मीटिंग हो रही थी। मुझे भी वह लोग वहां जलसे में ले गये, लेकिन जहां हो रहा था वहां से कुछ फासले पर मैंने उनसे अपनी मीटिंग रखने को कहा था। वह इस गर्ज से कि अगर किसी को सुनने की ख्वाहिश होगी तो वह वहां पर आ जायगा। अगर मेले में रखेंगे तो उसमें मन लोगों का कम लगेगा। लेकिन फिर भी वह समाजवादी भाई अपना जलूस लेकर वहां पर पहुंचे और अहाते के अन्दर घुस आये और वहां पर उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया। जब मैं वहां से लौट रहा था तो जैसे ही मैं सड़क से गुजरा तो लोग वहां पर लाइन बांध कर खड़े हो

गये। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा बन्द कर लिया कि कोई बात उनकी सुन न सकूं, लेकिन यह जानता हूं कि वह चकबन्दी के खिलाफ़ नारे लगा रहे थे। मैं जानता हूं कि मेरे जो मित्र मेरे सामने बैठे हुये हैं उनकी मन्शा यह है, उनकी राय और इच्छा यह है कि चकबन्दी हो जाय और उनकी कोशिश भी है कि वह हो। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि जितनी ज्यादा सहूलियत हम करना चाहते हैं वह उससे भी ज्यादा चाहते हैं। पर उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है। इसको उन्होंने तसलीम किया है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी आपके यूनिट है उनको यह सूचना दे दी जाय तो अच्छा है। इससे गलतफहमी पैदा नहीं होगी और अगर उनकी कोई गलतफहमी होगी तो वह भी दूर हो जायगी।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। इस नियम के अनुसार कंसालिडेटर के काम पर कंसालिडेशन आफिसर तस्दीक करेगा। इसके लिये हमने अधिनियम में संशोधन कर लिया है। अभी तक काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि त्रिपाठी जी इस बात को प्रेस न करें और इससे कोई फायदा भी नहीं है। यह नहीं है कि राय में कोई फर्क है, लेकिन इसकी जरुरत नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया है, जितने भी डिस्प्यूटेड फील्ड होंगे उनकी असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर जांच करेगा, मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

नियम २५

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि नियम २५ का उपनियम (४) निम्न प्रकार से रख दिया जाय:—

"(४) सहायक चकबन्दी अधिकारी आकार पत्र के प्रत्येक इन्दराज की जांच करेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस नियम २५ के उपनियम (४) का जिक्र मैंने किया, वह इस प्रकार से है—

"चकबन्दी आकार-पत्र के प्रत्येक इंदराज की जांच करेगा और सहायक चकबन्दी अधिकारी कम से कम २५ प्रतिशत इन्दराजों की जांच करेगा।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वह जांच कैसे होंगी? मौके पर जाकर होगी या आफिस में होगी? अगर आफिस में जांच हो तो मैं समझता हूं कि पूरी-पूरी जांच होनी चाहिये और २५ प्रतिशत इंदराजों की जांच करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। राजस्व मंत्री जी को सुनने के बाद अगर आवश्यकता हुई तो मैं इसको भी वापिस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई डिस्प्यूट का सवाल ही नही है। रूल नंबर २५ का सब-रूल (३) इस प्रकार से है—

(3) The extraction of wet and dry area shall be done in C.H. Form no. 8. इसमें कहीं खाकी नम्बर हैं और कहीं आबी हैं उनकी भी फेहरिस्त बनेगी। अब जैसे सुल्तानपुर जिले में आबी और खाकी का कोई इम्तियाज नहीं रक्खा गया है लेकिन बाद में नहर निकाली गयी रकबे के रकबे और गांव के गांव नहर की आबपाशी में आ गये, और वहां का हर खेत वैट हो गया। अगर हर खेत का वैरीफिकेशन होगा तो बहुत मुश्किल आ जायगी इसलिये हमने २५ प्रतिशत रक्खा है। इसमें कोई डिस्प्यूट का सवाल नहीं है। कहां वेट है और कहां ड्राई है, इसलिये कैनाल के तीन सालों में पर्चों की जांच कर ली जायगी और उनकी लिस्ट बना दी जायगी। इसमें कोई वेरीफिकेशन की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने रख दिया कि २५ प्रतिशत की वैरीफिकेशन की जाय। मैं माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

त्रिपाठी जी और यहां सब दोस्तों की इत्तला के लिये यह कह देना चाहता हूं कि १५–१६ दिसम्बर को यहां पर चकबन्दी के सब आफीसरान को बुलाया गया था और उनसे ६–७ घंटे रोज बातें कीं। सुल्तानपुर में खाकी और आबी का इम्तियाज न होने से जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके ऊपर विचार किया गया। अगर किसी का खेत नहरी है, अगर वह किसी दूसरे के हिस्से में चला जाता है और उसके बदले में खाकी का खेत आ जाता है तो उसको बड़ा नुक्सान होगा, क्योंकि खाकी और आबी के खेतों में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम अब सेटिलमेंट के काग़ज़ात को देखते हैं तो वहां दोनों बराबर हैं ऐक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावीजन नहीं है। मुज़फ़्फ़रनगर में भी इस तरीके की बातें आईं। नहरी और चाही जमीन में भी फर्क होता है। जो आबपाशी कुएं से और जो नहर से होती है उसमें फर्क है। कुएं से भी डाल और तोड़ की सिंचाई होती है उसमें भी फर्क है। डाल से जो सिंचाई होती है वह जल्दी सूख जाती है। नहर और चाही में भी फर्क होता है। इसी तरह से नहर और ट्यूबवेल की सिंचाई में भी फर्क होता है। इस प्रकार जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कदम-कदम पर कठिनाई आ रही है। अभी हमने उन पर कुछ डिसिजन लिये हैं। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बहुत कोशिश इस बात की कर रहा हूं कि यदि ला आफ़िसर रूल्स के बनाने से ही काम चल जाने की इजाजत दे दें तो मैं सदन में दूसरा संशोधन विधेयक लेकर न आऊं, लेकिन अगर मजबूरी हो गयी तो फिर मुझे दूसरा संशोधन विधेयक लेकर सदन के सामने आना पड़ेगा। इसके बाद भी मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि अन्त तक नहीं लाना पड़ेगा। जब तक दो चार जगह पर चकबन्दी अन्तिम रूप नहीं धारण कर लेती तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या–क्या कठिनाइयां सामने आवेंगी। जैसे जैसे तजुर्बा होता जायेगा वैसे वैसे वे प्रस्ताव आपके सामने आयेंगे। इसमें डिस्प्यूट का कोई प्रश्न नहीं है। अगर डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड का कोई सम्बन्ध होता तो जैसा कि आपने अर्ज किया वही कर दिया जाता लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही कर दिया जायगा। मगर मुझे दिखलायी नहीं देता कि इस तरह की कोई बात होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस स्पष्टीकरण के बाद मैं अब इसको प्रेस नहीं करना चाहता।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

नियम २९

* **श्री रामनारायण त्रिपाठी**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २९ के उपनियम (२) की पंक्ति २ में संख्या "७" के स्थान पर संख्या "१५" रख दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय जिस नियम का मैंने ज़िक्र किया है नियम २९ का उपनियम (२) वह इस प्रकार है :—

"(२) उपनियम (१) में अभिदिष्ट विवरण–पत्र सम्बद्ध गांव में प्रकाशित किये जायेंगे और उक्त प्रकाशन से ७ दिन के भीतर प्रस्तुत की गयी किसी आपत्ति पर चकबन्दी अधिकारी तथा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा विचार किया जायगा।"

और उपनियम (१) इस प्रकार है :—

"(१) किसी ऐसे गांव के सम्बन्ध में जिसमें भूमि श्रेणियों की व्यवस्था न की गई हो, चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समितियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् ऐसे सिद्धान्तों का विवरण तैयार करेगा जिनके अनुसार मिट्टी के वर्ग निश्चित किये जायेंगे।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इसमें मेरा एतराज यह है कि ७ दिन का समय बहुत कम है, इसलिये मैं अपने संशोधन द्वारा चाहता हूं कि यह समय बढ़ा कर १५ दिन कर दिया जाय। ७ दिन और १५ दिन में कोई खास अन्तर नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि ७ दिन का समय बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर हो और उसे आना पड़े तो मुमकिन नहीं है कि ७ दिन में कोई कार्यवाही हो सके। सिर्फ ८ दिन और उसे मिल जायगा तो इस तरह से एक पखवारा मिलने से उसे काफी सहूलियत हो सकती है और माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये भी इसको स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, कोई विशेष आपत्ति तो नहीं है लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि आपत्ति वगैरह तो दरअसल होती हवाती नहीं और टाइम १५ दिन का होने से अफसरों को २५ दिन तक खाली बैठना पड़ेगा। मैं अपनी बात अर्ज कर दूं फिर मैं इसे आपके ऊपर ही निर्णय करने के लिये छोड़ दूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—गांव की बात है।

श्री चरणसिंह—गांव की बात तो है लेकिन जो नायब तहसीलदार व अफसर हैं वह गांव में किसी मुसाफिरखाने या शामियाने में जा कर तो ठहरेगा नहीं वह उसी गांव के अन्दर ही ठहरेगा या मुमकिन है कि उसी गांव के पड़ोस में जो ज्यादा से ज्यादा एकाध मील होगा रहेगा। तो ७ दिन काफी हैं। यह इसलिये है कि जिसमें देर न हो और श्रीमन् जैसा कि सभी दोस्तों की इच्छा है मेरी भी इच्छा है कि जल्द से जल्द चकबन्दी सारे सूबे में हो जाय। किसानों में इसके लिये सब जगह इन्तजार है। श्रीमन् १४ जिलों के अलावा जिन जिलों में अभी चकबन्दी का काम नहीं शुरू हुआ है वहां के लोग मेरे पास पहुंच कर शिकायत करते हैं और पूछते हैं कि आपने हमारे जिले को क्यों छोड़ दिया? फिर एक बात और है कि बहुतों ने तो अपने खेतों में डेवलपमेंट का काम भी छोड़ दिया है। जो अपने खेतों में कुवें लगाने को सोच रहे थे उन्होंने कुवें नहीं लगवाये और कहीं-कहीं तो दरख्त भी गलती से काट रहे हैं। काफी दरख्त कट चुके हैं। इन्हीं सब ख्याल से कि जल्दी से जल्दी यह काम हो जाय ७ दिन रखा गया है। अगर आप चाहते हैं तो १० दिन कर दीजिये लेकिन मेरी राय में अगर ५ दिन ही करवा देते तो ज्यादा अच्छा था लेकिन १० दिन वाला अगर चाहें तो रखा जा सकता है।

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय राजस्व मंत्री जी अपने "बजिद" शब्द को क्यों बार-बार दोहराया करते हैं और क्यों कहते हैं कि मैं बजिद हूं ७ दिन पर। उन्होंने दस दिन कह दिया वह तो ठीक है लेकिन देखना यह है कि चाहे गांव वालों को आप कितनी ही तेजी दिलाइये वे अभी जरा सुस्त हैं और यह समय बढ़ाने से जरा उनको मौका मिल जाता है और चूंकि उन्होंने इसको स्वीकार ही कर लिया है इसलिये मेरे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और जो दस दिन वाला कम्प्रोमाइज है वही स्वीकार कर लिया जाय तब भी ठीक है।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं यह संशोधन इस रूप में इसलिये मान रहा हूं ताकि वह बाद में यह न कहें कि हमारी कोई बात नहीं मानी जाती।

•श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २९ के उपनियम (२) की पंक्ति २ में संख्या "७" के स्थान पर संख्या "१०" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम ५४

*श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ५४ की चौथी पंक्ति के शब्द "ऐसे" तथा उसके बाद के सम्पूर्ण वाक्यांश को निकाल दिया जाय।

जिस नियम ५४ का इसमें जिक्र है वह इस प्रकार है कि अन्तिम प्रदेशन आज्ञाओं के वितरित हो जाने के पश्चात चकबन्दीकर्ता बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली रीति के अनुसार प्रत्येक चक की नई सीमाओं का परिच्छेद करेगा। ऐसे खातेदारों से एक रुपया प्रति एकड़ का खर्चा लिया जायगा जो स्वयं अपने खातों की सीमा रेखाओं का निर्माण नहीं करायेंगे। इसमें मेरा संशोधन यह है कि यह "ऐसे" से जो वाक्य आरम्भ होता है कि "ऐसे खातेदारों से एक रुपया प्रति एकड़ का खर्चा लिया जायगा जो स्वयं अपने खातों की सीमा रेखाओं का निर्माण नहीं करायेंगे", यह निकाल दिया जाय।

मैं श्रीमन्, आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय मूल अधिनियम में यह रखा गया था कि चकबन्दी योजना लागू करने के लिये किसान या खातेदार से ४ रुपया प्रतिएकड़ लिया जायगा तो उस समय बिल के स्टेज पर भी हमने आपत्ति की थी और हमने अपनी राय जाहिर की थी कि इस काम के लिये सरकार को अपने बजट से धन देना चाहिये और किसान से न लेना चाहिये। आगे यह भी निवेदन किया गया था कि अगर कुछ लेना जरूरी ही है तो ग्रेड बना दिये जायं कि एक एकड़ से कम वाले काश्तकारों से चकबन्दी के लिये कुछ न लिया जाय और जो बड़े खातेदार हैं और ४ या ५ एकड़ के खातेदारों से न लिया जाय इस तरह का ग्रेडेशन हमने चाहा था लेकिन उस समय भी हमारी बात नहीं मानी गयी। अब इस नियम में एक और एक रुपया प्रति एकड़ का खर्चा उन लोगों पर डाला जा रहा है जो अपने खेतों की मेड़ों को ठीक नहीं करेंगे और यह उनसे ४ रुपया एकड़ जो लिया जा रहा है उसके अलावा लिया जायगा, इस तरह से उन पर ५ रुपया एकड़ का खर्च पड़ जायगा। इसलिये अब जो गवर्नमेंट छोटे बड़े सभी काश्तकारों पर यह ४ रुपया के अलावा एक रुपया एकड़ जो लादना चाहती है यह उनके साथ अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि इसके अधिक विवेचन और वादविवाद की आवश्यकता तो नहीं है। और अगर वह उसी समय हमारी बात मान लिये होते कि छोटे किसानों से कोई खर्च न लिया जाय तो हमें संतोष हो जाता। बड़े किसानों से जो तीस एकड़ से उपर के हैं उनसे अगर ६ रुपया एकड़ भी लिया जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सब किसानों को आप ने बराबरी पर रख दिया तो वह तो आपत्ति हमारी अपनी जगह पर है ही लेकिन यह ४ रुपये के अलावा एक रुपया और बढ़ाना नामुनासिब होगा। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिनियम के अलावा नियमों के साथ एक रुपया बढ़ाने का प्राविजन न किया जाय।

श्री चरणसिंह—श्रीमन, मैं इस संशोधन के सिलसिले में माननीय त्रिपाठी जी की मुश्किल को समझता हूं इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त नहीं करूंगा कि वह इसे वापस ले लें क्योंकि अगर इसे वे वापस ले लें तो उनकी पार्टी के पैरों के नीचे से बहुत सी मिट्टी ही निकल जायगी कि टैक्सेशन बहुत बढ़ रहा है, फीस बहुत ली जा रही है। अब यह बात तो उनको रहनी चाहिये तो यह तो उनके दिल के बहलाने का सहारा है और मैं उनसे कैसे कहूं कि वापस ले लें क्योंकि एक तो यह बात है कि उनके दिल का दर्द जाता रहेगा तो फिर दिल नहीं लगेगा और दूसरे यह भी वह समझकर मानेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है समझाने की कोशिश करने का वह मैं करूंगा। इसमें हमने रखा है कि वे अपने आप मेंड़ बना लें, डाल बना लें, आखिर बाउन्डरीज बनानी पड़ेंगी और उसमें काफी लेबर चाहिये। खुद बना लें बहुत अच्छी बात है लेने देने का काम नहीं है लेकिन अगर खुद न बनावें तो केवल सहायक चकबंदी का अफसर ही बना दे, यदि इतनी तादाद उनकी होती तो भी हम कुछ न लेते। लेकिन उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये इतनी लेबर चाहिये उसके लिये पैसे कहां से आवे ? कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपने पास से दे दे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे पास क्या है, जो पैसा है वह किसानों की जेब का है, वह फिर उसी पर पड़ता है। गवर्नमेंट अपने पास से पैसा क्या दे। लेबर चाहिये, उसके लिये पैसे चाहिये। इसलिये एक रुपया है। वह भी लाजिमी नहीं है। अजखुद बना लें अच्छी बात है और नहीं बनाते हैं तो बनानी पड़ेगी। जितना स्टाफ लगा हुआ है अगर वह सब मैनुअल लेबर करें तब भी नहीं बना सकते तो लेबर तो लगानी पड़ेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह तो उस ४ के अलावा पांचवां रुपया है न ?

श्री चरणसिंह—अगर आप ४ रुपये ही समझते हैं, वह है तो नहीं लेकिन आप समझते हैं तो चार रुपये मुझे मंजूर है। रूल ६१ देखिये। रूल ६१ में यह है कि डेढ़ रुपये फी एकड़ शुरू में लिया जायगा और बाद में जो और खर्चा होगा वह ले लिया जायगा। जिस वक्त यह रूल बना था उस वक्त हमारा अनुमान यह था कि तीन रुपये फी एकड़ से ज्यादा खर्चा नहीं होगा बल्कि पौने तीन और कोशिश यही है कि ढाई रुपये होगा। डेढ़ रुपये हमने रखा था क्योंकि हमको पता नहीं है आखिर तजुर्बा ही तो कर रहे हैं हिसाब लगा कर समझते हैं कि शायद पौने तीन पड़ जाय तो डेढ़ रुपये और सवा रुपये बाद में और ढाई रुपये पड़ते हैं तो डेढ़ पहले और एक रुपये बाद में या सवा रुपये शुरू में और सवा रुपये बाद में कर देंगे। पहले ४ रुपये की बात थी लेकिन वह नहीं है, वह तीन से भी कम पड़ेगा। लेकिन अब वह जो खर्चा होगा वह सब पड़ेगा किस पर, सब पड़ना किसान पर ही है। अगर कोई और तरकीब निकल सकती हो कि किसान पर न पड़े और काम भी हो जाय तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं लेकिन कोई तरकीब नहीं है। एक्सचेकर से लो, तो कहीं स्कूल और ट्यूबवेल बनना रुकेंगे। कर्ज लो तो मय सूद के किसान से और उसके औलाद से वसूल होंगे। अगर ४ रुपये की फी एकड़ में यह चकबंदी करना है तो १० करोड़ रुपये हो जायेंगे और उसमें अगर यह एक रुपया भी सम्मिलित कर लें तो १४ करोड़ रुपये हो जायेंगे। तो वह सारा बोझ इकट्ठा हो कर बहुत हो जायगा इसलिये हमने यह तय किया है कि हिस्सारसदी तहसीलें ले ले कर ६–७ साल में सारे प्रदेश में चकबंदी पूरी कर दें जिससे यह खर्चे का बोझ भी कम रहे जमीन के रकबे के अनुपात से, तनास्सुब से वह उनको भार नहीं मालूम पड़ेगा। मेरा यह ख्याल है कि वह इसको आसानी से दे देंगे इसलिये मजबूरी है मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णरूप से चाहता था कि आज इस वादविवाद में हिस्सा न लूं तो अच्छा ही है मगर माननीय मंत्री चरणसिंह जी (श्री चरण सिंह के भवन से चले जाने पर) आयेंगे, उनको तो कुछ रोग है। जल्दी ही उसको पूरा करके चले आते हैं। श्रीमन्, अगर वह आ जायं और अच्छी तरह से सुन लें...

एक सदस्य—लाबी में हैं और सुन रहे हैं।

श्री राजनारायण—तो मैं यह कह रहा था कि रामनारायण जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में भाषण करते हुये यह कह दिया कि किसानों पर टैक्स का बोझ बड़ा भारी है और नाना प्रकार से आज अपने प्रांत के किसान सताये जा रहे हैं। आप श्रीमन् स्वतः परिचित होंगे कि आज उन किसानों के ऊपर भी टैक्स का कितना बोझ है जिन में कर देने की क्षमता रह ही नहीं गयी है और इस सरकार की ओर से भी जब कर लगाने की पालिसी पर विवाद होता है तो अक्सर यह कहते सुना गया है कि हां, कैपेसिटी टु पे का ख्याल रखना चाहिये। जब कैपेसिटी टु पे ही नहीं है, टैक्स देने की कुव्वत हीं नहीं है तो फिर टैक्स लगाया ही क्यों जाय ?

श्रीमन्, टैक्स लगाने की नीति मैं थोड़े ही में आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक बार ऐसी नीति करीब करीब हर मुल्क में चलायी गयी थी कि समान रीति से टैक्स लगे, उस समान रीति से टैक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

लगाने के माने यह होते थे कि जिस व्यक्ति की आमदनी १०० रुपया थी वह भी ५ रुपया टैक्स दे, जिसकी आमदनी ५० रुपया हो वह भी पांच रुपया टैक्स दे और जिसकी आमदनी १० रुपया हो वह भी पांच रुपया टैक्स दे। कुछ समय तक इसी नीति के अनुसार दुनियां में सरकारें चलती रही हैं। मगर आगे चल कर के अनुभव ने यह सिद्ध किया कि यह नीति बहुत ही गलत है। इस नीति में कम आमदनी वालों के साथ बड़ा अन्याय होता है और जिनकी ज्यादा आमदनी है उनके साथ रियायत हो जाती है। फिर श्रीमन्, मध्यम नीति सरकारों द्वारा अपनायी गयी। वह मध्यम नीति थी प्रपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, प्रपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम में यह बात आयी कि जिसकी आमदनी १०० रुपया है उस पर १० रुपया टैक्स लगे, जिसकी आमदनी १० रुपया है उस पर एक रुपया और जिस की एक रुपया आमदनी है उस पर भी एक आना या डेढ़ आना टैक्स लगे। आज इस प्रपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम के अनुसार सरकारों ने टैक्स लगाया। आगे श्रीमन्, जैसे जैसे ज्ञान वृद्धि होती गयी और लोगों को शासन का अनुभव प्राप्त होता गया, मुसीबतें और कठिनाइयां सामने आती गयीं, तो प्रगतिशील विचार के जितने अर्थशास्त्री हुये हैं उन सबों ने आज एक मत से एक्जेम्पशन की नीति अपनायी। (How many persons are going to be exempted) याने कितनों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये ? उनको छूट मिलनी चाहिये कि जिनके पास कैपेसिटी टु पे न हों, जिनके पास कर देने की ताकत न हो, जो न तो भर पेट भोजन पाते हों, न तन ढकने को कपड़ा पाते हों, न रहने को उनके पास मकान हो, न काम करने का जरिया हो, न बाल बच्चों की तालीम का इंतजाम हो और न वे अपने मर्ज की दवादारू कर सकें। ऐसे मानव के ऊपर जब सरकार टैक्स लगाती है श्रीमन्, तो आप ही के द्वारा उस सरकार को क्या संज्ञा दी जाय यह मैं पूछना चाहता हूं ? श्रीमन्, अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र से अलग रह करके भी मानवता की पुकार सुनी जानी चाहिये। मैं आपके द्वारा निहायत अदब से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति मानवता को प्रतिष्ठित करने का एक साधन है। शुद्ध राजनीति ही सतोगुण के रूप में परिणित होती है। बिना शुद्ध साधन के अपनाये हुये शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। साधन और साध्य में एकरूपता होनी चाहिये। साधन ही आगे चल कर साध्य का रूप ग्रहण करता है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य सिद्धांत की ओर चले गये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज सदन उठ रहा है तो कम से कम आज आप हमको मौका दें ताकि मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को अपने तर्क से बता सकूं कि आज एक रुपये का बोझ भी कितना भारी होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

एक सदस्य—वे तो चले गये।

श्री राजनारायण—अगर वे चले गये तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि वह किसी काम से अपना भार सौंप कर चले गये हैं, उनके रिप्रेजेन्टेटिव बैठे हुये हैं।

श्री राजनारायण—तो दूसरे लोग जो हैं वे बता देंगे।

एक सदस्य—शर्मा जी हैं।

श्री राजनारायण—शर्मा जी आये और शर्मा जी तो कुछ विषयों के जानकार हैं और मेरी यह जानकारी है कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत अच्छा समय गांधी जी की सेवा में बिताया है। इसलिये मेरा और साहस है कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं जो गम्भीरता के साथ मनन करेगा और उसके बाद अपने कार्यक्रम को निर्धारित करेगा। तो यह कहा गया, श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी की ओर से आया कि पैसा कहां से आयेगा, अगर टैक्स

नहीं लगाया जायगा तो रुपया कहां से आयेगा, कैसे खेतों के डौंड़ बनेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि रुपये के कितने साधन इस सरकार के द्वारा नये-नये निकाले गये, किसान पर कितना टैक्स का बोझ बढ़ाया गया ? श्रीमन्, मैं सुनना नहीं चाहता था अफसोस के साथ राजस्व मंत्री जी के मुखारबिन्दु से वह वाणी सुननी पड़ी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पैरों की कुल जमीन खिसक जायगी और माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी एक रुपये के नये टैक्स लगाने का विरोध नहीं करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं और इस सदन में अपनी वाणी बुलन्द करके बताना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी अपने पैरों की जमीन तो देखें कि इलाहाबाद में, जहां पर इस देश के प्रधान मंत्री का जन्म हुआ है, १५,१३५ वोटों की हार से नहीं समझते हैं कि उनकी जमीन है कहां, उनकी जमीन खिसक चुकी है और उनका फूटा हुआ ढोल जो अब धब धब कर बजता है अब उससे सुरीला राग नहीं निकलता। वह चाहे जो कुछ कहें, आज उनको अवसर प्राप्त है, आज वह माल मंत्री के पद पर आसीन हैं जो भी चाहें कहें। मगर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी कल ऐसी घड़ियां आयेंगी, समय की वेला ने इस बात को साबित कर दिया है कि विरोधी पार्टी ने जिस पर हाथ उठाया उसको सरकारी बेंचें भी न बचा सकीं। हम तो समझ बूझ कर बात कहते हैं और उस समय भी कह दिया करते हैं जब सामान्य लोगों को समझने में दिक्कत पड़ती है। उस समय शायद लोग यह समझते हैं कि केवल विरोधी पार्टी की वजह से ही ऐसी बातें राजनारायण या उनके साथी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा फर्ज यही है। श्रीमन्, अक्सर कहा जाता है और मैं आप ही को सम्बोधित करके कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की रक्षा के लिये व्यापकता चाहिये, उदारता चाहिये, सहिष्णुता चाहिये, मानव में उदारता होनी चाहिये, करुणा होनी चाहिये, मानव का दृष्टिकोण विशाल होना चाहिये, मगर उसी समय में कहना चाहता हूं कि जहां मानव में करुणा है वहां मानव में क्रोध भी होना चाहिये। करुणा होनी चाहिये, दया होनी चाहिये जो सताये हुये हैं उनके लिये हमारे दिल में दया है, करुणा है उन गरीबों के लिये, उन सताये हुये हरिजन परिवारों के लिये जो आज जीवन के तमाम सुखों से वंचित हैं, जो आज जीवन के साधनों से रहित हैं। मगर हमारे अन्दर क्रोध भी है और उस तबके के लिये जो शोषक बना हुआ है। जो शोषण की मनोवृत्ति से सारे समाज को शोषित कर रहा है। तो क्या श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं हमें सबक पढ़ाया जा रहा है हृदय परिवर्तन का ?

मैं इस सदन में पूछूंगा कि पूज्य बापू थे, श्री सुभाषचन्द्र बोस नेता जी के बारे में पूज्य बापू जी के दिल में सम्मान था मगर नेता जी के हृदय का परिवर्तन पूज्य बापू जी नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये इस विषय पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। केवल धारा प्रवाह में आकर कुछ इधर-उधर की बातों को कह देने मात्र से ही श्रीमन्, काम नहीं चलने वाला है। जहां पर हमारी आंखों में दया है, जहां पर हमारी आंखों में करुणा है वहां हमारी आंखें लाल भी हैं और हमारी आंखें लाल हैं आज समाज के उस तबके को देखकर जो कि आज समाज के बड़े विशाल अंश को पराजित करके, उसको पराधीन बनाकर, उसके जीवन के तमाम सुखों से उसको वंचित किये हुये हैं। फिर हमसे कहा जाय कि उस तबके के साथ रहम करो, उसके हृदय को परिवर्तित करो, कौन हृदय का परिवर्तन करने वाला है ? दस-बारह आदमियों की कमेटी में बैठ करके हृदय का परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर हृदय परिवर्तन केवल इस तरह की बातों को कह देने मात्र से कभी नहीं हुआ है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में क्रोध है, हमारी आंखें लाल हैं, जब मैं देखता हूं कि आज गरीब किसान तरस रहा है, आज गरीब किसान के परिवार के बेटे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, भोजन नहीं पा रहे हैं, उसके घर में रोशनी नहीं है और श्रीमन्, १०० में ९० घर ऐसे हैं जिनके पास एक दो या तीन एकड़ जमीन है। हमने तो सारे प्रांत के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में घूमकर के यह नतीजा निकाला है कि सौ में नब्बे घर ऐसे हैं कि जो रहने के लायक नहीं हैं, जिनमें पशु भी मुश्किल से जिन्दगी बसर कर सकते हैं, उसी घर में जो कि बिलकुल छोटा सा है वह और उसका परिवार और पशु भी हैं। बेटवा भी है, पतोह भी है, बिटिया भी है, दामाद भी हैं और छेड़-भेड़ भी है, अन्न है, गेहूं और चावल भी है वह भी एक कोने में पड़ा हुआ है। एक किसान के पास जब कोई कोठरी भी न हो, दिन

[श्री राजनारायण]

में आठ घंटे, दस घंटे काम करने के बाद जब वह श्रम से शिथिल हो चुका हो और जाकर सुख की नींद भी न ले सके, तब वह घर क्या कोई घर है ? यदि एक रुपया टैक्स बढ़ाने की बात है, तो यह क्या कोई मामूली बात है ? इससे हमारे हृदय पर आघात होता है । हमारी भावनायें उग्र होती हैं और जब भावनायें उग्र होती हैं तब माननीय राजस्व मंत्री जी के मुखारविंद से निकलते हैं ये शब्द कि हमारे पैर के नीचे से धरती खिसक जायगी, अगर हम इन बातों को नहीं कहेंगे। श्रीमन्, मैंने निवेदन किया और रामनारायण जी ने अपने भाषण में साफ तरीके से कह दिया था कि आखिर जो यह चार रुपया टैक्स लगाने की बात कानून के अन्दर थी वह क्यों ? माननीय राजस्व मंत्री ने मुक्त कंठ से यह बात नहीं कही कि वह चार रुपया नहीं लिया जायगा, उसी चार रुपये के अन्दर पहले डेढ़ रुपया लिया जायगा, फिर एक रुपया लिया जायगा फिर और रुपया लिया जायगा, मगर अगर चार रुपया नहीं लिया जाय, तीन लिया जाय, दो लिया जाय, यह क्यों लिया जाय जब कि राजस्व मंत्री स्वयं आज परिचित नहीं हैं उन परिस्थितियों से ? वह स्वतः कहते हैं कि देखा जायगा, अनुभव किया जायगा, अन्दाज लगाया जायगा, जबकि एक जिले, दो जिले तीन जिले, में चकबंदी की योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित न हो जाय तब तक उसकी सफलता असफलता के बारे में साधिकार कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री चरणसिंह—नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने यह कहा कि जब तक तीन चार जिलों में नहीं हो जायगा तब तक इस कानून और कानून के मातहत जो नियम बने हैं, उनमें क्या-क्या संशोधन करने पड़ जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजनारायण—श्रीमन, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो सफाई दी और हमने बैठकर जो उनको मौका दिया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि वह भी विरोधीदल के लोगों की बातों को सुना करें । लेकिन जितन हम ग्रामीण जीवन से पारिचित हैं, उनकी करुण कहानी और मुसीबत से परिचित हैं, उतने राजस्व मंत्री जी नहीं हैं । इसीलिये हम कहत हैं कि यह बड़ा भारी टैक्स है । इसका बोझ इतना है कि किसान देने में असमर्थ हो जाय । हम यह भी निवेदन कर दें कि कोई भी योजना अच्छी हो या बुरी, उस योजना की अच्छाई ही उसको अच्छाई की शकल नहीं दे सकती । उस योजना की बुराई ही उसको बुराई के रूप में कभी-कभी नहीं भी परिणित करती । क्यों ? अगर हमको मौका मिले और इस सदन के सम्मानित सदस्य चार बज के बाद तक भी बैठने के लिये उत्सुक हों तो एक-एक प्रमाण देकर मैं साबित कर सकता हूं कि सरकार की बहुत सी बुराइयां इस तरह की हैं जिनको कि जनता ने अच्छे तरीके से उसी समय नहीं पहचाना, अब पहचान रही है । सरकार द्वारा लगाये हुये वृक्ष कैसा फल पैदा कर रहे हैं, अब उसके आसार पैदा हो रहे हैं । अब मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी, सरकारी खजाने में कितनी आमदनी गयी ? जब जमींदारी उन्मूलन हो रहा था तो किसानों को आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे लगान का बोझ कम होगा, तुम्हारी जमीन की व्यवस्था अच्छी होगी, क्या उनके लगान का बोझ कम हुआ ? कई करोड़ रुपया वह भी तो किसानों का गया, वह सरकारी खजाने में आया.....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—अधिवासियों का कम हो गया ।

श्री राजनारायण—माननीय सदस्य शायद हिसाब लगाने में गलती करते हैं । वह भी नहीं समझ पाते कि अधिवासियों का कैसे कम हुआ । मैं बराबर माननीय मंत्री जी की सेवा में पत्र भेजा करता हूं, अभी कहें तो भेज दूं कि किस तरह से सीरदारों और अधिवासियों का मामला चल रहा है । उन बातों पर इस समय जान की जरूरत नहीं है । जरूरत इस पर जाने की है क्या माननीय माल मंत्री के पास ऐसे भी आंकड़ हैं जो प्रांत की गरीब जनता के बारे में

यह बता सकें कि कितने आदमी हमारे प्रांत में ऐसे हैं जिनक पास टैक्स देने की कूवत नहीं है ? आप उनके ऊपर टैक्स लगायें क्यों ? वह कहां से वसूल होगा, जब टैक्स देने की कूवत ही नहीं रह गयी है ? क्या माल मंत्री जी के पास वह आंकड़ा है ? वह हमें बतायें कि आध एकड़, एक एकड़, डेढ़ एकड़, तीन एकड़ तक जमीन रखने वाले किसान जिनके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं, उनकी जिन्दगी कैसे चल रही है, वह अपने बाल-बच्चों की पढ़ाई और शादी कैसे करते हैं, अपने मरीज को दवा कैसे देते हैं, किस तरह से घर में रह रहे हैं ? इस प्रकार के कोई आंकड़ हमारे सामने नहीं रखे गये । इसलिये यह कह कर कि यह एक रुपया टैक्स अगर नहीं लगाया जायगा तो उनके खेतों के डांड़ कैसे बनेंगे, मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री आज वस्तुस्थिति से आंख मूंद रहे हैं । आज वस्तुस्थिति चिल्ला-चिल्ला कर, पुकार पुकार कर रो-रो कर कहती है ....

श्री अध्यक्ष—आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्रम संख्या १२ पर जो संशोधन है कि उसके बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं उसी पर कह रहा हूं और श्रीमन्, मैं यही निवेदन कर रहा था कि यह एक रुपया प्रति एकड़ टैक्स जो लगाया जायगा उसमें यही बात नहीं है कि यदि एक किसान की दस एकड़ जमीन एक जगह आयेगी तो उसी एक रुपये में उसका सारा डांड़ बन जाय । अगर दस एकड़ का किसान है तो दस रुपया उसको डांड़ बनाने में देना पड़ेगा । ५ एकड़ का किसान है, अगर एक जगह उसकी जमीन हुयी , तो ५ रुपया देना पड़ेगा, तीन एकड़ का है तो तीन रुपया देना होगा, चाहे वह अपने जीवन का निर्वाह भी नहीं कर सके उस तीन एकड़ जमीन से । एक तरफ तो माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि उनके खतों में चकबंदी होगी तो उनके लिये लाभकर होगा और दूसरी ओर इस प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है । श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने आपकी अनुपस्थिति में चकबंदी के सिद्धांत के बारे में बहुत सी बातें बतायीं और उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी उन्नाव के बारे में आक्षेप किया । मैं कहना चाहता हूं कि चकबंदी की योजना अच्छी योजना है । हम बाहर भी अपने सिद्धांत को बराबर कहते रहे हैं कि चकबंदी की योजना अच्छी योजना है मगर वह भी बुरे हाथों में पड़कर बुरी हो जाया करती है । आज इस सरकार के द्वारा जो चकबंदी की योजना चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह कुछ बुरे हाथों में पड़ गयी है । उसके बुरे नतीजे हो रहे हैं । वह किसानों में विक्षोभ की भावना पैदा कर रहे हैं । मैंने एक दिन माननीय राजस्व मंत्री जी को फोन से बतलाया था । इसके अतिरिक्त हमारे साथी सेठ दामोदर स्वरूप जी जिला उन्नाव में गये थे और उन्होंने एक ब्योरा हमें दिया था और उन्होंने फोन से रिपोर्ट की थी । हमने इसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी से निवदन किया था तो उन्होंने कहा था कि आप कह दीजिये कि क्या क्या और किस विषय की जो शिकायत है, वह इसका पूरा ब्योरा भेजें । ठीक है जो उन्होंने ब्योरा मांगा । इसके लिये मैं उनको बधाई दे सकता हूं । मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उनके पास इतन सरकारी कर्मचारी हैं, सी० आई० डी० है और पुलिस है तो फिर उन्होंने उनसे ब्योरा न मांगकर हम से ब्योरा क्यों मांगा ?

अच्छी योजना भी कितनी बुरी हो रही है बुरे हाथों में पड़कर.....

श्री चरणसिंह—उन्नाव में बुरी हो रही है ।

श्री राजनारायण—आगे भी आ रहा हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने उन्नाव की बात कही । जब वह बोल रहे थे तो उनकी बगल में बैठे हुये एक मित्र मिर्जापुर को दौड़ गये । मैं उन्हें वहां की सैर कराना नहीं चाहता हूं और न राजस्व मंत्री जी को ही कराना चाहता हूं, और न उनको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि जब उन्हें याद आती है तो उनक दिल पर चोट पहुंचती है और वह अपना संतुलन खोकर इधर उधर की बात कह जाते हैं । मैं चाहता हूं कि विस्मृति के गर्त में पड़ी भावनायें सुसुप्तावस्था में पड़ी रहें तो ज्यादा अच्छा है ।

[श्री राजनारायण]

माननीय राजस्व मंत्री जी बतला दें कि क्या अभी तक उनकी टैक्स की प्यास बुझी नहीं है ? १९३६ में आपका १२ करोड़ का बजट था जो आज ८४ करोड़ का है। फिर भी सरकार कह रही है कि हम टैक्स बढ़ायेंगे। किसानों की यदि उन्नति के कार्य करेंगे, तो हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि अगर हम रुपया खर्च कर देंगे तो नहरें कहां से बनेंगी, नलकूप कैसे लेंगेगें ? उसका हिसाब तो बतलाया जा चुका है कि कहां नलकूप लग रहे हैं। २६०० नलकूप अंग्रेज लगवा गये। नहरों की बात भी मैं दावे से कहता हूं। यहां पर मिर्जापुर के सम्मानित सदस्य बैठें हैं।

श्रीमन्, मैं आपको न्योता देना चाहता हूं क्योंकि आज के बाद सदन की कार्यवाही आगे चलेगी नहीं इसलिये आप आज ही हमारे साथ चले चलें तो मैं वहां के किसानों की करुण गाथा आपको दिखला दूं कि कैसे उनकी लहलहाती हुयी फसल पानी के अभाव में सूख गयी। इंजीनियर ने मछली बेच दीं और नहर का पानी सूख गया। आज किसान बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी फसल सूख रही है। चुनार की तहसील में एक जुलूस का आयोजन किया गया था वहां औरतें सूखे धान के पौदे ले कर आई थीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---गलत है बिलकुल गलत है।

श्री राजनारायण---मैं दावे से कहना चाहता हूं कि यही गलत गलत की बात कह कर शिवकुमार जी की इलाहाबाद में हार हुई है। वह हमारे साथी देख लें। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि माननीय नेहरू जी के क्षेत्र में १५,००० वोट से उनकी हार हुई और जब कि केन्द्र के मंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने वहां पर निजी तौर से कन्वेसिंग किया था।

श्री अध्यक्ष---अब आप संशोधन पर आ जायं।

श्री राजनारायण---यह लोग बीच में छेड़ देते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मैं माल मंत्री जी का शुभचिंतक हूं.....

श्री चरण सिंह---God save me from my friends. (ईश्वर मुझे मेरे शुभ-चिंतकों से बचावे।)

श्री राजनारायण---वही चिंता हमें बाध्य किया करती है, इन जजबात के इजहार के लिये। श्रीमन् आप उस समय सदन में नहीं थे। मैं चाहता था कि आप उपस्थित रहते उस समय मैं अपनी उन बातों को कहता जो मैंने पहले कही थीं। मैंने कहा था साध्य और साधन के बारे में राजनीति और मानवता के बारे में। शुद्ध राजनीति ही मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिये एक साधन है। साध्य ही जा कर साधन के रूप में परिणत होता है। माननीय राजस्व मंत्री यह भले ही कहें कि चकबन्दी का उद्देश्य अच्छा है मगर अगर साधन गलत है, दोषपूर्ण है तो उससे कैसे भला हो सकता है किसानों का कैसे सिद्ध लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, कैसे चरम ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं माननीय राजस्व मंत्री ? यहां माननीय रामनारायण जी ने कह दिया कि अगर राजस्व मंत्री जी आंकड़ा बता दें या यही आश्वासन दे दें कि एक एकड़ दो एकड़ तीन एकड़ या चार एकड़ तक वाले किसानों पर यह बोझ नहीं लगेगा तो वह अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार हैं। बड़े किसान हैं ज्यादा पैदा करते हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स लग जाय तो लग जाय उसकी चिन्ता हमें नहीं है। श्रीमन् इसी सदन में आप ने देखा कि जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के बारे में एक संशोधन आया था मैं इलाहाबाद के निर्वाचन में पड़ा हुआ था हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर टैक्स लगता है तो लग जाय। तो बार बार मंत्री जी का यह कहना कि अगर टैक्स लगाने की हमारी कोई योजना होगी तो विरोधी दल उसका अवश्य विरोध करेगा नहीं तो उनके पैर के नीचे की जमीन ही नहीं रहेगी कुछ सत्य नहीं है। अरे, हमारे पैर के नीचे की जमीन क्या सरकार की त्रुटियां निकाल कर है ? हमारा आदर्श है और लक्ष्य है।

हमारा आदर्श है जनतांत्रिक समाजवाद का जिसकी शरण में सबको जाना पड़ेगा, उसके बिना सरकार चल नहीं सकती। श्रीमन् आप तो पंडित हैं मैं आपको क्या बताऊं आपके द्वारा मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कहां गया वह कोआपरेटिव कामनवेल्थ, कहां गया वह वेलफ़ेयर स्टेट ? अब तो सोशलिस्ट स्टेट की बात होती है। सोशलिस्ट शब्द में जादू है। जादू वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले। आज वह जादू बोल रहा है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जनता इन शाब्दिक जालों में आने वाली नहीं है। जनता जानती है कि सोशलिज्म के क्या माने होते हैं। जनता जानती है कि मीन्स आफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन ऐण्ड एक्सचेंज, जनता के हाथ में आना चाहिये, केवल सरकारीकरण से काम नहीं चलता।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, अब एक रुपये के सिलसिले में क्या सब बातें सुननी पड़ेंगी ? (हंसी)

श्री राजनारायण—मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय रामनारायण जी के संशोधन को मानें और यह एक रुपये का अतिरिक्त बोझ जो आज गरीब किसानों के कंधों पर पड़ने वाला है, जिससे उनकी कमर टूटने वाली है उसको माननीय राजस्व मंत्री जी वापस लें, और माननीय रामनारायण जी के संशोधन को मानें और जब यह सदन उठ रहा है तो हम भी उनको बधाई देते हुये बाहर चलें।

श्री अध्यक्ष—माननीय रामनारायण जी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अब राजनारायण जी के भाषण के बाद मैं क्या बोलूं। (हंसी)

श्री चरण सिंह—श्रीमान् जी, मैं रामनारायण जी की दिक्कत को समझ सकता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता जी जब खड़े हुये थे तो इत्तफाक़ से मुझे बाहर जाना पड़ गया। मैं उनकी बातें सुनना चाहता था लेकिन फिर दोबारा सोचता हूं कि कुछ नुक़सान भी नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूं कि फ़र्स्ट प्रिन्सिपल्स की बातें उन्होंने की होंगी और बुनियादी बातों में फ़र्जी गुस्सा मैन्युफ़ैक्चर करके फिर जो रूप वह धारण करते हैं, यह अच्छा है कि कई गजों का फ़ासला इन दोनों सीटों में है वरना ऐसी ऐसी कड़वी बातें वह कह जाते हैं कि मैं तो बैठे बैठे अपने मन मे सोच रहा था कि आखिर हमारे माननीय नेता जी, जिनको अभी कल हमने विदाई दी है, कैसा दिल रखते हैं, कि ऐसी ऐसी बातें सुनते आये हैं दिल्ली और लखनऊ में बरसों, और फिर मीठा जवाब दे देते हैं। अब मैं उन जैसा पार्लियामेंटेरियन नहीं सोच सकता हूं। गुस्से को दबाने वाला नहीं, लेकिन कोशिश हम सब की यह होनी चाहिये कि चाहे कितनी असंगत बात कही जाय.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि आप भी फ़र्जी गुस्सा करें, असली न करें।

श्री चरण सिंह—बात चाहे कितनी असंगत कही जाय, बिल्कुल ताल्लुक़ न हो उस चीज से और असंगत ही नहीं ग़लत भी कही जाय और ग़लत ही नहीं जानबूझ कर ग़लत कही जाय, तब भी आदमी को गुस्सा न आये तो वह आदमी धन्यवाद का पात्र है, कम से कम हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चलाने के लिये। तो यह अभ्यास कब मिलेगा करने को ? पार्लियामेंटरी लाइफ कामयाब हो जाय, अनर्गल बातें सुन कर भी किसी को गुस्सा न आये, और मुस्करा कर जवाब दे दिया जाय, उसके लिये मौका होना चाहिये। तो माननीय रामनारायण जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को वह ऐसा मौक़ा देते रहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ट्रेनिंग का।

श्री चरण सिंह—ट्रेनिंग का। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। श्रीमन्, कौन सा टैक्स लग रहा है। नियम में तो यह है कि जब चक

[श्री चरण सिंह]

बनाया जाय तो किसान अपनी डांड़ मेंड़ खुद बना लें। कोई टैक्स का सवाल नहीं है। अगर खुद न बनायें और गवर्नमेंट को मजबूरन मजदूर लगाने पड़े तो एक रुपया फ़ी एकड़ हिस्सा रसदी दे दें। गरीब है तो कौन कहता है कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा ? वह खुद कर ले। अपनी औरत को, बुड्ढे को, बच्चे को लगा ले। फावड़ा न हो तो पड़ोस से ले ले पड़ोस में न मिले तो हाथ से मेंड़ बना ले। कौन उन्हें मना करता है ? लेकिन अगर वह न बनाये और गवर्नमेंट को मजबूरन मजदूर उसके लिये लगाने पड़े तो एक रुपया फ़ी एकड़ हिस्सा रसदी दे दे। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे टैक्स से क्या वास्ता है ?

दूसरी बात यह है कि साहब, १० एकड़ वाले के ऊपर भी पांच रुपये, बीस एकड़ वाले के ऊपर भी पांच रुपये, १०० रुपये वाले की आमदनी पर भी पांच रुपये और पचास की आमदनी वाले पर भी पांच रुपये। कहां है पचास रुपये वाले पर पांच रुपये और ढाइ सौ वाले पर पांच रुपये ? हिस्सा रसदी होगा। अगर एक एकड़ है तो उसको अनइम्प्लायमेंट है, अवकाश उसको प्राप्त है, वह बना सकता है। फिर भी नहीं बनाता है तो एक रुपया उसको देना पड़ेगा। अगर १५ एकड़ है तो १५ एकड़ वाले को १५ रुपये देने पड़ेंगे, हिस्सा रसदी हुआ। नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक हुआ। गरीब है तो कम बोझ, अमीर है तो ज्यादा बोझ तो सब धान २२ पसेरी कहां है ? बिल्कुल नहीं, श्रीमन्, अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उन बातों को क्या अर्ज़ करूं ? कुछ लोग जो रोशनी को देखना ही पसंद नहीं करते, कुछ आंख मीच लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—कुल दो मिनट बाक़ी हैं।

श्री चरण सिंह—तो श्रीमन्, ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है, उनको रोशनी दिखाना मुश्किल है। इस शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ५४ की चौथी पंक्ति के शब्द "ऐसे" तथा उसके बाद के सम्पूर्ण वाक्यांश को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हमारी यह बैठक समाप्त होती है।

मैं सूचना दे देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (२), उपखंड (१) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय २८ दिसम्बर, १९५४ ई० को बैठक की समाप्ति से उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान करते हैं।

अब यह सत्रावसान हुआ।

(इसके बाद सदन ४ बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२८ दिसम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये २७-१२-५४ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४९ पर)

दि कानपुर इन्फीरियर ग्रेड इम्पलाइज एसोसियेशन,

यदुनाथ सिंह,
अध्यक्ष।

२०/८४ पटकापुर,
कानपुर ६-१२-५४

श्री प्रशासक,
नगरपालिका व सुधार बोर्ड,
कानपुर।

महोदय,

आपकी सेवा में गत दिनों लगातार बोर्डों के कर्मचारियों की परेशानियों के विषय में पत्र भेजा जाता रहा है। हमने शान्तिपूर्वक चाहा कि आपसी बातचीत में कर्मचारियों की उचित मांगों पर निर्णय लिया जा सके। हमने आप के वक्तव्य जो कि समाचार पत्रों में शहर कांग्रेस कमेटी के सभापति का बीच में पड़ने के विषय में था, देखा हमने उसका हार्दिक स्वागत किया। पर इतने दिन हो जाने के पश्चात् भी हमें कोई सूचना न तो आप के कार्यालय से ही मिली और न हमें शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ही कोई तिथि बातचीत की निश्चित की बल्कि इधर आपके अधीनस्थ विभागों ने यूनियन के सदस्यों पर नाजायज दबाव डाला तथा परेशान किया जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का ही कारण बन सकता था। पर हमारे यूनियन का ध्येय कर्मचारियों ने अनुशासन तथा कर्त्तव्य परायणता की ओर उन्मुख रखना है, तथा उनकी मांगों को आप के सन्मुख रख कर न्याय कराना है। इसी से इतने दिनों प्रतीक्षा के उपरान्त हमारी यूनियन संशोधित विधान की धारा ५३ के अनुसार गत १९-९-५४ की आम सभा के निर्णय के अनुसार तथा १ नवम्बर की कार्यकारिणी के प्रस्ताव के अनुसार आप की सेवा में निम्न मांगों को प्रेषित कर रहा हूं। आशा है इस सम्बन्ध में आप विचार कर मसलों पर आपसी समझौता करने का अनुग्रह करेंगे। कार्यकारिणी के निर्णयानुसार हम आप को सूचित कर रहे हैं कि आगामी १३ दिसम्बर, १९५४ से हमारे संघर्ष का काल आरम्भ हो जायगा, तथा २७ दिसम्बर, सन् ५४ दिन सोमवार को नगरपालिका वा सुधार बोर्ड के समस्त कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल होगी। यूनियन चाहती है कि यह दुखजनक कदम न उठाना पड़े, आप से सहयोग के लिए तत्पर है। आशा है आप इस काल में कोई सक्रिय कदम उठायेंगे, ताकि मामला न बढ़े। यदि मामले का निपटारा न हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी यूनियन पर न होगी, और न कर्मचारियों पर होगी बल्कि आप पर होगी।

भवदीय,

यदुनाथ सिंह,

सभापति।

प्रतिलिपियां—

१—मा० मोहनलाल जी गौतम, मंत्री, स्वायत्त शासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२—मा० प्रधान मंत्री, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली।

३—मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

४—मा० श्रम मंत्री इत्यादि।

न्यायोचित मांगें

लाइटिंग विभाग।

लाइटिंग विभाग के कर्मचारियों का पिछला हिसाब शीघ्र दिया जाय तथा जो ग्रेड दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है इसलिये उनको निम्नप्रकार का ग्रेड दिया जाय—

श्रेणी	जो ग्रेड होना चाहिये
	रु०
लैम्प लाइटर	३०—१।२—४५
बेलदार	३०—१।२—४५
लाइनमैन	४५—२—६५ ई० बी० २। १।२—९०
सहायक मिस्त्री	९०—५—१२० ई० बी० ६—१८०

शिक्षा विभाग

(१) खादिमाओं को वर्दी दी जायं, और स्कूल में झाड़ू सफ़ाई के लिये मेहतर कर्मचारी रक्खे गये हैं। उनसे सफ़ाई का काम लिया जाय। चपरासियों तथा खादिमाओं से झाड़ू का काम न लिया जाय। जिन स्कूलों में नल नहीं है वहां पानी का प्रबन्ध किया जाय, अथवा वाटरमैन रक्खा जाय, जो कुओं से पानी खींच कर लावे। आफिस के चपरासियों को अथवा नोटिस सरवरों को समय के अतिरिक्त जबरन रोकने की पद्धति खत्म की जाय। नोटिस सर्वरों को चुंगी के मदद मुहर्रिर का ग्रेड दिया जाय। (२) अध्यापक, अध्यापिकाओं, खादिमाओं और चपरासियों को वही मंहगाई दी जाय जो बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को मिलती है। कर्मचारियों के वेतन बांटने की तिथि नियत कर दी जाय।

पाउन्ड मुहर्रिर

पाउन्ड मुहर्रिरों का ग्रेड ५०—३—८० होना चाहिये, क्योंकि यह कमेटी के पहले ता० ३०—२—५० के ग्रेड में जो बिल कलेक्टर वग़ैरह थे, उन्हें यह ग्रेड जी० ओ० नं० १२४ दिनांक २७—१—४९, के अनुसार मिलता रहा है।

वर्कशाप

वर्कशाप के कर्मचारियों की नौकरी स्थायी की जावे, और जो नोटिस कर्मचारियों को डेली पे के सम्बन्ध में दी गयी है वह वापस ली जाय, तथा अन्य सुविधायें दी जायं।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग की मनमानी कार्यवाही बन्द हो, तथा इस विभाग की खुली जांच की जाय। सीवर गंग तथा नालों के कर्मचारियों की ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाय। सफाई विभाग के कर्मचारियों को रविवार की छुट्टी अवश्य दी जाय। कूड़े की मोटरगाड़ियों के डाले कटवा दिये जायं अथवा अधिक आदमी काम के हिसाब से बढ़ाये जायं तथा कार्य का समय निर्धारित किया जाय।

टैक्स विभाग

वाटर कटिंग गैंग मैनों को वार्षिकोन्नति दी जाय तथा उन्हें स्थायी के प्रमाण-पत्र दिये जांय और जिन आदमियों को अकारण बैठाल दिया गया है उन्हें अविलम्ब काम में लेकर पूर्ण वेतन दिया जाय।

ड्राइवरों के सम्बन्ध में

ड्राइवरों को जो स्थायी नहीं है उन्हें स्थायी किया जाय , साथ ही उनको बक़ाया तरक्क़ी दी जावे। सिक्योर्टी पर अपना हक़ माना जाय। इनको वर्दी दी जाय, तथा ग्रेड बढ़ाया जाय।

चुंगी विभाग

चुंगी विभाग के कर्मचारियों के काम का समय निर्धारित किया जाय और रविवार की पूरी छुट्टी दी जाय। अन्य सरकारी सुविधायें भी प्रदान की जायं। समय के अतिरिक्त काम करने पर कर्मचारियों को ओवर टाईम का पैसा दिया जाय तथा बरसात में कागजपत्रादि ले जाने वाले कर्मचारियों को बरसाती दी जाय करे।

नजूल गैंग

नजूल गैंग मैनों को मुस्तकिल किया जाय, तथा ग्रेड दिया जाय, और इन्हें भी वर्दी दी जाय साथ ही रोड गैंग मैनों तथा मिस्त्रियों को भी यही सुविधायें दी जायं।

माली विभाग

(१) मालियों को काटा हुआ ग्रेड ३०–१।१/२–४५ का दिया जाय, और काटा हुआ पैसा दिया जाय तथा इनको भी ५। २ पर्सनल पे (सिटी एलाउन्स) दिया जाय। मालियों को भी अन्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें दी जायं। चौकीदारों से भी ८ घंटे काम लिया जाय। जिन मेहतरों से मालियों के साथ काम लिया जाता है उनका वेतन मालियों के बराबर किया जाय।

(२) सुधार बोर्ड के मालियों को स्थायी किया जाय, और मेमोरियल वेल गार्डन के मालियों को भी अन्य मालियों की तरह वेतन दिया जाय तथा उनकी पुरानी सर्विस मानी जाय।

(३) हेड माली सीनियर और योग्यता के अनुसार बनाये जायं, और समस्त मालियों को वर्दी दी जाय।

विशेष अर्दली

अर्दलियों को ड्यूटी के समय तक ही रोका जाय, तथा इन लोगों से व्यक्तिगत घर का काम न कराया जाय। बोर्ड के सभी विभागों में जहां नित्य काम रहता है, आवश्यकतानुसार रिलीविंग हैंड कर्मचारी रक्खे जायं, जो छुट्टियों के समय एवजीदारी पर काम करें।

मेहतर कर्मचारी

(१) जिस तरह बी० और सी० सूती मिलों के मजदूरों के लिये ग्रेचुएटी स्कीम है, उसी तरह मेहतरों के लिये भी निश्चित् कर के प्रदान की जाया करे।

(२) जिस तरह अन्य कर्मचारियों के लिये प्रावीडेन्ट फन्ड का आयोजन है, उसी तरह मेहतरों के लिये भी होना चाहिये। म्युनिसिपल मैन्युअल में उनके लिये भी प्रोविजन है।

(३) मेहतरों का वेतन २५ रु० प्रतिशत बढ़ाया जाय।

(४) मेहतरों को पिछले दो वर्षों से ऊनी जर्सी नहीं दी गयी, उसका पैसा दिया जाय, या गत वर्षों की दो जर्सी दी जायं।

चपरासी

चपरासियों का वेतन निम्नप्रकार से किया जावे—

३१ मार्च, सन् १९४९ का वेतन और मंहगाई तथा इंटर रिलीफ -इन तीनों का टोटल किया जावे, और सरकार के पे कमेटी के हिसाब से वेतन और मंहगाई

जोड़कर ३१ मार्च, १९४९ के वेतन की कुल रकम से घटाया जाय, जो बचे, उसी को पर्सनल-पे बनाया जाय, और इसके अतिरिक्त जैसा पे कमेटी में स्पेशल पे ५ रु० व २ रु० सिटी एलाउन्स है, वह दिया जावे ।

सार्वजनिक शिक्षा

बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ की जावे, यह क्रम हाई स्कूल तथा कालेज दोनों में ही हो, जो कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे हैं जो स्कूल या कालेज बोर्ड के नहीं हैं, वहां बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों के लिये सिफारिश की जावे ।

सार्वजनिक चिकित्सा

सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों के परिवार के लोगों के लिये इलाज के समय अलग बनवाई जाय, अथवा क्वार्टर रिजर्व करा दिये जावें, ताकि बीमारी के समय आसानी से भर्ती हो सके, यह प्रबन्ध जनाने तथा मर्दाने दोनों विभागों में होना चाहिये ।

प्रत्येक कर्मचारी के लिये सामान्य मांगें

१—नगरपालिका तथा सुधार बोर्ड के समस्त कर्मचारियों को १० रु० हाउस रेन्ट एलाउन्स दिया जाय। हाउस रेन्ट का जी० ओ० सन् ५२ में आ चुका है, परन्तु किसी कर्मचारी को नहीं दिया गया।

२—अस्थायी (टेम्पोरेरी) स्थानों पर बोर्ड के कर्मचारियों के शिक्षित बच्चों को स्थान दिया जाय, और स्थान खाली हों, उनमें सीनियारिटी के हिसाब से वहीं के कर्मचारी उन्नत किये जायं, तथा पढ़े लिखे कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर दिये जायं ।

३—म्युनिसिपल व सुधार बोर्ड के समस्त कर्मचारियों के सस्ते क्वार्टर बोर्ड की ओर से बनवा कर दिये जावें । यह भी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जावे ।

४—कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार का रुपया कम न किया जाय, और कर्मचारियों की आवश्यकता के समय फंड से रुपया क़र्ज़ के रूप में दिया जाया करे । कर्मचारी का कार्यकाल एक वर्ष हो जाने के बाद बिना प्रार्थनापत्र दिये ही कर्मचारियों का फंड काटा जाये, तथा बोनस भी समय पर दिया जावे । फन्ड की रसीद में हिसाब गड़बड़ हो जाता है इसलिये फन्ड की पासबुकें बनवाई जायं, और कर्मचारियों को दी जायं ।

५—प्रत्येक इन्फीरियर ग्रेड के कर्मचारी को वे समस्त छुट्टियां दी जायं, जो सामान्यतः प्रत्येक को मिलती हैं, जैसे वार्षिक, आकस्मिक, गजटेड, बीमारी की, साप्ताहिक, आदि आदि ।

६—बोर्ड के अवध बिहारी तथा रामशंकर शुक्ल को उनके अपराधों के सम्बन्ध में उन्हें अविलम्ब नगरपालिका कानपुर के कार्य से पृथक किया जावे। इनको पृथक किये जाने के लिये समस्त कर्मचारी सभा, जूलूस तथा प्रस्तावों द्वारा एक स्वर से मांग कर चुके हैं।

यूनियन को मान्यता

(१) कर्मचारियों की इस संगठित यूनियन को मान्यता प्रदान की जाय, और किसी कर्मचारी पर कोई कार्यवाही की जाय, उसकी सूचना यूनियन को तुरन्त दी जाय, तथा उसकी खुली जांच हो, और इस कार्यवाही में यूनियन के सदस्यों को स्थान दिया जाय। बिना यूनियन को सूचित किये, किसी कर्मचारी पर कोई कार्यवाही न की जाय ।

(२) बोर्ड के कतिपय विभागों में बढ़ी हुई घूसखोरी तथा मनमानी की जांच के लिये एक निस्पक्ष जांच कमेटी नियुक्त की जाय, तथा जांच के समय यूनियन के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जावे ।

जलकल-विभाग

१—सब मजदूरों ने जो ३ मास से अधिक किसी स्थायी जगह काम किया है उनको शीघ्र स्थायी किया जाय। बहुत से कर्मचारी जिन्होंने कई सालों से काम किया है अस्थाई हैं।

२—बोनस को अतिरिक्त मजदूरी मानी जाय, जो प्रत्येक आर्थिक वर्ष के बाद दिया जाय और बजाय प्राविडेन्ट फन्ड जमा करने के नगद दिया जाय।

३—जिन मजदूरों को क्वार्टर दिये गये हैं उनसे न्यायपूर्ण किराया लिया जाय और घर के भत्ते में न काटा जाय जिन मजदूरों ने क्वार्टर नहीं लिये उन्हें उचित और लागातार घर का भत्ता दिया जाय।

४—बिजली मोटर ड्राइवरों को त्योहार का अवकाश शिफ्ट वाइज दिया जाय जिससे वे फायदा उठा सकें जो कि वर्तमान समय में नहीं मिलता है।

५—अनावश्यक आन्तरिक परिवर्तन तुरन्त बन्द किया जाय।

६—पे कमेटी द्वारा हाल में ही सिफारिश किया हुआ धन जो दिया गया है उसे फिर से जोड़ा जाय जिन गलतियों पर सन्देह हो उसे फौरन् ठीक किया जाय।

७—जलकल विभाग के प्रबन्धक स्टैंडिंग आर्डर को स्वीकार करें और यू० पी० सरकार द्वारा निर्धारित माडले स्टैंडिंग आर्डर पर चलें।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये २७-१२-५४ के तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर ।)

अग्निपीड़ित ग्रामों की सूची

१—बनकसही
२—बख्तावर गांव
३—ललुही पथार
४—पतरहिया
५—भटेटा
६—मांझा बरियावुर्द
७—मोती पुरवा
८—पथार खुर्द
९—बेहड़ा
१०—मटिहा
११—लोधन पुरवा
१२—सोहबतिया
१३—उर्रा
१४—बहोरकापुर
१५—गाय घाट
१६—राय बोंझा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २७-१२-५४ के तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर।)

सूची उन गांवों की जिनकी भूमि ४ सालों में कटी है।

ग्राम	रकबा
	एकड़
१—अघशीजुवा ..	.. १५२
२—चान्वविलारा ..	.. ४५८
३—दुर्जनपुर ..	.. ९
४—गोविन्दौली ..	.. १६
५—गोपाल नगर ..	.. १७२
६—मानगढ़ ..	.. १३६
७—महाजी अघसिजुवा ..	.. १४३
८—महाजी चांन्वदियारा ..	.. २०७
९—हनुमानगंज ..	.. ४४
१०—हेवन्तपुर ..	.. १२
११—सुरेमनपुर ..	.. ११
१२—शिवाल ..	.. २४६
१३—श्रीनगर ..	.. ३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये २७-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर।)

१३५९ फसली की मालगुजारी का नकशा

देहरादून	१,५९,५९९
सहारनपुर	१७,६६,६३६
मुजफ्फरनगर	१७,९७,६२८
मेरठ	३०,५९,३५१
बुलन्दशहर	२२,५३,७३४
अलीगढ़	२४,२९,८२०
मथुरा	१४,५६,२२२
आगरा	१७,०७,०५२
मैनपुरी	१३,२४,८८६
एटा	१२,९१,६८८
बरेली	१५,७५,९६१
बिजनौर	१५,८२,९०७
बदायूं	१५,६५,०३२
मुरादाबाद	१८,९४,९४३
शाहजहांपुर	१२,२३,९८६
पीलीभीत	७,५७,३०२
रामपुर	९,७३,९२१
फर्रूखाबाद	१२,०६,१९७
इटावा	१३,३९,३०१
कानपुर	१९,५२,१०३
फतेहपुर	११,४३,०५३
इलाहाबाद	२३,०९,२७५
झांसी	६,३२,५१६
जालौन	९,३६,०३१
हमीरपुर	१०,३९,६३०
बांदा	९,५०,९४४
बनारस	१०,२०,२१२
मिर्जापुर	६,७४,४०२
जौनपुर	१२,४४,१९०
गाजीपुर	९,७४,२६६
बलिया	६,५९,४६४
गोरखपुर	१६,९३,५०४
बस्ती	२४,५९,२१७
आजमगढ़	१९,८१,३१८
देवरिया	१७,८१,५९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नैनीताल	१,१६,८१४
अल्मोड़ा	२,६७,३९७
पौरी गढ़वाल	२,०१,८०७
टेहरी गढ़वाल	२,९६,६३७
लखनऊ	९,७०,८९८
उन्नाव	१४,९८,७३३
रायबरेली	१५,१९,२९१
सीतापुर	२०,१८,४४६
हरदोई	१७,१७,५३१
लोरी	१३,६८,३९४
फैजाबाद	१५,३०,७९६
गोंडा	१८,६३,६८५
बहराइच	१६,३१,५०९
सुलतानपुर	१५,५४,२३०
प्रतापगढ़	१३,२८,४३६
बाराबंकी	२०,५७,७०५
योग ..	७,०७,६०,१९७

अवर प्रदेश सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये २८-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर।)

सूची

भवन	नया तहसील भवन खलीलाबाद।	
	चौकी पक्का बाजार बस्ती जिले में।	
	देहाती शफ़ाखाना गोर।	
सड़क	नौगढ़ शोहरतगढ़	मई पक्की सड़क निर्माण
	बांसी नौगढ़	
	शोहरतगढ़ नैपाल सीमा	स्थानीय पक्की सड़क पुनः निर्माण
	बस्ती डुमरियागंज बरनी	
	बस्ती मेहदावल का बढ़ाव	
	बस्ती कलवारी	
	खालीलाबाद मेहदावल	सी० सी० ट्रैक
	खलीलाबाद मुसलिसपुर	
	वाल्टरगंज मिल तक लिंक	
	बस्ती मेहदावल	
	बस्ती डुमरियागंज	
	बस्ती बांसी	
	बबनान हरैया	
	मुडंरवा मेहदावल	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये २८-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर।)

UTTAR PRADESH GOVERNMENT

HOME (CRIMINAL) DEPARTMENT

Revised Rules regarding appointment of Honorary Magistrates

District Comittees to make recommendations for appointments of Honorary Magistrates.

I (*a*) Appointments of Honorary Magistrates shall be made by the State Government after considering the recommendations of District Committees to be constituted as follows:—

(1) the District Magistrate;

(2) the District and Sessions Judge, or, if there is no District and Sessions Judge, but there is a Civil and Sessions Judge at the headquarters of the district, the Civil and Sessions Judge;

(3) one member, not being a criminal court practitioner, except in the Kumaun Division, elected by the District Bar Association and, where there are separate Bar Associations for the Civil Courts and the Collectorate, by both jointly;

(4) non-officials up to six in number, not being lawyers practising in the Criminal Courts, nominated by the State Government, out of whom four may be members of the Legislature.

(*b*) The term of the non-official members of the Committee, including the representative of the Bar, shall be ordinarily three years. No member of the Committee shall be nominated for appointment as an Honorary Magistrate.

Five members of the Committee, of whom atleast two shall be non-official members appointed under this rule, shall constitute the quorum for each meeting of the Committee.

Submission of recommendations to Government.

2—The District Magistrate shall obtain the views of the District Committee and submit its recommendation to Government. If the members of the Committee are not unanimous, the recommendation of the majority shall be the recommendation of the Committee. The recommendation shall, having regard to the provisions of section 256 of the Government of India Act, 1935, be submitted by the District Magistrate along with his own views.

Proceedings of the committee to be confidential.

3—The proceedings of the Committee shall be confidential and shall not be used as evidence in any Court.

Qualifications of candidates.

4—Before recommending a person for appointment as an Honorary Magistrate, the Committee shall satisfy itself that he fulfils the following requirements:

(*a*) *Age*—He is not less than 25 years of age.

---

*c.f. G. O. nos. 1075/Vi—1012-1946, dated April 14, 1946 and 2150/Vi—639-1946, dated September 16, 1947.

(*b*) *Educational qualifications*—He has passed an examination equivalent to or higher than the High School Examination, or is able to record the evidence and write judgments in English or Hindi in his own hand, and is capable of appreciating the evidence and forming a reasoned judgment.

(*c*) *Reputation*—He has a good reputation and is a person of such character as to command the confidence of the public.

(*d*) *Indebtedness*—He is not heavily indebted. In determining whether the indebtedness is so heavy as to be a disqualification, regard shall be had to his assets and his ability to pay off his debts. In particular, the Committee shall consider whether the indebtednesss is such that it may, in the opinion of the public, be a source of embarrassment to the Honorary Magistrate in the honest and impartial discharge of his duties or impair his usefulness as an Honorary Magistrate.

Note—Ladies are eligible for appointment as Honorory Magistrtates.

Persons not eligible for appointment.

5—(*a*) No member of the Provincial Legislature shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate within his own territorial constituency.

*(*b*) No President or Chairman or member of a Municipal Board or a Cantonment Board or a Town Area or a Notified Area Committee or a Gaon Sabha and no President of a District Board shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate within the local limits of the local body of which he is President or Chairman or member.

(*c*) No person who has been disqualified for having committed a corrupt practice in connexion with an election to the legislature or to a local body, and no legal practitioner who has been debarred from practice, shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate.

(*d*) No person who has been convicted of an offence involving moral turpitude shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate,

(*e*) No member of the legal profession practising in the criminal courts shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate.

(*f*) Save in exceptional circumstances, no person shall be eligible for appointment as an Honorary Magistrate when any of his near relations is already serving as such in the same district.

Trafning

6—Unless the person recommended has previous experience of law and procedure in criminal courts has already served as an Honorary Magistrate, his appointment shall be subject to his undergoing a course of practical training under a senior Stipendiary Magistrate. In the beginning he should familiarize himself with the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure

* G. O. no. 5187/VI—2109-48, dated March 12, 1949.

and the Indian Evidence Act, under the guidance of such Stipendiary Magistrate and should watch the progress of trials in his Court. After that he should be asked to take notes of evidence in criminal cases and write out his own judgments and submit them for the approval of the Magistrate. The period of such training shall normally be three months. At the end of this period, if the Magistrate certifies that the person selected is competent to conduct criminal trials and write proper judgments, he should be entrusted with judicial work, but if at the end of this period, the person selected fails to obtain the necessary certificate, then the District Magistrate may, with the concurrence of the Committee, either recommend that the appointment be cancelled or that the person selected be allowed a further period of training not exceeding two months. If at the end of such further period of training, he again fails to obtain the necessary certificate of fitness, his appointment shall be cancelled.

Powers of Honorary Magistrates.

7—On first appointment an Honorary Magistrate will generally be invested with third class powers. But a person who has previously exercised powers as an Honorary Magistrate or has practised as a legal practitioner may, if he is considered fit, be invested with second class or, in special cases, with first class powers. Retired Government officers may be invested with first or second class powers if they have exercised these or higher powers while in service. Summary powers will not ordinarily be conferred upon Honorary Magistrates.

Term of appointment.

8—The first appointment of an Honorary Magistrate shall be for a period of one year. After this period he may be appointed for a further term not exceeding three years. Thereafter the term may be renewed from time to time for further periods not exceeding three years. The terms of an Honorary Magistrate shall not ordinarily be renewed after he has attained the age of 60 years.

Recommendations for renewal, enhancement and with- drawal of powers.

9—All recommendations for the renewal of the terms of Honorary Magistrates and for the enhancement of their powers shall be made by the District Magistrate in consultation with the Sessions Judge. All recommendations regarding Honorary Magistrates exercising first class powers shall be accompanied by a copy of the opinion of the Sessions Judge.

Recommendations for the withdrawal of powers of Honorary Magistrates shall be made by the District Magistrate after consultation with the members of the District Committee in the manner required by rule 2.

Honorary Magistrates not to exercise jurisdiction in their zamindaris.

10—No Honorary Magistrate shall exercise jurisdiction in any village or villages in which he or his very near relations may own zamindari property.

Location of courts.

*11—The Court of an Honorary Magistrate or a Bench of Honorary Matistrates shall, *unless otherwise permitted by Govern-*

*cf. G.O. no. 2158/VI—592-1947, dated August 28, 1947.

ment, be held at the district or tahsil headquarters or in Government or Government rented bulding within the limits of Municipal, Cantonment or Notified Area.

Court Hours.

12—Every Honorary Magistrate or Bench of Honorary Magistrates shall hold Court during the hours prescribed by the District Magistrates, which should ordinarily be within the hours fixed for the sittings of Stipendiary Magistrates. The hours fixed by the District Magistrates shall not be changed without his previous sanction.

12-A. "The District Magistrate shall fix the days on which every Honorary Magistrate and Bench of Honorary Magistrates shall hold court. The days fixed by the District Magistrate shall not be changed without his previous sanction."

Disabilities of Honorary Magistrates.

*13—If any Honorary Magistrate or his son or brother or any other close relation desires to stand for election to a local body or to the Provincial Legislature from an area in which he exercises jurisdiction, the Honorary Magistrate should inform the District Magistrate concerned of his intention to do so. The District Magistrate will immediately take steps to ensure that cases arising in that area do not go to him for trial, and shall apply to Government for the exclusion of that area from the Honorary Magistrate's jurisdiction. No Honorary Magistrate shall take part in any election to a local body or to the Provincial Legislature in any area within his jurisdiction otherwise than by casting his vote as an elector. Any breach of this rule will render the Magistrate concerned liable to the withdrawal of his magisterial powers.

Inspections of Honorary Magistrate's Courts.

14—The Sessions Judge and any additional or Assistant Sessions Judge appointed by the Sessions Judge, should make periodical inspections of the Courts of Honorary Magistrates. The District Magistrate and the Sub-Divisional Magistrate should inspect every Honorary Magistrates's Court at least once a year.

HARISH CHANDRA,
Secretary to Government,
United Provinces.

LUCKNOW :
July 28, 1941.

*cf. G. O., no. 1807/VI—731-1941, dated October 23, 1944.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २६१ एल० ए० १९५५—८०० ।